# ,vj bafM;k ,vj VªkalikVZ lfoZlsl fyfeVsM

# fo"k; lwph


| Ø-la- | fo"k; | i"B la- |
|---|---|---|
| 1. | निदेशक मंडल | 1 |
| 2. | अध्यक्ष का संबोधन | 2 |
| 3. | निदेशकों की रिपोर्ट | 5 |
| 4. | प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट | 14 |
| 5. | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां | 43 |
| 6. | सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 44 |
| 7. | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र | 81 |
| 8. | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण | 82 |
| 9. | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण | 83 |
| 10. | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण | 84 |
| 11. | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां | 85 |

# fnukd 26-12-2019 dk fun'kd eMy

श्री अश्विनी लोहानी अध्यक्ष
श्री विनोद हेजमाड़ी
श्री प्रवीन गर्ग
श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा

## e[; dk;ikyd vf/kdkjh

कैप्टन ए.के. शर्मा

## diuh lfpo

श्रीमती वंदना बत्रा

## y[kkijh{kd

मैसर्स शाह गुप्ता एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार, मुंबई

## cSd l

एचडीएफसी बैंक लि.
एक्सिस बैंक

## ith—r dk;ky;

दूसरा तल, जीएसडी भवन,
एअर इंडिया परिसर, टर्मिनल–2,
आईजीआई हवाईअड्डा,
नई दिल्ली–110037

# v/;{k dk lacks/ku

## fç; 'ks;j/kkjdks]

मुझे आपके समक्ष कंपनी की वर्ष 2018–19 की 16वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड भारत का एक अग्रणी ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता है और भारत के अधिकांश हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है।

कंपनी ने फरवरी, 2013 में प्रचालन आरंभ किया और वर्ष 2014–15 के दौरान स्टैंडएलोन प्रचालन से कंपनी ने अपने प्रचालन के पहले वर्ष में शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष 2018–19 के दौरान भी, एआईएटीएसएल ने 638.13 मिलियन रूपए का निवल लाभ अर्जित किया है। यह अत्यधिक सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक रूझान है।

भारत सरकार ने जून 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की है और यह अपेक्षित था कि इसका भारत के ग्राउंड हैंडलिंग सैक्टर के आकार एवं संरचना पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका स्वरूप बिलकुल बदल जाएगा और इससे तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का आकार बहुत कम समय में ही काफी बढ़ जाएगा। यह पहला अवसर है कि भारत के पास विमानन क्षेत्र पर एकमात्र दूरदर्शी दस्तावेज है, जो स्वागतयोग्य है।

वर्ष 2018–19 में भी, कंपनी द्वारा संव्यवहार सलाहकार की नियुक्ति और संसदीय सूचना ज्ञापन जारी किए जाने के साथ कंपनी के नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।

## dEiuh dk fu"iknu

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2017–18 के 6692.67 मिलियन रूपए (पुनर्घोषित) की तुलना में 7071.64 मिलियन रूपए था। कुल खर्च वर्ष 2017–18 के 5643.17 मिलियन रूपए (पुनर्घोषित) की तुलना में 5797.46 मिलियन रूपए था। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का कर पूर्व लाभ 2017–18 के 1049.50 मिलियन रूपए (पुनर्घोषित) की तुलना में 1274.18 मिलियन रूपए था। वर्ष 2017–18 के दौरान अर्जित 538.49 मिलियन रूपए (पुनर्घोषित) की तुलना में उक्त अवधि के दौरान अर्जित निवल लाभ 638.11 मिलियन रूपए था।

## fuxfer lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति गठित की है और उच्च प्रभाव, धारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान के उद्देश्य से सीएसआर नीति बनाई गई है। कंपनी के लाभ को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2018–19 के दौरान 19.24 मिलियन रूपए खर्च किए जाने थे। उक्त राशि को ग्रामीण विकास के लिए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। सीएसआर कार्यों पर एक विस्तृत रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है और vuqyXud&A पर संलग्न है।

## vkHkkjksfDr

मैं, इस अवसर पर एअर इंडिया लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय को उनके अत्यधिक समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, बैंकों और विनियामक एजेंसियों सहित अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि हम एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड को उंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रगति की ओर लगातार अग्रसर रहेंगे। मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को उत्कृष्टता हासिल करने में अपने दल की भावना की शक्ति और निरंतरता को दुनिया के सामने लाने हेतु किए गए प्रयासों के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, मैं अपने हर कर्मचारी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की छवि को हमेशा बनाए रखा है।

बोर्ड की ओर से हमेशा की तरह मैं सतत समर्थन की आशा करता हूं।

gLrk@&
vf'ouh ykgkuh
v/;{k

## ifjdYiuk %

सभी भारतीय हवाईअड्डों पर विश्वस्तरीय ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने में अग्रणीय रहते हुए इसे विश्वस्तर तक बढाना।

## fe'ku%

### xkgd

- सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुकूल सेवा प्रदान करना।
- सभी भारतीय हवाईअड्डों पर उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करना।
- अत्याधुनिक रैम्प उपकरण उपलब्ध कराना।
- भारतीय परम्परागत आतिथ्य के शिखर पर पहुंचना।

### çfd;k

- सुरक्षा एवं सक्षमता के स्तर में निंरतर सुधार।
- रैम्प उपकरण का निंरतर आधुनिकीकरण एवं उन्नयन।

### dVhc

- समुत्साहन, योग्य एंव  लक्ष्यानिमुख कार्मिकों की टीम बनाए रखना।
- कार्य निष्पादन का उच्च स्तर बनाए रखना।

# fun'kdk dh fjikV

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

## foÙkh; fu"iknu

¼yk[k #i, eas½

| fooj.k | 2018-19 | 2017-18 (पुनर्घोषित) |
|---|---|---|
| कुल राजस्व | **7071.64** | 6692.67 |
| कुल व्यय | **5797.46** | 5643.17 |
| vlk/kkj.k en vkj dj iwo ykHk ¼gkfu½ | **1274.18** | 1049.50 |
| dj iwo ykHk ¼gkfu½ | **1274.18** | 1049.50 |
| चालू कर | **600.00** | 491.50 |
| कर के लिए अल्प प्रावधान | **186.62** | - |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति | **150.55** | 19.51 |
| dj iwo fuoy ykHk ¼gkfu½ | **638.11** | 538.49 |

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2017–18 के 6692.67 मिलियन रूपए की तुलना में 7071.64 मिलियन रूपए था। कुल खर्च वर्ष 2017–18 के 5643.17 मिलियन रूपए (पुनर्घोषित) की तुलना में 5797.46 मिलियन रूपए था। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का कर पूर्व लाभ 2017–18 के 1049.50 मिलियन रूपए (पुनर्घोषित) की तुलना में 1274.18 मिलियन रूपए था। वर्ष 2017–18 के दौरान अर्जित 538.49 मिलियन रूपए (पुनर्घोषित) की तुलना में उक्त अवधि के दौरान अर्जित निवल लाभ 638.11 मिलियन रूपए था।

## vU; foÙkh; 1pu k,

### 'k;j iath%

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.1000,00,00,000/– (एक हजार करोड़ रुपए) है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 138,42,42,000/– (प्रत्येक रु. 10/– के 13,84,24,200 इक्विटी शेयर) का एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अंशदान किया गया है।

## 'k;j iath e ifjorlu] ;fn dkbl g

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

## depkfj;k dh 1[;k

विभिन्न भारतीय स्टेशनों पर एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एअर एवं ग्राहक एअरलाइनों की उड़ानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में संविदा आधार पर रखे

गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| कंपनी संचिव | 01 |
| टर्मिनल प्रबंधक/उप टर्मिनल प्रबंधक/हवाईअड्डा प्रबंधक/ड्यूटी प्रबंधक/ड्यूटी अधिकारी/अधिकारी–एचआर/एसी/एलएजी | 25 |
| प्रबंधक–वित्त/लागत लेखांकन | 04 |
| सहायक नियंत्रक | 07 |
| कनिष्ठ कार्यपालक तकनीकी | 39 |
| कनिष्ठ कार्यपालक–यात्री हैंडलिंग | 102 |
| सीनियर कस्टमर एजेंट | 114 |
| कस्टमर एजेंट | 1853 |
| जूनियर कस्टमर एजेंट | 434 |
| सीनियर रैम्प सर्विस एजेंट | 132 |
| रैम्प सर्विस एजेंट | 533 |
| यूटिलिटी एजेंट सह रैम्प ड्राइवर | 537 |
| सिक्युरिटी एजेंट | 1461 |
| सीनियर सिक्युरिटी एजेंट | 900 |
| हैंडीमैन | 3283 |
| यूटिलिटी सर्विस एजेंट (एमओयू के अनुसार समाहित) | 49 |
| dqy | 9474 |

## vkj{k.k uhfr dk fdz;kUo;u%

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निदेशों एवं वर्ष 1991 एवं 1996 में जारी संशोधित निदेशों के अनुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है।

## vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr@vU; fiNM+k oxZ & 31 ekpZ 2019 dks deZpkfj;ksa dh la[;k

| deZpkfj;ksa dh dqy la[;k | vu- tkfr deZpkfj;ksa dh dqy la[;k | vu- tkfr deZpkfj;ksa dk izfr'kr | v-t-tk deZpkfj;ksa dh dqy la[;k | v-t-tk deZpkfj;ksa dk izfr'kr | vk-ch-lh deZpkfj;ksa dh dqy la[;k | vk-ch-lh deZpkfj;ksa dk çfr'kr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9474 | 1996 | 21-06 | 449 | 4-74 | 2192 | 23-13 |

## ,vj bfM;k ,vj Vkl ikV lfol l fyfeVM dh xfrfof/k;k

नागर विमानन मंत्रालय के निदेशानुसार 31 दिसम्बर, 2016 से सुरक्षा कारणों से आउटसोर्सिंग की अनुमति न होने के कारण, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने सभी 80 हवाईअड्डों पर, जहां एआईएटीएसएल द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग उपलब्ध कराई जाती है, सरकार के निर्णय को क्रियान्वित किया है। एआईएटीएसएल में आज की तारीख को जनशक्ति की आउटसोर्सिंग शून्य है।

## jktHkk"kk uhfr dk dk;kUo;u

राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी प्रभावी कदम उठा रही है।

## ;ku mRihMu

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोक, प्रतिनिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न प्रतिरोधी नीति है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) स्थापित की गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदागत, अस्थायी, प्रशिक्षु) इसके अंतर्गत आते हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

## lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dk vuikyu

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने 18 फरवरी, 2014 से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों का निपटान करने के लिए अपनी संरचना विकेन्द्रित की है। आवेदनों/अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए 8 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), 5 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) तथा एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, 18 अनुरोध/अपील प्राप्त हुईं और सभी का निपटान किया गया।

## 0;olk; d Lo:i e ifjoru

कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

## ykHkk'k

कंपनी के व्यवसाय प्रचालन को बढ़ाने की दृष्टि से निदेशक मंडल किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करते।

## nkok ugh fd, x, ykHkk'k dk fuo'kd f'k{kk rFkk lj{kk fuf/k e LFkkukrj.k

चूंकि पिछले वर्षों में भुगतान नहीं किया गया/दावा नहीं किया गया लाभांश नहीं था, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते।

## vkjf{kr fuf/k esa gLrkarfjr jkf'k

निदेशक मंडल ने वर्ष 2018–19 के लिए 638.11 मिलियन रूपए आरक्षित निधि में रखने का निर्णय लिया है/प्रस्ताव दिया है।

## lgk;d daiuh@la;qä m|e@lg;ksxh daifu;ka lac/kh lwpuk

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं है।

## okLrfod ifjorZu ,oa çfrc)rk,a

31 मार्च, 2019 एवं बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुए हैं।

## funs'kd eaMy dh cSBdsa

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 की अपेक्षानुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के निदेशक–मंडल की निम्नानुसार छह बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच समय अंतराल (दिनांक 25 अप्रैल 2018 तथा 5 सितंबर 2018 की दो बैठकों के बीच अंतराल को छोडकर) को देखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया:

| Ø- la- | cSBd dh frfFk | funs'kd eaMy dh la[;k | mifLFkr funs'kdksa dh la[;k |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 अप्रैल, 2018 | 4 | 3 |
| 2 | 05 सितंबर, 2018 | 4 | 4 |
| 3 | 18 अक्तूबर, 2018 | 4 | 4 |
| 4 | 06 नवंबर, 2018 | 4 | 4 |
| 5 | 22 जनवरी, 2019 | 4 | 3 |
| 6 | 27, मार्च, 2019 | 4 | 4 |

## funs'kdksa dk mÙkjnkf;Ro fooj.k

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं हैं।

2. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे 31 मार्च 2019 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

4. यह कंपनी गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ङ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

5. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं, तथा

6. निदेशकों ने सभी विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से प्रचालित थीं।

## y[kkijh{kk lfefr

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार निम्न निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति नवंबर 2014 में गठित की गई है: वर्तमान समय में लेखापरीक्षा समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

| fun'kd dk uke | lfefr e /kkfjr in | fun'kd dh J.kh |
|---|---|---|
| अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय | अध्यक्ष | सरकारी नामित निदेशक |
| संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय | सदस्य | सरकारी नामित निदेशक |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड | सदस्य | अध्यक्ष (नामित निदेशक) |
| एअर इंडिया नामित निदेशक | सदस्य | नामित निदेशक |

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है।

## y[kkijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए मैसर्स शाह गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उनके द्वारा की गई टिप्पणीयों/अर्हताओं या प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का स्पष्टीकरण/व्याख्या इसके साथ संलग्न है। वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट स्वतः स्पष्ट हैं और इसके लिए किसी और टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है।

## _.k] çfrHkwfr vkj fuos'k

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिए गए, गारंटियां नहीं दी गईं या निवेश नहीं किए गए है और इसलिए, अधिनियम की धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

## lfpoh; y[kkijh{kd

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स हुसैन वाग और कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध IV के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार हैं:

| lfpoh; ys[kkijh{kd dh fVIif.k;k | izcU/ku dk mRrj |
|---|---|
| दिनांक 25 अप्रैल, 2018 तथा 5 सितंबर, 2018 को आयोजित दो बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक का था, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–173 (1) का उल्लंघन है। | अगस्त माह में बोर्ड बैठक आयोजित करने के यथासंभव प्रयास किए गए थे, जिसके लिए नोटिस भी जारी किया गया थ। तथापि, निदेशकों के पूर्वनिर्धारित कार्यों के कारण, इसका आयोजन नहीं किया जा सका। कंपनी आश्वासन देती है कि वह भविष्य में इस संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करेगी। |

## ykxr ys[kkijh{kk

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट 22 मई, 2018 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पास प्रस्तुत की गई है। यह लागत लेखापरीक्षा वर्ष 2016–17 की है और लागत लेखापरीक्षक मैसर्स मीना गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई थीं। वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए इसी लागत लेखापरीक्षक को नियुक्त किया गया है।

## egRoiw.kZ rFkk okLrfod vkns'k

वर्ष के दौरान विनियामकों, न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे गोइंग कन्सर्न स्थिति तथा कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पड़े।

## ÅtkZ laj{k.k] çkS|ksfxdh lekeyu vkSj fons'kh eqæk vtZu rFkk O;;

### ¼d½ ÅtkZ laj{k.k vkSj çkS|ksfxdh lekeyu

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के स्वरूप को देखते हुए, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।

तथापि, कंपनी ने दिल्ली तथा चेन्नई में 50 कि.वा. पावर क्षमता की ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा प्रणाली छत पर स्थापित की है, जो प्रतिदिन औसतन 220 कि.वा. विद्युत उर्जा का निर्माण कर सकती है और यह सुव्यवस्थित रूप से कार्य कर रही है।

### ¼[k½ fons'kh eqæk vtZu rFkk O;;

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय निम्नानुसार था:

| | |
|---|---|
| अर्जन | 2,12,53,459 अमरीकी डालर |
| व्यय | 16,52,649 अमरीकी डालर |

## d,jiksjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए नियमों एवं सरकारी उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में कॉरपोरेट सामजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन निम्नानुसार किया है। 31 मार्च 2019 को सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| | |
|---|---|
| श्री अश्विनी लोहानी | अध्यक्ष |
| श्री अरूण कुमार | सदस्य |
| श्री एस.के. मिश्रा | सदस्य |
| श्री विनोद शंकर हेजमाड़ी | सदस्य |

श्री अश्विनी लोहानी को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में 14 फरवरी, 2019 से श्री प्रदीप कुमार खरोला के स्थान पर नियुक्त किया गया है और तदनुसार उसी तारीख से सीएसआर समिति में श्री खरोला के स्थान पर श्री लोहानी नियुक्त किए गए हैं।

बोर्ड ने 23 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में सीएसआर नीति को स्वीकृति प्रदान की है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 19.24 (मिलियन) रूपए का व्यय अनुमोदित किया है।

यह निर्णय लिया गया है कि उक्त राशि द्वारा पिछले वर्ष की कुछ परियोजनाओं को जारी रखा जाएगा और अन्य नई परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

## d,jikjV 'kklu

कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर कॉरपोरेट शासन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। विस्तृत कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से दी गई है।

## okf"kd fjVu dk lkjk'k

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन (गवर्नेंस) ) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक रिटर्न का सारांश अनुलग्नक–।।। में संलग्न किया गया है तथा फॉर्म एमजीटी–7, वार्षिक रिटर्न को कंपनी की वेबसाइट www.aiatsl.com पर प्रदर्शित किया गया है।

## depkfj;k dk fooj.k

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134(3)(ङ) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

इसके फलस्वरूप, धारा 178(3) के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति एवं अन्य मामलों से संबंधित कंपनी की नीति नहीं उपलब्ध कराई गई है।

इसी प्रकार, धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का नाम एवं अन्य ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण, जिसे पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान/कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया था और नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाते थे, उनका विवरण कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1)/(2) के साथ पठित धारा 197(12) के निबंधनों के अनुसार नहीं उपलब्ध कराया गया है।

चूंकि एआईएटीएसएल सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा सरकारी/डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है, जिसमें योग्यताओं एवं अन्य मामले निर्धारित करने के लिए वेतन मानदंड नियत करना भी शामिल है।

## tekjkf'k

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा नहीं स्वीकार किया है।

## okf"kd eY;kdu

दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होते, चूंकि निदेशकों का मूल्यांकन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

## Lor= fun'kd ,o ?kk"k.kk

एआईएटीएसएल एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 98 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और भारत सरकार के निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं।

तदनुसार, एआईएटीएसएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मामला उठाया गया है।

## ukekdu ,o ikfjJfed lfefr

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत यथापेक्षित, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति में 3 या उससे अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे, जिनमें से आधे से अधिक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

चूंकि इस समय कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है अतः नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त, एआईएटीएसएल एक सरकारी कंपनी है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तारीख 5 जून, 2015 के परिपत्र के अनुसार, निदेशकों से संबंधित धारा 178(2)(3)(4) की प्रयोज्यता से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

## ikfjJfed uhfr

### dk;ikyd fun'kdk ,o xj&dk;ikyd fun'kdk dk ikfjJfed

कंपनी के निदेशकों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते।

## tkf[ke çc/ku

कंपनी निम्न उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति बना रही है :

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों की समीक्षा उपलब्ध कराना।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया तरीका स्पष्ट करना।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करना।
- ''जोखिम'' संस्कृति विकसित करना, जिससे सभी कर्मचारियों को जोखिमों और उससे जुड़े अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
- मौजूदा एवं योजनाबद्ध तथा न्यूनतम बाधा एवं लागत के साथ समन्वित रूप से नए जोखिमों का पता लगाना, मूल्यांकन करना और प्रबंधन करना।

## funs'kdksa ,oa eq[; çca/kdh; dkfeZd funs'kd

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी के निदेशकों की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैंः

| Ø-la- | uke | inuke | fu;qfä dh frfFk | lsok lekIr gksus dh frfFk | lsok lekfIr dk rjhdk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गार्गी कौल | नामिति निदेशक | 06.05.2015 | 24.01.2019 | नामिति निदेशक के रूप में सेवा समाप्त |
| 2. | श्री अरूण कुमार | नामिति निदेशक | 24.01.2019 | | |
| 3. | श्री प्रदीप सिंह खरोला | नामिति निदेशक | 12.12.2017 | 14.02.2019 | अध्यक्ष के रूप में सेवा समाप्त |
| 4. | श्री अश्विनी लोहानी | अध्यक्ष | 14.02.2019 | | |

## lacaf/kr i{k laO;ogkj

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं की हैं, जो सामान्य कारोबार के दौरान निकट संबंधों पर आधारित थी। ये संव्यवहार अधिनियम की धारा 188(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते।

किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के बारे में आम सभा में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी धारा 188 की उप धारा (1) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुकों से छूट सरकारी कंपनी को उपलब्ध कराई गई है।

कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनियों (सरकारी कंपनियों) के साथ वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग 425 करोड़ रूपए की अनुमानित राशि की संविदाएं/व्यवस्थाओं को करने के लिए 5 सितम्बर, 2018 को हुई अपनी 68वीं बैठक में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया है।

## Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

## vkHkkjksfDr

बोर्ड, एअर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

ckMZ ds fy, ,oa mudh vksj ls

gLrk@&
vf'ouh yksgkuh
v/;{k

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 06-09-2019

# çca/ku fopkjfoe'kZ ,oa fo'ys"k.k fjiksVZ

## 1- foÙkh; fu"iknu dk fo'ys"k.k

jktLo

❖ वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित 6692.67 मिलियन रूपए (पुनर्घोषित) के राजस्व की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल अर्जित राजस्व 7071.64 मिलियन रूपए था।

O;;

❖ पिछले वर्ष के 5643.17 मिलियन रूपए (पुनर्घोषित) की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल खर्च 5797.46 मिलियन रूपए था।

## 2- Hkkoh ifj–';

एआईएटीएसएल, एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी दिनांक 1 फरवरी, 2013 को प्रचालन में आई थी और कंपनी ने अप्रैल, 2014 से स्वतंत्र प्रचालन आरंभ किए। कंपनी वर्तमान में भारत में 80 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। एअर इंडिया एवं इसकी सहायक कंपनियों की उड़ानों की हैंडलिंग के अलावा, 37 विदेशी अनुसूचित एअरलाइनों, 3 घरेलू अनुसूचित एअरलाइनों, 4 क्षेत्रीय एअरलाइनों, 12 सीजनल चार्टर एअरलाइनों, 23 विदेशी एअरलाइनों, जो नाश्वान कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, को भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। वर्ष 2018–19 के दौरान 1,24,496 उड़ानों (एअर इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनियों) एवं अनुसूचित एवं गैर–अनुसूचित ग्राहक एअरलाइनों की 23,673 उड़ानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवा उपलब्ध कराई गई।

इसके अतिरिक्त, एआईएटीएसएल को दिसंबर, 2018 से प्रचालनिक हुए केरल के ग्रीनफील्ड कन्नूर हवाईअड्डे पर सेवा प्रदाता के रूप में उपयुक्त पाया गया, जिससे एआईएटीएसएल का राजस्व बढ़ेगा।

एआईएटीएसएल के प्रचालन वित्तीय स्थिति के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। मुख्य आय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की व्यवस्था से होती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन, विदेशी प्रापण के लिए उपलब्ध होगी और कंपनी को राजस्व आय में विदेशी मुद्रा कमाने में भी लाभ होगा। पैन इंडिया की उपस्थिति और अपनी क्षमता से एआईएटीएसएल देश में बाजार की अगुवा होगी और विदेश में जहां कहीं एअर इंडिया प्रचालन करती है, वहां पर व्यवसाय कर सकेगी।

वर्तमान नीतिगत विनिवेश प्रक्रिया के दौरान, एआईएटीएसएल में सम्पूर्ण इक्विटी स्टेक को एअर इंडिया द्वारा बेचे जाने का प्रस्ताव है। एआईएटीएसएल की सुदृढ लाभप्रद्ता के परिणामस्वरूप कंपनी भारत में चालू विमानन परिदृश्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम होगी।

## 3- lrr ljkdkj

कंपनी वर्ष 2012–13 से निवल लाभ अर्जित कर रही है, जो 2012–13 में 5.06 मिलियन रूपए से बढ़कर 2018–19 में 638.11 मिलियन रूपए हो गया है।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति –2016 के लागू होने के पश्चात, भारत की ग्राउंड हैंडलिंग सेक्टर में व्यापक स्तर पर परिवर्तन

हुआ है।

भारत में ग्राउंड हैंडलिंग बाजार विमान द्वारा यात्रा की वरियता, बढती जनसंख्या, सरकार की उड़ान योजना तथा हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण विकास के पथ पर अग्रसर है। इस प्रकार के उद्धीपक औद्योगिक वातावरण में एआईएटीएसएल में ग्राउंड हैंडलिंग के लिए व्यापक स्तर पर बड़े बाजार अवसर विद्यमान हैं।

## 4- ekuo lalk/ku

### deZpkfj;ksa dh la[;k

31 मार्च, 2019 तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संविदा आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या 9474 थी। एअर इंडिया से एआईएटीएसएल में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए और स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 486 और 1325 थी।

## 5- tksf[ke fuokj.k uhfr;ksa

कंपनी लगातार जोखिम अवधारणाओं की निगरानी करती है और विभिन्न मोर्चों पर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई करती है।

## 6- vkarfjd fu;a=.k çkfy;ksa

सभी प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स ककारिया एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

# d,jikjV 'kklu ij fjikV

## funs'kd eMy

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की संख्या तीन से पंद्रह के बीच होनी चाहिए।

## 31 ekp 2019 dh fLFkfr ds vuqlkj funs'kd eMy

| | |
|---|---|
| श्री अश्विनी लोहानी<br>अध्यक्ष | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड |
| श्री विनोद हेजमाडी<br>निदेशक (वित्त), एअर इंडिया लिमिटेड | एअर इंडिया नामित निदेशक |
| श्री अरूण कुमार<br>संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार<br>नागर विमानन मंत्रालय | सरकार द्वारा नामित निदेशक |
| श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा<br>संयुक्त सचिव,<br>नागर विमानन मंत्रालय | सरकार द्वारा नामित निदेशक |

श्री प्रदीप सिंह खरोला, जिनको 12 दिसंबर, 2017 से श्री राजीव बंसल के स्थान पर कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, का कार्यकाल 14 फरवरी, 2019 को समाप्त हो गया है और इसी तिथि से श्री अश्विनी लोहानी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल में श्री प्रदीप कुमार खरोला द्वारा अध्यक्ष के रूप में दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की बोर्ड द्वारा सराहना की गई।

वर्ष के दौरान, अध्यक्ष द्वारा निदेशक मंडल की सभी बैठकों एवं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की गई।

निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, उनमें निदेशकों की उपस्थिति, डायरेक्टरशिप और निदेशकों द्वारा धारित समिति के पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

## funs'kd eMy dh cBdsa

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं:

| | |
|---|---|
| 25 अप्रैल, 2018 | (67वीं बैठक) |
| 05 सितंबर, 2018 | (68वीं बैठक) |
| 18 अक्तूबर, 2018 | (69वीं बैठक) |

06 नवंबर 2018 (70वीं बैठक)
22 जनवरी, 2019 (71वीं बैठक)
27 मार्च, 2019 (72वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति सहित उनका विवरण:

| fun'kd dk uke | 'k{kf.kd vgrk, | o"k d n©jku vk;¨ftr 6 cBd¨ e mifLFkfr | vU; difu;¨ e /kkfjr Mk;jDVjf'ki | Lkfefr;¨ e /kkfjr LknL;rk |
|---|---|---|---|---|
| श्री प्रदीप सिंह खारोला–अध्यक्षा (12.12.2017 से 14.02.2019) | विकास प्रबंधन में पीएचडी एवं स्नातकोत्तर | 5 | अध्यक्ष<br>एअर इंडिया लिमिटेड<br>एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड<br>निदेशक<br>एअर इंडिया सैट्स<br>एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड,<br>एअर मारिशस लिमिटेड,<br>एअर मारिशस होल्डिंग लिमिटेड | अध्यक्ष<br>निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड<br>सदस्य<br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – एअर इंडिया लिमिटेड<br>लेखापरीक्षा समिति– भारतीय होटल निगम लिमिटेड तथा एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड |
| श्री अश्वनी लोहानी, अध्यक्ष (14 फरवरी, 2019 से) | मैकेनिकल इंजीनियर एवं फेलो ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट | 1 | अध्यक्ष<br>एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, | अध्यक्ष<br>निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड,<br>भारतीय होटल निगम लिमिटेड<br><br><u>निदेशक</u><br><br>एअर इंडिया सैट्स<br>एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड<br>एअर मारिशस लिमिटेड<br>एअर मारिशस होल्डिंग लिमिटेड | <u>सदस्य</u><br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – एअर इंडिया लिमिटेड,<br>लेखापरीक्षा समिति– भारतीय होटल निगम लिमिटेड, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,<br><br><u>स्थायी आमंत्रिती:</u><br>लेखापरीक्षा समिति–एअर इंडिया लिमिटेड,<br>एअर एलाइड सर्विसेस लिमिटड तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड |
| सुश्री गार्गी कौल संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय – सरकारी नामिती निदेशक (6 मई 2015 से 24 जनवरी, 2019 तक) | एम. फिल | 4 | <u>नदेशक</u><br><br>एअर इंडिया लिमिटेड,<br>एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,<br>एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,<br>भारतीय होटल निगम लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड | <u>अध्यक्ष</u><br><br>शेयर आवंटन समिति – एअर इंडिया लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति– एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,<br>एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,<br>भारतीय होटल निगम लिमिटेड, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (एसईसीआई), एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड | <u>सदस्य</u><br>लेखापरीक्षा समिति,–एअर इंडिया लिमिटेड, सीएसआर समिति– एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड। |
| श्री अरूण कुमार, अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय – सरकारी नामिती निदेशक (24 जनवरी, 2019 से) | कला स्नातक (ऑनर्स) | 1 | <u>निदेशक</u><br>एअर इंडिया लिमिटेड,<br>एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,<br>एअर इंडिया इंजीनियरिंग<br>सर्विसेस लिमिटेड,<br>भारतीय होटल निगम लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), भारतीय सौर उर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई),एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड | <u>अध्यक्ष</u><br>लेखापरीक्षा समिति– एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड तथा भारतीय होटल निगम लिमिटेड,<br>शेयर आवंटन समिति – एअर इंडिया लिमिटेड<br><u>सदस्य</u><br>लेखापरीक्षा समिति,–एअर इंडिया लिमिटेड, सीएसआर समिति– एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड। |
| श्री सत्येंद्र कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय – सरकारी नामिती निदेशक (2 फरवरी, 2017 से) | एम.टेक (अप्लायड जियोलॉजी) एम. ए. (पब्लिक पॉलिसी) | 5 | <u>निदेशक</u><br>एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, | <u>सदस्य</u><br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति–एअर इंडिया लिमिटेड, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | एअर इंडिया इंजीनियरिंग<br><br>सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड | एचआर समिति– एअर इंडिया लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति–एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड,<br><br>सीएसआर समिति– एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड |
| श्री विनोद शंकर हेज़माडी<br><br>एअर इंडिया नामित निदेशक (7 दिसंबर 2015) | बी.काम एसीए | 6 | निदेशक<br><br>एअर इंडिया लिमिटेड,<br><br>एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,<br><br>एयरलाइंस एलाइड सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड | अध्यक्ष<br><br>एचआर समिति–एअर इंडिया लिमिटेड,<br><br>निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति– एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड<br><br>सदस्य<br><br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड,<br><br>सीएसआर समिति और धारणीय विकास समिति–एअर इंडिया लिमिटेड, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति–एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, शेयर आवंटन समिति : एअर इंडिया लिमिटेड, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | लेखापरीक्षा समिति– भारतीय होटल निगम लि., एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड |

## cksMZ lfefr;k

### ys[kkijh{kk lfefr

कॉरपोरेट शासन (गवर्नेंस) के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने नवंबर, 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था।

31 मार्च, 2019 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

| | |
|---|---|
| अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय | अध्यक्ष |
| संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय | सदस्य |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड | सदस्य |
| एअर इंडिया मनोनीत सदस्य | सदस्य |

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं :

- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करने हेतु।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का निरीक्षण एवं निगरानी करने हेतु।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा एवं आंतरिक एवं बाहरी लेखापरीक्षकों के बीच समन्वयन का सुनिश्चित करना तथा यह भी निर्धारण करना कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकार के अनुरूप है।
- लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले लेखापरीक्षा के प्रकार एवं कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षकों से विचार–विमर्श करने हेतु।
- वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करने हेतु।

- सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उस पर प्रबंधन के उत्तर की समीक्षा करना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाने हेतु।
- संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहार का अनुमोदन या कोई संशोधन करने हेतु।
- अंतर्निगमित ऋणों एवं विनिवेशों की संवीक्षा करने हेतु।
- कंपनी के उपक्रमों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन पद्धतियों का मूल्यांकन करने हेतु।
- सार्वजनिक प्रस्तावों एवं संबंधित मामलों के माध्यम से उगाही गई तिथियों के अंतिम उपयोग की निगरानीय।
- बोर्ड द्वारा वांछित किसी अन्य विषय पर विचार करना।

## fiNys rhu o"kksZa dh nkSjku gqbZ okf"kZd vke cSBdsa ¼,th,e½

| ,th,e la[;k | cSBd dh frfFk o le; | LFkku | fo'ks"k ladYi |
|---|---|---|---|
| 13वीं | 21 दिसंबर 2016 को 1230 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,<br>नई दिल्ली–110001 | शून्य |
| 13वीं (स्थगित) | 25 अप्रैल 2017 को 1330 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,<br>नई दिल्ली–110001 | शून्य |
| 14वीं | 07 दिसंबर, 2017 को 1745 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,<br>नई दिल्ली–110001 | शून्य |
| 14वीं (स्थगित) | 20 फरवरी, 2018 को 1100 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,<br>नई दिल्ली–110001 | शून्य |
| 15वीं | 26 दिसंबर, 2018 को 1600 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली–110001 | शून्य |
| 15वीं (स्थगित) | 03 जनवरी, 2019 को 1200 बजे | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,<br>नई दिल्ली–110001 | शून्य |

# vkpkj lafgrk

## ?kks"k.kki=

मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथा अंगीकृत आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग द्वारा की गई है ।

gLrk@&

¼vf'ouh 'kek½
सीईओ
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि.

LFkku % fnYyh
fnukad % 06-09-2019

vu|yXud&A

# ,vj bfM;k ,vj Vkalik¥V lfol fyfeVM

## lh,lvkj uhfr

### क. <u>पृष्ठभूमि</u>

नए कंपनी अधिनियम, 2013 में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की संकल्पना इसका 'अनुपालन' करने तथा इसकी व्याख्या को अनिवार्य बनाने के माध्यम से शुरू की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से प्रत्येक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लिमिटेड, जिसका शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए अथवा 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है, को अपने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करना होगा। सीएसआर कार्यकलाप कारोबार की सामान्य कार्यविधि में नहीं की जानी हैं और अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी कार्यकलाप से संबंधित होने चाहिए। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में सीएसआर कार्यकलापों की रूपरेखा और उसके कार्यविधि निर्धारित की गई हैं।

### ख. <u>सीएसआर नीति</u>

### I. <u>उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र</u>

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है, ताकि सीएसआर को एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए, जिसमे उच्च क्षमता और धारणीय कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सकारात्मक सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित हो।

एआईएटीएसएल कंपनी के प्रचालन क्षेत्र यथा हवाईअड्डों एवं नगर कार्यालयों में एवं उसके आसपास सीएसआर कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करेगी। एआईएटीएसएल सीएसआर बजट का 60 प्रतिशत तक इन स्थानीय dE;fuVh t के लिए आबंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

एआईएटीएसएल सामाजिक पूंजी का निर्माण करने के लिए समाज के कमजोर, उपेक्षित एवं सीमांत वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को क्रियान्वित करेगी ।

### II. <u>सीएसआर संगठन ढांचा</u>

#### क. <u>सीएसआर समिति</u>

कंपनी की बोर्ड स्तर की उप समिति होगी, जिसे इसके बाद सीएसआर समिति कहा जाएगा। इस समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक यदि कोई हो, होगा। सीएसआर समिति की भूमिका/उत्तरदायित्वों में निम्न कार्य शामिल होगा:

(i) सीएसआर नीति तैयार करना व अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष सिफारिश करना।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित सीएसआर कार्यकलापों की सिफारिश करना।

(iii) उपर्युक्त खंड (ii) में संदर्भित कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के लिए सीएसआर बजट की सिफारिश।

(iv) निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित राशि खर्च करना।

(v) कंपनी की सीएसआर नीति की समय–समय पर मॉनीटरिंग करना।

(vi) सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी मानीटरिंग प्रणाली बनाना।

(vii)प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए एवं उससे अधिक के आर्थिक मूल्य की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलापों को अनुमोदित करना।

(viii)किसी भी मूल्य की परियोजनाए/कार्यक्रम/कार्यकलाप अनुमोदित करना, जोएआईएटीएसएल के फोकस क्षेत्र के बाहर हों ।

ख. सीएसआर कार्य समिति

सीएसआर कार्य समिति के सदस्यः

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष

(ii) वित्त प्रमुख

(iii) कार्मिक प्रमुख

(iv) कंपनी सचिव

सीएसआर कार्य समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में शामिल हैः

(i) विभिन्न स्थानों से प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के लिए प्रस्तावों की समीक्षा करना।

(ii) अनुमोदित आबंटित बजट में से 10 लाख रुपए से कम मूल्य के प्रस्तावों को अनुमोदित करना।

III. सीएसआर के ध्यानार्थ क्षेत्र – परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप

(क) एआईएटीएसएल सीएसआर के ध्यानार्थ क्षेत्र की परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप बाल, महिला एवं समाज के कमजोर वर्ग के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और बाल अधिकार, बाल विकास एवं शिक्षा, राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एवं समाज/ग्रामीण विकास पर बनी नीतियों पर आधारित कानूनों से प्रेरणा प्राप्त करती है।

(ख) कंपनी का प्रस्ताव अपनी सीएसआर कार्यकलाप निम्न क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का हैः

- शिक्षा
- कौशल विकास
- पर्यावरण एवं सामाजिक विकास
- पीने का पानी

- ग्रामीण विकास
- शिशु देखभाल
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास
- जन पुस्तकालय
- पारंपरिक कला एवं हस्थशिल्प संवर्धन एवं विकास
- खेलकूद

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का विस्तृत ब्यौरा प्राधिकार मैनुअल की सीमाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त के अलावा अन्य क्षेत्र में किसी परियोजना/कार्यक्रम/कार्यकलापों को करने से पहले सीएसआर समिति का अनुमोदन लिया जाएगा।

(ङ) ये परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप निम्न में से किसी भी स्थान पर की जाएंगीः

- एआईएटीएसएल प्रचालन क्षेत्र/स्थान के समीप के क्षेत्र में,
- योजना आयोग द्वारा चिन्हित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) जिलों में,
- जहां एआईएटीएसएल का नीतिगत संबंध है।

(च) सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप का कार्यान्वयन भागीदारों/विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। कार्यान्वयन भागीदार के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैः

- कोई पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी या कोई विशिष्ट एजेंसी, जिसे पंजीकरण के पश्चात इस प्रकार की कार्यकलापों की हैंडलिंग में तीन वर्ष का अनुभव हो ।
- किसी सरकारी निकाय अथवा पब्लिक सैक्टर उद्यम में कार्य करने का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी ।

तथापि, कार्यान्वयन भागीदार का चयन करते समय चयन प्राधिकारी आवेदक से अनिवार्य आधार पर किसी अन्य योग्यता की मांग कर सकता है।

## IV. सीएसआर बजट/सीएसआर व्यय

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एआईएटीएसएल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के शद्ध लाभ का औसतन कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप में अलग रखेगी ।

(ii) बजटीय आबंटनः

(क) बजट का कम से कम 60 प्रतिशत प्रोजेक्ट मोड में कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाएगा ।

(ख) क्षमता निर्माण एवं कम्यूनिकेशन के लिए बजट की 5 प्रतिशत तक राशि आबंटित की जाएगी ।

(ग) शेष बजट एक बार अथवा अन्य सामाजिक कार्यकलापों के लिए होगा ।

(घ) यदि कंपनी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बजट व्यय नहीं करती, तो समिति को राशि व्यय न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक मंडल के पास लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लेख बोर्ड द्वारा उस वित्तीय वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट में किया जाएगा। सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कारण हुआ कोई अतिरिक्त व्यय कंपनी के कारोबार लाभ का हिस्सा नहीं होगा ।

## V. मानीटरिंग प्रणाली

(i) मानीटरिंग प्रक्रिया दो स्तरीय तंत्र होगा जो इस प्रकार होगा

(क) तिमाही आधार पर सीएसआर समिति ।

(ख) निकायों की सीएसआर कार्य समिति एवं प्रतिनिधि, जिनके साथ कंपनी जुड़ना चाहती है, वे सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग का सुनिश्चय करेंगे। वे समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों की प्रगति के बारे में सीएसआर समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष के अंत में बृहत परियोजनाओं के तसरा पक्ष प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।

## VI. सीएसआर नीति एवं कार्यक्रमों का प्रकाशन

सीएसआर नियमों के अनुसार, सीएसआर नीति की विषयवस्तु निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी और उसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा ।

## VII. नीति समीक्षा एवं भावी संशोधन

समिति अपनी सीएसआर नीति की वार्षिक समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुधार करेगी तथा उसे बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी ।

vu|c/k&AA

# ,vj bfM;k ,vj Vkl ikVl lfol fyfeVM
# lh,lvkj dk;ldykik ij ifj;ktuk fjikVl
# foÙkh; o"kl 2018&19

| d-l | fooj.k |
|---|---|
| 1. | fØ;kfUor dh tkus okyh ifj;ktukvk@dk;Øek dh :ijs[kk lfgr dai uh dh lh,lvkj uhfr dh lf{kIr :ijs[kk vkj lh,lvkj uhfr ,o ifj;ktukvk vFkok dk;Øek d ocfyd dk lnHk<br><br>■ कंपनी के निदेशक मंडल ने एक सीएसआर नीति अपनाई है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, बाल और महिला स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जाना शामिल है। कंपनी की नीति उच्च प्रभाव, सतत कार्यक्रमों द्वारा समाज में सकारात्मक योगदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। सीएसआर बजट का कम से कम 60 प्रतिशत परियोजना मोड में सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाएगा। कंपनी सामाजिक उत्थान के लिए कमजोर, अपेक्षित और सीमांत वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों का कार्यान्वयन करेगी।<br><br>■ सीएसआर ध्यानार्थ क्षेत्र परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित हैं और सीएसआर नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इन कार्यकलापों को कंपनी के प्रचालन क्षेत्र, योजना आयोग द्वारा चिन्हित बीआरजीएफ जिलों और जहां कंपनी के रणनीतिक संबंध थे, उन क्षेत्रों में किया जा सकता है।<br><br>■ सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों का कार्यान्वयन भागीदारों/विशेष एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिनका चयन निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा। |
| 2. | lh,lvkj lfefr dh lajpuk<br><br>हमारी कंपनी में बोर्ड समिति (सीएसआर समिति) है, जो अन्य कार्यों के साथ सीएसआर नीति तैयार करती है, बोर्ड के अनुमोदन के लिए सीएसआर बजट की सिफारिश करती है, 50 लाख एवं उससे अधिक के मौद्रिक मूल्य की सीएसआर परियोजनाओं को अनुमोदित करती है और सीएसआर नीति की मानीटरिंग करती है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीएसआर उद्देश्यों को पूरा किया गया है। सीएसआर समिति में निम्न शामिल हैं<br><br>श्री अश्विनी लोहानी — अध्यक्ष<br>श्री अरूण कुमार — सदस्य<br>श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा — सदस्य<br>श्री विनोद शंकर हेजमाड़ी — सदस्य |
| 3. | fiNys rhu foÙkh; o"kks dk dai uh dk vkSlr 'kq) ykHk<br><br>96,19,63,850 रूपए (छयान्नबे करोड़ उन्नीस लाख त्रेसठ हजार आठ सौ पचास रूपए मात्र) |

| | |
|---|---|
| 4. | fu/kkfjr lh,lvkj 0;; ¼mi;|ä en 3 e n'kkbl jkf'k dk nk çfr'kr½<br><br>रू. 1,92,39,277 (एक करोड़ बयान्नबे लाख उन्तालीस हजार दो सौ सतत्तर रूपए मात्र)। हालांकि, पिछले वर्ष के दौरान रू. 2,42,69,292 (दो करोड़ बयालीस लाख उनत्तर हजार दौ सौ बानब्बे रूपए मात्र) की राशि खर्च नहीं की जा सकी और वर्ष 2018–19 के दौरान, रू. 4,35,08,569 (रुपए चार करोड़ पैंतीस लाख आठ हजार पांच सौ उनत्तर रूपए मात्र) की राशि खर्च करने का प्रस्ताव था । |
| 5. | foÙkh; o"kl e 0;; dh xbl lh,lvkj jkf'k%<br><br>¼d½ foÙkh; o"kl e 0;; dh tku okyh dy jkf'k<br><br>रू. 4,35,08,569 (रुपए चार करोड़ पैंतीस लाख आठ हजार पांच सौ उनत्तर रूपए मात्र)<br><br>वर्ष 2018–19 में रू. 1,92,39,277 तथा रू. 2,42,69,292 पिछले कुछ वर्षों से अव्यय है।<br><br>¼[k½ 0;; u dh xbl jkf'k] ;fn dkbl<br><br>रू. 4,35,08,569 (रुपए चार करोड़ पैंतीस लाख आठ हजार पांच सौ उनत्तर रूपए मात्र)<br><br>¼x½ foÙk o"kl d nkjku fdl çdkj jkf'k 0;; dh xbl<br><br>संलग्न अनुलग्नक देखें |
| 6. | ;fn diuh fiNy rhu foÙkh; o"kk d vkl r 'k) ykHk dh nk çfr'kr jkf'k ;k ml d fdlh fgLl dk 0;; ugh djrh] rk diuh dk vius ckM cBd e 0;; u dh xbl jkf'k d dkj.k miyC/k djku gkx<br><br>विनिवेश के दृष्टिगत और मिलाकपुर तुर्क अलवर जिले में कतिपय स्थानीय कारकों के कारण निष्पादन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार निष्पादित नहीं किया जा सका। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए सीएसआर बजट का वांछित स्तर पर खर्च नहीं किया जा सका। दिनांक 27 मार्च, 2019 को हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर बजट अनुमोदन के साथ इस मुद्दे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रबंधन ने अब यह निर्णय लिया है कि खर्च न की गई सम्पूर्ण राशि को वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रेषित किया जाए। |
| 7. | lh,lvkj lfefr dk mÙkjnkf;Ro dFku fd lh,lvkj uhfr dk dk;kUo;u ,o ekuhVfjx] lh,lvkj mís';k ,o diuh dh uhfr d vuikyu e gA<br><br>हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार सीएसआर नीति कार्यान्वित की गई है और हमारे सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन में सीएसआर समिति सीएसआर परियोजनाओं एवं कार्यकलापों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करती है । |

—r ,vj bfM;k ,vj VklikV lfol l fyfeVM

gLrk@&
vf'ouh ykgkuh
v/;{k&lh,lvkj lfefr

gLrk@&
vf'ouh 'kek
e[; dk;ikyd vf/kdkjh

vu|yXu d

¼jkf'k :i, e½

| Ø- l ¼1½ | lh,lvkj ifj;kstuk ;k xfrfof/k ¼2½ | ftl lDVj e ifj;kstuk g ¼3½ | ifj;kstuk ;k dk;Øe dk LFkku ¼4½ | jkf'k ifj0;; ¼ctV½ ¼5½ | ifj;kstukvk ;k dk;Øek ij 0;; dh xbl jkf'k ¼6½ |
|---|---|---|---|---|---|

¼i½ ifj;kstukvk@dk;Øek ij 0;;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महिलाओं के लिए सिलाई केन्द्र की स्थापना के लिए कमरों का निर्माण (कौशल विकास)<br><br>प्राइमरी स्कूल में रसोइधर का उन्नयन/आधुनिकीकरण<br><br>प्राइमरी और प्राथमिक स्कूलों में शौचालयों और कक्षाओं का निर्माण। सौर उर्जा चालित स्ट्रीट लाईट | ग्रामीण विकास | मिलकपुर तुर्क, अलवर जिला, राजस्थान | रू.1,92,39,277/– (2018–19) जमा रू.2,42,69,292/–<br><br>(पिछले कुछ वर्षों के लिए खर्च न की गई राशि)<br><br>कुल रू 4,35,08,569/– | शून्य |
| ¼ii½ | mi&ifj0;; | | | | |

d'r ,vj bfM;k ,vj Vkl ikVl lfol l fyfeVM

gLrk@&
vf'ouh ykgkuh
v/;{k] lh,lvkj lfefr

gLrk@&
vf'ouh 'kek
e[; dk;ikyd vf/kdkjh

vu|yXud& III

## o"k 2018&19 d fy, fun'kdk dh fjikV dk vu|yXud
## Qke l[;k ,ethVh 9 & okf"kd fooj.kh l m)j.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(3) के अनुसरण में

### I. iathdj.k rFkk vU; fooj.kh%

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सीआईएन | यू63090डीएल2003पीएलसी120790 |
| 2. | पंजीकरण की तारीख | 9 जून, 2003 |
| 3. | कंपनी का नाम | एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड |
| 4. | कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी | सरकारी कंपनी |
| 5. | पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण | एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001. |
| 6 | क्या सूचीबद्ध कंपनी है | जी, नहीं |
| 7. | पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण | लिंक इंनटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस मार्ग, विखरोली(वेस्ट), मुंबई –400083 +91 22 49186000 |

### II. diuh dh ie[k 0;kolkf;d xfrfof/k;k (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

| Ø-l- | e[; mRiknk@lokvk dk uke rFkk fooj.k | mRikn@lok dk ,uvkbZlh dkM | diuh d dy Vuvkoj dk % |
|---|---|---|---|
| 1 | वायु परिवहन की नैमित्तिक सेवा गतिविधियां | 522 | 100 |

### III. होल्डिंग, सहायक तथा सहयोजित कंपनी का विवरण:

| Ø-l- | diuh dk uke ,o irk | lhvkbl,u@thvkbl,u | gkfYMx@ lgk;d@ lg;kftr | 'k;jk dk % | ykxw /kkjk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एअर इंडिया लिमिटेड एयरलाइन्स हाऊस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001. | यू62200डीएल2007जीओआई161431 | होल्डिंग | 100% | 2 (46) |

## IV. 'k;j /kkfjrk dk iVu¼dy bfDoVh d ifr'kr d :i e bfDoVh 'k;j ith dk C;kjk½

| 'k;j/kkjdk dh Js.kh | o"k d vkjHk e /kkfjr 'k;jk dh l[;k (01.04.2018 को) | | | | o"k d vr e /kkfjr 'k;jk dh l[;k (31.03.2019 को) | | | | o"k d nkjku % e ifjorIu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिमैट | वास्तविक | dy | dy 'k;jk dk % | डिमैट | वास्तविक | dy | dy 'k;jk dk % | |
| d- iorid | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय | | | | | | | | | |
| (क) वैयक्तिक / हिंदू संयुक्त परिवार | | | | | | | | | |
| (ख) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| (ग) राज्य सरकार (रें) | | | | | | | | | |
| (घ) निगमित निकाय | . | 138424200 | 138424200 | 100 | | 138424200 | 138424200 | 100 | |
| (ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (च) कोई अन्य | | | | | | | | | |
| iorid (क) की कुल शेयर धारिता | | 138424200 | 138424200 | 100 | . | 138424200 | 138424200 | 100 | |
| [k- lkoltfud 'k;j/kkfjrk | ykxw ugh | | | | | | | | |
| 1- lLFkk,i | | | | | | | | | |
| (क) म्युचुअल फंड / यूटीआई | | | | | | | | | |
| (ख) बैंक / वित्तीय संस्था | | | | | | | | | |
| (ग) केन्द्र सरकार | | | | | | | | | |
| (घ) राज्य सरकार(सरकारें) | | | | | | | | | |
| (ङ) वेंचर कैपिटल फंड | | | | | | | | | |
| (च) बीमा कंपनियां | | | | | | | | | |
| (छ) वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड | | | | | | | | | |
| (झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक | | | | | | | | | |
| mi&tkM ¼[k½ ¼1½ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

## J.khokj 'ks;j/kkfjrk

| 'ks;j/kkjdksa dh J.kh | o"kZ ds vkjaHk esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k (01.04.2018 को) | | | | o"kZ ds var esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k (31.03.2019 को) | | | | o"kZ ds nkSjku % esa ifjorZu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डिमैट | वास्तविक | dqy | dqy 'ks;jksa dk % | डिमैट | वास्तविक | dqy | dqy 'ks;jksa dk % | |
| 2. xSj&laLFkk,a | लागू नहीं | | | | | | | | |
| (क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी) | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | | | | | | | | | |
| ii) विदेशी | | | | | | | | | |
| ख) वैयक्तिक | | | | | | | | | |
| i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक | | | | | | | | | |
| ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक | | | | | | | | | |
| ग) अन्य (स्पष्ट करें) | | | | | | | | | |
| i) अनिवासी भारतीय | | | | | | | | | |
| ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित | | | | | | | | | |
| iii) कार्यालय पदधारक | | | | | | | | | |
| iv) निदेशकगण | | | | | | | | | |
| v) हिंदू संयुक्त परिवार | | | | | | | | | |
| vi)विदेशी निगमित निकाय | | | | | | | | | |
| vii)विदेशी नागरिक | | | | | | | | | |
| viii) क्लीयरिंग सदस्य | | | | | | | | | |
| ix)न्यास | | | | | | | | | |
| x)विदेशी निकाय – डी आर | | | | | | | | | |
| mi&tksM+ (ख) (2) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2) | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| x- thMhvkj ,oa ,Mhvkj ds fy, vfHkj{kd }kjk /kkfjr 'ks;j | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| dqy ;ksx (d+[k+x) | | 138424200 | 138424200 | 100 | | 1384242000 | 138424200 | 100 | |

## [k) iorîd dh 'k;j/kkfjrk

| Ø lı- | 'k;j/kkjd dk uke | o"kl dı vkjHk eı 'k;j/kkfjrk | | | o"kl dı vır eı 'k;j/kkfjrk | | | o"kl dı nkjku 'k;j/kkfjrk eı % ifjorlu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 'k;jkı dh lı[;k | dıiuh dı dıy 'k;jkı dk % | fxjoh j[kı x, 'k;j@ Hkkj xLr 'k;jkı dk% | 'k;jkı dh lı[;k | dıiuh dı dıy 'k;jkı dk % | fxjoh j[kı x, 'k;j@ HkkjxLr 'k;jkı dk% | |
| 1. | एअर इंडिया लिमिटेड | 138424200 | 100 | 'kU; | 138424200 | 100 | 'kU; | |

## x) iorîd dh 'k;j/kkfjrk eı ifjorlu(;fn dkbl ifjorlu ugh g] rkı dìi;k Li"V djı)

| Ø lı- | fooj.k | o"kl dı vkjHk eı 'k;j/kkfjrk | | o"kl dı vır eı lfpr 'k;j/kkfjrk | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 'k;jkı dh lı[;k | dıiuh dı dıy 'k;jkı dk % | 'k;jkı dh lı[;k | dıiuh dı dıy 'k;jkı dk % |
| | o"kl dı vkjHk eı | | | | |
| | एअर इंडिया लिमिटेड | 138424200 | 100 | 138424200 | 100 |
| | o"kl dı vır eı | | | | |
| | एअर इंडिया लिमिटेड | 138424200 | 100 | 138424200 | 100 |

## ?k) nl 'kh"kl 'k;j/kkjdkı dh 'k;j/kkfjrk dk iVuı : (funı'kdx.k] iorîd rFkk thMhvkj ,oı ,Mhvkj dı vykok):

| Ø- lı. | 10 'kh"kl 'k;j/kkjdkı eı lı iR;ıd dı fy, | o"kl dı vkjHk eı 'k;j/kkfjrk | | o"kl dı vır eı lfpr 'k;j/kkfjrk | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 'k;jkı dh lı[;k | dıiuh dı 'k;jkı dk dıy ifr'kr | 'k;jkı dh lı[;k | Dıiuh dı 'k;jkı dk dıy ifr'kr |
| 1 | ykxı ugh | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

3) funs'kdk rFkk e[; ic/kdh; dkfedk dh 'k;j/kkfjrk:

| क्र- l. | iR;d funs'kdx.k rFkk iR;d e[; ic/kdh; dkfedk dh 'k;j/kkfjrk | o"k d vkjHk e /kkfjr 'k;j | | o"k d vr e /kkfjr lfpr 'k;j/kkfjrk | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 'k;jk dh l[;k | diuh d dy 'k;jk dk % | 'k;jk dh l[;k | diuh d dy 'k;jk dk % |
| 1 | श्री अश्विनी लोहानी (एअर इंडिया लिमिटेड के नामिति) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | श्री विनोद हेज़्माडी (एअर इंडिया लिमिटेड के नामिति) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | dy | 2 | 0 | 2 | 0 |

**V. _.kxLrrk & cdk;k C;kt@vftr ijr Hkxrku d fy, n; ugh lfgr diuh dh _.kxLrrk**

**(djkM #i, e)**

| | tek dk NkMdj jf{kr _.k | vjf{kr _.k | tek | dy _.kxLrrk |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) मूल राशि | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (i+ii+iii) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * परिवर्धन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * कमी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निवल परिवर्तन | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) मूल राशि | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (i+ii+iii) | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

d. ic/k fun'kd] i.kdkfyd fun'kdk rFkk@;k ic/kd dk fn;k tku okyk ikfjJfed :

(vkdMs : i, e)

| Ø- lा. | ikfjJfed dk fooj.k | ic/k fun'kd@i.kdkfyd fun'kd@ic/kd dk uke | | | | dy jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सकल वेतन | | | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | | | | | |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य | | | | | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | | | | | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | | | | | |
| 3 | स्वेट इक्विटी | | | | | |
| 4 | अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें | | | | | |
| 5 | अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि) | | | | | |
| | dy (क) | | | | | |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा | | | | | |

*diuh e dkbl ic/k fun'kd] i.kdkfyd fun'kd ugh g A

## [k- vU; fun'kdk dk ikfjJfed

| क्र-सं. | ikfjJfed dk fooj.k | fun'kdk d uke | | | | | d|y jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | | | | | | |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | | | | | | |
| | कमीशन | . | . | . | . | . | . |
| | अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क) | . | . | . | . | . | . |
| | d|y (1) | . | . | . | . | . | . |
| 2 | अन्य गैर अधिशासी निदेशक | . | . | . | . | . | . |
| | बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क | . | . | . | . | . | . |
| | कमीशन | . | . | . | . | . | . |
| | अन्य, कृपया स्पष्ट करें | . | . | . | . | . | . |
| | d|y (2) | . | . | . | | . | . |
| | d|y (ख) = (1 + 2) | . | . | . | . | . | . |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | . | . | . | . | . | . |
| | अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा | . | . | . | . | . | . |

## x- ic/k fun'kd@ic/kd@i.kdkfyd fun'kdk d vykok e[; ic/kdh; dkfedk dk ikfjJfed

**(vkdM fefy;u e)**

| Ø-l. | ikfjJfed dk fooj.k | e[; ic/kdh; dkfed | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | e[; vf/k'kklh vf/kdkjh | diuh lfpo | e[; foRr vf/kdkjh | e[; vf/k'kklh vf/kdkjh |
| 1 | सकल वेतन | | | ' | . |
| | (क)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | | . | . | |
| | (ख)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2)के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य | . | . | . | |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ | . | . | . | |
| 2 | स्टॉक विकल्प | . | . | . | |
| 3 | स्वेट इक्विटी | . | . | . | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | कमीशन | . | . | . | |
| | लाभ के % के रूप में | . | . | . | |
| | अन्य स्पष्ट करें | . | . | . | |
| 5 | अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि) | . | . | . | |
| | d|y | | | | |

* सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं। केवल मुख्य वित्त अधिकारी तथा कंपनी सचिव मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

मुख्य वित्त अधिकारी महाप्रबंधकः–वित्त के पद के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त अलावा कंपनी सचिव का पद भी संभाल रही हैं।

## VII. nM@l tk@vijk/kk dh dikmfMx

| idkj | diuh vf/kfu;e dh /kkjk | lf{kIr fooj.k | nM@l tk@ dikmfMx Qhl dk fooj.k | ikf/kdj.k ¼vkjMh@ ,ulh,yVh@dkV½ | vihy] ;fn dh xbl gl ¼fooj.k n½ |
|---|---|---|---|---|---|
| क. कंपनी | | | | | |
| दंड | . | . | . | . | . |
| सजा | . | . | . | . | . |
| कंपाउंडिंग | . | . | . | . | . |
| ख. निदेशकगण | | | | | |
| दंड | . | . | . | . | . |
| सज़ा | . | . | . | . | . |
| कंपाउंडिंग | . | . | . | . | . |
| ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी | | | | | |
| दंड | . | . | . | . | . |
| सज़ा | . | . | . | . | . |
| कंपाउंडिंग | . | . | . | . | . |

# Qkel l ,evkj&3
# 31 ekpl] 2019 dk lekIr foRrh; o"kl dk fy,
# lfpoh; y[kkijh{kk fjikVl

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्य,
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
सीआईएन–यू63090डीएल2003पीएलसी120790
एयरलाइन्स हाउस,
113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली – 110001.

मैंने एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (सीआईएन यू63090डीएल2003पीएलसी120790) (इसके बाद ^diuh^ के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका ।

कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए ('लेखापरीक्षा अवधि') इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन, कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम (जहां तक वे लागू हों);

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम ¼y[kkijh{kk vof/k d nkjku diuh ij ykx ugh½;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियां ¼y[kkijh{kk vof/k d nkjku diuh ij ykx ugh½;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक ¼ys[kkijh{kk vof/k ds nkSjku dEiuh ij ykxw ugha½;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 ¼ys[kkijh{kk vof/k ds nkSjku dEiuh ij ykxw ugha½;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षां) विनियम, 2009 ¼ys[kkijh{kk vof/k ds nkSjku dEiuh ij ykxw ugha½;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014 ¼ys[kkijh{kk vof/k ds nkSjku dEiuh ij ykxw ugha½;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008 ¼ys[kkijh{kk vof/k ds nkSjku dEiuh ij ykxw ugha½;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है ¼ys[kkijh{kk vof/k ds nkSjku dEiuh ij ykxw ugha½;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 ¼ys[kkijh{kk vof/k ds nkSjku dEiuh ij ykxw ugha½ एवं;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018 ¼ys[kkijh{kk vof/k ds nkSjku dEiuh ij ykxw ugha½A

(vi) कंपनी की अभिभावी अनुपालन प्रणाली पर ध्यान देते हुए और कंपनी के पदनामित अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण–पत्रों/प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र के आधार पर कंपनी ने कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्न विधियों का अनुपालन किया है।

(क) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

(ख) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(ग) कार्यस्थल पर (रोक, प्रतिषेध और निवारण) महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और प्रतिनिधित्व के आधार पर, मेरी राय में, कंपनी में मॉनीटरिंग एवं श्रम कानून सहित लागू सामान्य कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चय करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियाएं मौजूद हैं ।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून और वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों के रखरखाव जैसे लागू वित्तीय कानून का कंपनी द्वारा अनुपालन करने की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है, क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा–परीक्षा एवं अन्य नामांकित पेशेवरों की समीक्षा के अधीन है।

मैंने निम्न प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) तथा आम बैठकों (एसएस–2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक ।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ किए गए इक्विटी लिस्टिंग करार एवं ऋण लिस्टिंग करार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग की बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (diuh ij ykxw ugha)।

समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने निम्न प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है :

***i. दिनांक 25 अप्रैल 2018 से 05 सितंबर 2018 को आयोजित बोर्ड बैठकों के बीच अंतराल 120 दिनों से अधिक का था, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 173 (1) का उल्लंघन है।***

मैं/हम आगे यह भी सूचित करते हैं किः–

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

बोर्ड की बैठकों के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए और बैठक के पहले और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण लेने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है ।

प्रबंधन द्वारा जैसा प्रतिनिधित्व किया गया, बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए ।

जैसाकि हमें अभ्यावेदन मिला और हमें स्पष्ट किया गया, मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने एवं उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर संदर्भित कानून, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई जिसका कंपनी के मामलों पर भारी प्रभाव पड़े।

gLrk@&
g|lu okbZ- ok?k
व्यवसायिक कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड एस2013एमएच227200)
एसीएस संख्या : 32996
व्यवसाय प्रमाण–पत्र संख्या – 12153

LFkku : मुंबई
दिनांक : 06.09.2019

यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो 'ifjf'k"V d' के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है ।

*ifjf'k"V d*

सेवा में
सदस्यगण,
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
सीआईएन–यू63090डीएल2003पीएलसी120790
एयरलाइन्स हाउस,
113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली – 110001.

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है ।

2. मैंने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं ।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है ।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है ।

5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारा परीक्षण, परीक्षण जांच के आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित था ।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है ।

gLrk@&
gl|u okbl- ok?k
0;olk;h dEiuh lfpo
¼vkbl1h,lvkbl ;fud dkM
,l2013,e,p227200½
,lh,l lnL;rk % 32996
0;olk; izek.k&i= la[;k & 12153

LFkku % eqcbl
fnukad % 06-09-2019

## 31 ekp] 2019 d® lekIRk o"k d fy, ,vj bfM;k ,vj V'kl ikV lfolsl fyfeVM d foRRkh; fooj.k® ij dEiuh vf/kfu;e] 2013 d [kM 143 ¼6½¼[k½ d vRkxRk Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 06 सितंबर, 2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kkijh{kd
d fufeRRk v©j mudh v®j l

gLrk@&
¼ikph ikM½
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक एवं
पदेन सदस्य लेखापरीखा बोर्ड–I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 नवंबर 2019

# ,vj bfM;k ,vj Vkl ikV lfol l fyfeVM] ub fnYyh d lnL; d fy, LoRk= y[kkijh{kd dh fjiV

## foRrh; fooj.kk d y[kk ijh{k.k dh fjiV

### eRk

हमने ,vj bfM;k ,vj Vkl ikV lfol l fyfeVM (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत हेतु आधार पैरा में वर्णित विषय के प्रभावों के निर्धारण/विनिर्धारण को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे 31 मार्च 2019 को लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं ।

### eRk dk vgd vk/kkj

1. कंपनी ने निम्नलिखित लेखा शेषों को अग्रेषित किया है जो 31 मार्च 2019 को समाधान/समायोजन (यदि कोई हो) के लिए लंबित हैं।

   (क) कंपनी ने मेनुअल प्रणाली द्वारा सृजित सेवा दस्तावेज के आधार पर आईएटीए प्लेटफॉर्म से ग्राउंड हैंडलिंग सेवा राजस्व हेतु लेखांकन किया है। यह राजस्व आयटा से अस्वीकृति/समायोजन के मद्देजनर है। आयटा से ऐसी अस्वीकृति/समायोजन के लिए समाधान की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2014–15 से लंबित है। 31 मार्च 2019 को बकाया शेष राशि 511.02 मिलियन रूपए है, जिसके प्रति कंपनी ने 156.82 मिलियन रूपए का संभावित ऋण घाटा भत्ते का प्रावधान किया है। हम ऐसी शेष राशियों की वसूली के लिए प्रबंधन के मद पर आश्रित है, कम से कम रिपोर्टिंग मूल्य के समान और इसलिए, इसमें आगे किसी प्रकार के समायोजनों की आवश्यकता नहीं है।

   (ख) कर्मचारियों के लाभों से संबंधित व्ययों को रिकार्ड करने या लेखांकन की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, भविष्य निधि, ईएसआईसी, व्यावसायिक कर, स्रोत पर कर कटौती के संबंध में विभिन्न सांविधिक गैरअनुपान देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि कर्मचारी लाभ संबंधी खातों में प्रतिकूल शेष रिपोर्ट किया गया है, जिनका संबंधित सांविधिक रिपर्टों के साथ समाधान किया जा रहा है। कंपनी उक्त शेषों के समाधान और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के आकलन की प्रक्रिया में है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के प्रभाव का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं। हम प्रबंधन के तर्क पर विश्वास करते हैं कि ऐसी शेष राशियों के समाधान से वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए, चालू वर्ष हेतु किसी और समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

   (ग) व्यापार देय तथा व्यापार प्राप्यों की शेष राशियां, शेष पुष्टि और समाधान के मद्देनजर है। ऐसे समाधानों के लंबित होने पर ऋण शेष के निवल के रूप में रिपोर्ट किया गया व्यापार प्राप्य 58.00 मिलियन रूप

है और व्यापार प्राप्य ऋण शेष के निवल का 209.57 मिलियन है। उपयुक्त समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे समाधानों के प्रभावों का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं।

(घ) कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों से इतर पक्षों को उपलब्ध कराई गई ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में हवाईअड्डा प्राधिकरण कर एकत्र किया है। 31 मार्च 2019 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में ऐसे कर से एकत्र संचित राशि को अन्य वित्तीय देयता और व्यापार प्राप्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस राशि का भुगतान अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किया जाना है। ऐसे करों के समायोजनों के लंबित होने के कारण प्रबंधन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभवों की आशा नहीं कर रहा है।

उपर्युक्त मामलों का संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए राजस्व, वस्तुओं और सेवाकर, आयकर, वर्ष के लिए लाभ तथा प्राप्य, देय, शेयरधारक निधियों के संबंध में, किन्तु इन तक ही सीमित नहीं, वित्तीय विवरणों में उपलब्ध कराई गई सूचना के निर्धारण और प्रकटन पर परिणामी प्रभाव भी हो सकते हैं।

हमने अधिनियम के खंड 143 के उप खंड (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरुप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरुप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि हमारा अर्हक मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## fo"k; ij cy

1. वित्तीय विवरण के नोट सं. 24 में उल्लिखित अनुसार, कंपनी ने इंड एएस–8, 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन' के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय विवरण ( नीचे पैरा (1)(क) तथा (ख) में उल्लिखित मदों को छोड़कर) का पुननिर्धारण किया है।

   क. हम वित्तीय विवरणों के नोट 34 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने इंड एएस:12 यथा आयकर की अपेक्षाओं के अनुसार आय परिदृश्य के प्रति तुलनपत्र परिदृश्य का प्रयोग करने पर अंतरों पर आस्थिगित कर का परिकलन किया है। कंपनी ने आरंभिक संचयी प्रभाव (यथा 01 अप्रैल 2018 से) का परिकलन किया है जो 939.37 मिलियन रूपए की इस त्रुटिपूर्ण राशि के कारण है, जो एक या अधिक पूर्व अवधियों से संबंधित है। प्रबंधन के अनुसार, रिपोर्टिड पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक वित्तीय सूचना पर इस त्रुटि के अवधि विशिष्ट प्रभाव का निर्धारण अव्यवहारिक है और इसलिए, कंपनी 1 अप्रैल, 2018 को परिसंपत्तियों और अन्य इक्विटी के आरंभिक शेष के पुनर्निधारण द्वारा पूर्वगामी रूप से त्रुटि के संचयी प्रभाव को प्रस्तुत करती है।

   ख. हम वित्तीय विवरण के नोट सं. 42(i) पर आपका आकर्षित करते हैं कि, अभी तक कंपनी ने इंड एएस–109: वित्तीय साधनों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्यों) के घाटे के लिए प्रावधान नहीं किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 436.26 मिलियन रूपए की राशि

के समहू कंपनियों से इतर पक्षों से प्राप्य व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2019 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभाव का परिकलन किया है। कंपनी ने समूह कंपनियों से प्राप्य राशियों के संबंध में संभावित ऋण घाटों के प्रति शून्य रूपए पर विचार किया है।

ग. अन्य पूर्व अवधि समायोजन में राजस्व में गलत लेखांकन के कारण त्रुटियां/भूल, वसूली पर निवल विदेशी विनियम लाभ/(हानि) का लेखांकन, शेष बट्टा खाता, प्राप्य/देय राशियों के समाधान के प्रभाव और अन्य शामिल है। तदनुसार, संबंधित परिसंपत्तियों/देयताओं पर समरूपी प्रभाव के साथ पिछले वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में 171.99 मिलियन रूपए की राशि के निवल प्रभाव पर विचार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष के लिए अन्य इक्विटी में 177.04 मिलियन रूपए की समवर्ती कमी के संबंध में करपूर्व लाभ और अन्य वृहत आय में क्रमशः 171.99 मिलियन रूपए तथा 5.05 मिलियन रूपए की कमी हुई है। हमने सत्यापन किया है कि क्या प्रबंधन ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार पिछले वर्ष के लिए अशुद्ध वर्णन का समाधान किया है। पिछले वर्ष की हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का आशय पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण सेट के सत्यापन को शामिल करना नहीं है और ना ही हमने ऐसा सत्यापन किया है। इसलिए हम अपने सत्यापन को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान संज्ञान में आए पिछले वर्ष के अशुद्ध वर्णनों के प्रभावों तक सीमित रखते हैं।

तदनुसार, तुलनात्मक वित्तीय विवरण और लेखों संबंधी नोट तथा अन्य प्रकटन, जिस स्तर तक उन्हें तैयार किया गया है, उपर्युक्त (ग) के प्रभावों को निष्पादित करने के पश्चात शेयरधारकों द्वारा स्वीकार किए अनुसार तथा कंपनी के पूर्ववर्ती सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा उल्लिखित अनुसार प्रकाशित संख्या में है। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त पैरा (क) तथा (ख) में प्रस्तुत मदों के संभावित प्रभावों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और इसलिए, पिछले वर्ष की रिपोर्टिड वित्तीय सूचना विशुद्ध रूप से तुलनीय नहीं है।

2. कंपनी अपने अधिकतर राजस्व का सृजन एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) को सेवाएं उपलब्ध कराकर करती है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी दोनों द्वारा आपस में उपलब्ध कराई गई सभी सेवाओं के ब्यौरे को प्रदर्शित करने वाले वृहत समझौते में प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित प्रमुख सेवा करार के अभाव में, कंपनी ने दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत दर सूची के आधार पर अपने संव्यवहारों को रिकार्ड किया है। हम प्रबंधन के मत पर आश्रित है कि प्रमुख सेवा समझौते से कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसपर उसे वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा जिस वर्ष इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

3. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 27 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वर्णन करता है कि कंपनी की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) से अंतरित 2720.23 मिलियन रूपए (सकल ब्लॉक) तथा 765.81 मिलियन रूपए (निवल ब्लॉक) की परिसंपत्तियां शामिल हैं, जबकि पूर्ववर्ती वर्षों के लिए मूल्यह्रास का परिकलन करते समय, ऐसी परिसंपत्तियों की शेष उपयोगी जीवनकाल के प्रति कुल उपयोगी जीवनकाल के आधार पर मूल्यह्रास पर विचार किया गया था।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने मूल्यह्रास परिकलन को अद्यतन किया है और तदनुसार, शेष उपयोगी जीवनकाल को विभाजित करके दिनांक 1 अप्रैल 2018 को आरंभिक निवल ब्लॉक के आधार पर संशोधित मूल्यह्रास विधि में संशोधन किया है। हम चालू वर्ष से मूल्यह्रास उपलब्ध कराने के लिए संशोधित अनुमान के लिए प्रबंधन को आकलन पर आश्रित हैं।

31 मार्च 2018 को बहियों में शेषों सहित स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी द्वारा नियुक्ति स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है। दिनांक 13 अगस्त 2019 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी द्वारा 27.20 मिलियन रूपए की कमी पाई गई है। प्रबंधन लेखा बहियों में पाई गई इस कमी के प्रभाव की समीक्षा कर रही है और सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया में है

उपर उल्लिखित मामलों का संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए राजस्व, वस्तुओं और सेवाकर, आयकर, वर्ष के लिए लाभ तथा प्राप्य, देय, शेयरधारक निधियों के संबंध में, किन्तु इन तक ही सीमित नहीं, वित्तीय विवरणों में उपलब्ध कराई गई सूचना के निर्धारण और प्रकटन पर परिणामी प्रभाव भी हो सकते हैं।

इन विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

## foRRkh; fooj.kksa RkFkk mu ls lacf/kRk ys[kk ijh{kdksa dh fjiksVZ ls vyx vU; lwpuk

कम्पनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है परन्तु इसमें वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है। निदेशक की रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमे उपलब्ध होने की संभावना है।

वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें उपर्युक्त सूचना को पढ़ना है, जब वह हमें उपलब्ध हो जाए तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रुप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं। यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आभास होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

## foRRkh; fooj.kksa ds lac/k esa Áca/ku ds mRrjnkf;Ro

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम के अनुच्छेद–133, समय समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप–अनुच्छेद(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डो का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के

आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

## foRRkh; fooj.kksa dh y[kk ijh{k.k ds fy, y[kk ijh{kdksa dh mRrjnkf;Ro

हमारा उद्देश्य युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरणों समग्र रूप से महत्वपूर्ण दुर्विवरण से मुक्त हैं, क्श्स, जालसाजी अथवा चूक ये मुक्त हैं, ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना जो हमारे मत को प्रस्तुत करे। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग–अलग अथवा समस्त रुप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान लेना तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरुप तैयार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ–गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद (3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह प्रणाली प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रुप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना

कि क्या वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरुप में दिया गया है अथवा नहीं।

- हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रुप में काफी प्रभाव हो सकता है।

## vU; ekeys

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों की अन्य फर्म द्वारा की गई थी, जिन्होंने दिनांक 06 नवंबर 2018 की अपनी रिपोर्ट के तहत, उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में पैरा 1(ख) में वर्णित मुद्दे के संबंध में उन वित्तीय विवरणों पर आशोधित मत प्रस्तुत किया है।

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

## vU; fof/kd ,oa fofu;ked vis{kkvksa ij fjiksVZ

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारे मतानुसार, उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में वर्णित मुद्दे को छोड़कर विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी ने उचित लेखाबहियों का अनुरक्षण किया है जैसा कि लेखाबहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में वर्णित मुद्दों के निर्धारित/अनिर्धारित प्रभावों को छोड़कर, हमारे मतानुसार, उपयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधि ानियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक से संगत हैं।

(ड.) हमाने मतानुसार उपुर्यक्त अर्हता मत हेतु आधार में वर्णित मुद्दे का निष्कर्ष, का कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(च) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

(ज) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरण के नोट सं. 22 का संदर्भ लें;

(ii) कंपनी के डैरिवेटिव संविदाएं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

3. अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद (5) द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

(क) क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।

कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन संव्यवहारों के लिए प्रणाली उपस्थित है। तथापि, यह अवलोकन किया गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रणाली के निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के डिजाइन की उपयुक्तता को सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। हम और अधिक ब्यौरे के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (3) के खंड (i) के अंतर्गत उपर्युक्त वित्तीय विवरण के संदर्भ

में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट – अनुबंध ख पर हमारी पृथक रिपोर्ट में प्रस्तुत टिप्पणियों का संदर्भ लें।

(ख) क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई कर्ज नहीं लिए हैं।

(ग) क्या विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तो के अनुसार उचित उपयोग किया गया है ? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।

कंपनी ने वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के तहत कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं।

ÑR® 'kkg xIrk ,M dIiuh
सनदी लेखाकार
एफआरएम – 10957डब्ल्यू

gLrk@&
foiy dl pkDlh
साझेदार
सदस्यता संख्या : 37606
यूडीआईएन : 19037606AAAAB41459

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06.09.2019

# LorU= ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk vuqca/k **d**

## ¼lel[;d frfFk dh ,vj bf.M;k ,vj VªkalikVZ lfoZlsl fyfeVsM ds lnL;ksa dks gekjh fjiksVZ ds *vU; fof/kd vkSj fofu;ked vis{kkvksa ij fjiksVZ* [k.M ds varxZr iSjk 1 dk lanHkZ ysa½

i) (क) कम्पनी ने लेखा बहियों में उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण करती है। तथापि, स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर मात्रात्मक ब्यौरे सहित पूर्ण विवरण दर्शाता है और यह स्थिर परिसम्पतित्यों की स्थिति को नहीं दर्शाता है।

(ख) कंपनी ने स्वतंत्र एजेंसी की मदद से पिछले वर्ष के लिए स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है (वित्तीय विवरण के नोट 27 का संदर्भ लें)। तथापि, एजेंसी द्वारा पाई गई 27.20 मिलियन रूपए की राशि की कमी की प्रबंधान द्वारा समीक्षा की जा रही है और चालू वर्ष में लेखा बहियों में इनके प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की नीति के अनुसार प्रत्येक चार वर्षों के पश्चात भौतिक सत्यापन रोटेशन आधार पर किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति को दो वर्षों में शामिल किया जा सके। हमारे मतानुसार, स्थिर परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की इस आवधिकता को सुदृढ बनाने की आवश्यकता है। चूंकि प्रबंधन एजेंसी द्वारा निर्धारित कमियों की समीक्षा कर रहा है, हम इन विसंगतियों पर टिप्पणियां करने में सक्षम नहीं हैं, जो ऐसे सत्यापनों से उत्पन्न हो सकती थीं।

(ग) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है और इसलिए, इस आदेश का पैरा (i) (ग) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता को और सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। भौतिक स्टॉक और बही रिकार्डों के बीच सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियां की लेखाबहियों में इनकी उचित व्यवस्था कर दी गई है, केवल इसकी समूह कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा धारित इंवेंटरी को छोड़कर, जिनका समाधान किया जा रहा है और अंतिम समाधान के पश्चात इनका लेखांकन किया जाएगा।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार अधिनियम की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii)(क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iv) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, आदेश के पैरा 3 (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(vi) कंपनी ने अधिनियम की धारा 148 में विनिर्दिष्ट अनुसार लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। हमने व्यापक

स्तर पर अधिनियम के अनुच्छेद 148 के उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों की समीक्षा की है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों और रिकार्डो की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है।

(vii) क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकार, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रुप से जमा कराया जाता है, केवल भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, व्यावसायिक कर, आयकर, स्रोत पर कर कटौती और वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में देयराश्यिों के भुगतान के संबंध में गैर अनुपालन पाया गया है।

इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर तथा स्रोत पर कर कटौती की संबंधित सांविधिक रिटर्नों में समाधान किया जा रहा है। उपयुक्त सूचना के अभाव में, हम इस पर मत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने उक्त राशियों के देय होने की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए वर्ष के अंत में बकाया अविवादित देय राशियों (समाधान के लिए) को नोटिस किया गया है।

| fu;e dk uke | ns; jkf'k;ksa dh izd`fr | jkf'k ¼fefy;u :i, esa½ | vof/k ftlls ;g jkf'k lacaf/kr gS |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 | भविष्य निधि | 6.12 | समाधान किया जा रहा है |
| कर्मचारी राज्य बीमा, 1948 | ईएसआईसी देय राशियां | 7.86 | समाधान किया जा रहा है |
| व्यावसायिक कर | व्यावसायिक कर | 8.87 | समाधान किया जा रहा है |
| आय कर अधिनियम, 1961 | स्रोत पर कर की कटौती | 8.01 | समाधान किया जा रहा है |
| वस्तु एवं सेवा कर | जीएसटी पर टीडीएस (खंड 51) | 1.69 | समाधान किया जा रहा है |

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, बिक्रीकर, प्रवेश कर, मूल्य संवर्धन कर के संबध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं, जिन्हें विवादों के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो:

| fu;e dk uke | ns; jkf'k dh izd`fr | jkf'k ¼fefy;u :i, esa½ | vof/k ftlls ;g jkf'k lacaf/kr gS | U;k;ky; tgka fookn yafcr gS |
|---|---|---|---|---|
| वित्त अधिनियम, 1994 | सेवाकर | 1.10 | अप्रैल 2016 से जून 2017 | सीईएसटीएटी |

(viii) दस्तावेजों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार या डिबैंचर धारक से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है या डिबैंचर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (viii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ix) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने किसी आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग या अगले पब्लिक ऑफरिंग (ऋण व्यवस्थाओं सहित) के माध्यम से कोई धन या सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (ix) के अंतर्गत रिपोर्टंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर या उसके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी की सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(xi) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05.06.2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इस आदेश का पैरा 3 (ix) के अंतर्गत रिपोर्टंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए, इस आदेश का खंड 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमारे मतानुसार, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार अधिनियम के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का पूर्ण या आंशिक रुप से निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है और इसलिए इस आदेश के खंड 3 (xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है। इसलिए, इस आदेश के पैरा 3 (xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

ÑR® 'kkg xIrk ,M diuh
सनदी लेखाकार
एफआरएम – 10957डब्ल्यू

gLRkk@&
foiy d pkDlh
साझेदार
सदस्यता संख्या : 37606
यूडीआईएन : 19037606AAAAB41459

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06.09.2019

## LoRk= ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk vuqca/k **[k**

## ¼lelkekf;d frfFk dh ,vj bafM;k ,vj VªkalikVZ lfoZlsl fyfeVsM ds lnL;ksa dks gekjh fjiksVZ ds *vU; fof/kd vkSj fofu;kked vis{kkvksa ij fjiksVZ* [kaM ds vUrxZr iSjk 2¼p½ dk lanHkZ ys½

## daiuh vf/kfu;e 2013 ¼**vf/kfu;e**½ ds [kaM 143 ds mi [kaM 3 ds [kaM ¼i½ ds vUrxZr vkUrfjd foRrh; fu;a=.kksa ij fjiksVZA

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2019 को ,vj bafM;k ,vj VªkalikVZ lfoZlsl fyfeVsM ( जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

## vkUrfjd foRrh; fu;a=.kksa ds fy, Áca/ku dk mRrjnkf;Ro

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

## ys[kkijh{kd dk mRrjnkf;Ro

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

## foRRkh; fjiksfVax ij vkarfjd foRRkh; fu;a=.kksa dk vFkZ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करते हैं, (2)युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3)कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

## foRRkh; fjiksfVax ij vkarfjd foRRkh; fu;a=.kksa dh vUrfuZfgRk lhfeRkRkk,a

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

## vgRk eRk

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2019 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:

(क) लेखापरीक्षित किए जा रहे वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन की खामियां:

(i) महत्वपूर्ण कार्यविधियों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं उपस्थित नहीं हैं।

(ii) लेखांकन साफ्टवेयर में प्राधिकार नियंत्रण जैसे मेकर/चैकर नियंत्रण क्रियात्मक नहीं हैं।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया के भीतर कार्यों के विभाजन का अभाव या अनुपयुक्तता।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रण का अनुपयुक्त डिजाइन जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और चालू आवश्यकताओं के अनुसार सम्पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है।

(v) समय के आधार पर निकाय की आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालनिक कुशलता पर पहुंच का प्रयोग करने के लिए मॉनीटरिंग नियंत्रणों का अनुपयुक्त डिजाइन।

(vi) कंपनी के प्रचालनों के आकार को ध्यान में रखते पेरोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथापि, यह पाया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे उपस्थिति, अवकाश रिकार्ड, कार्यभार ग्रहण करने वाले नए तथा त्यागपत्र देने वाले कार्मिक का ब्यौरा, सांविधिक देयों का भुगतान, आदि पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं है और उनका अनुरक्षण मानवीय रूप से किया जा रहा है।

(ख) परिसंपत्तियों को हानि, क्षति या दुर्विनियोजन से सुरक्षित रखने के लिए अभिकल्पित नियंत्रणों की विफलता। कंपनी के पास लेखा बहियों से भौतिक इन्वेंटरी और स्थिर परिसंपत्तियों का समाधान करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण उपलब्ध नहीं है।

(ग) महत्वपूर्ण लेखों जैसे प्राप्य लेखे, देय लेखे, रिटर्न सहित सांविधिक देय के समाधान के निष्पादन में विफलता तथा पेरोल शेष को समय पर और सटीक रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

(घ) आंतरिक नियंत्रण में नियंत्रण खामियों के संकेतक और महत्वपूर्ण कमियों को कड़े संकेतक निम्नानुसार हैं:

(i) महत्वपूर्ण दुर्विवरण में शुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए पूर्व में जारी वित्तीय विवरणों का पुनर्निर्धारण। यह दर्शाता है कि समापन के समय कटऑफ प्रक्रियाएं कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं।

(ii) लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण दुर्विवरण को पहचान किया जाना, जिसे निकाय के आंतरिक नियंत्रण द्वारा आरंभिक स्तर पर पकड़ा नहीं जा सका।

(iii) आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सीमित है और इसमें विभिन्न अनिवार्य प्रक्रियाएं शामिल नहीं हैं जैसे पेरोल, स्थिर परिसंपत्तियां, इंवेंटरी। अकुशल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए अपेक्षित है कि महत्वपूर्ण लेखांकन कार्यों को युक्तिसंगत अंतरालों में शामिल तथा मॉनीटर किया जाए।

(iv) कंपनी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसरण के गैर–अनुपालन की घटनाएं देखी गई हैं। यह कुशल विनियामक अनुपालन प्रक्रिया को दर्शाता है।

''सामग्रीगत खामी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभाव के कारण कंपनी ने दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2019 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त और कुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण नहीं किया है।

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और इन सामग्रीगत खामियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर अर्हक मत जारी किया है।

ÑR® 'kkg xIrk ,M diuh
सनदी लेखाकार
एफआरएम – 10957डब्ल्यू

हस्ता/–
¼foiy d pkDlh½
साझेदार
सदस्यता संख्या : 37606
यूडीआईएन : 19037606AAAAB41459

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06.09.2019

# foRrh; o"k 2018&19 d fy, ,vj bfM;k ,vj VkalikV lfolsl fyfeVM d foRrh; fooj.k ij Lor= y[kkijh{kd dh fjikV ij ic/ku dk mRrj

| Ø-l | Lor= y[kkijh{kd dh fVIif.k;k | ic/ku dh fVIif.k;k |
|---|---|---|
| | एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट | |
| | eRk–हमने एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है। हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत हेतु आधार पैरा में वर्णित विषय के प्रभावों के निर्धारण/विनिर्धारण को छोडकर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे 31 मार्च, 2019 को लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं । | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | eRk dk vgd vk/kkj | |
| 3.1 | कंपनी ने निम्नलिखित लेखा शेषों को अग्रेषित किया है जो 31 मार्च 2019 को समाधान/समायोजन (यदि कोई हो) के लिए लंबित हैं। | |
| (क) | कंपनी ने मेनुअल प्रणाली द्वारा सृजित सेवा दस्तावेज के आधार पर आईएटीए प्लेटफॉर्म से ग्राउंड हैंडलिंग सेवा राजस्व हेतु लेखांकन किया है। यह राजस्व आयटा से अस्वीकृति/समायोजन के मद्देनजर है। आयटा से ऐसी अस्वीकृति/समायोजन के लिए समाधान की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2014–15 से लंबित है। 31 मार्च 2019 को | आयटा क्लियरेंस हाउस (आईसीएच) के माध्यम से अन्य एयरलाइनों की बिलिंग स्वचालित प्रणाली (एमबीए) के द्वारा की जाती है, तथापि, बिलिंग का आधार रैम्प सहायता फॉर्म (आरएएफ) के अनुसार होता है, जो मानवीय रूप से क्रमानुसार नियंत्रित होता है और इसके रिकार्डों का उचित अनुरक्षण किया जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| | बकाया शेष राशि 511.02 मिलियन रूपए है, जिसके प्रति कंपनी ने 156.82 मिलियन रूपए का संभावित ऋण घाटा भत्ते का प्रावधान किया है। हम ऐसी शेष राशियों की वसूली के लिए प्रबंधन के मद पर आश्रित है, कम से कम रिपोर्टिट मूल्य के समान और इसलिए, इसमें आगे किसी प्रकार के समायोजनों की आवश्यकता नहीं है। | आईसीएच के माध्यम से बिलिंग एक सुस्थापित निर्धारित प्रक्रिया है, जिसका अनुसरण विश्वभर में अधिकतर एयरलाइनों द्वारा किया जाता है। आईसीएच द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, एयरलाइनें प्रोटोकॉल का अनुसरण करने के पश्चात रीचार्ज का अधिकार रखती हैं, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। मामले के गुणदोषों के आधार पर, कंपनी रीचार्ज की समीक्षा करती है और या तो रीचार्ज को स्वीकार करती है या एयरलाइन को पुनःबिल प्रस्तुत करती है।<br><br>तथापि, संभावित ऋण घाटा मॉडल के अंतर्गत संदिग्ध मदों की व्यवस्था के लिए इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुसार इन सभी वर्षों के लिए देय राशियों के प्रति पहले ही 156.82 मिलियन रूपयों का प्रावधान किया गया है और रीजार्च के लिए एयरलाइनों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए भविष्य में आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। |
| (ख) | कर्मचारियों के लाभों से संबंधित व्ययों को रिकार्ड करने या लेखांकन की प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, भविष्य निधि, ईएसआईसी, व्यावसायिक कर, स्रोत पर कर कटौती के संबंध में विभिन्न सांविधिक गैर–अनुपान देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि कर्मचारी लाभ संबंधी खातों में प्रतिकूल शेष रिपोर्ट किया गया है जिनका संबंधित सांविधिक रिपर्टों के साथ समाधान किया जा रहा है।<br><br>कंपनी उक्त शेषों के समाधान और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के आकलन की प्रक्रिया में है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के प्रभाव का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं। हम प्रबंधन के तर्क पर विश्वास करते हैं कि ऐसी शेष राशियों के समाधान से वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए, चालू वर्ष हेतु किसी और समायोजन की आवश्यकता नहीं है। | हालांकि पेरोल को एसएपी के एचआर मॉडयुल में इनपुटों के आधार पर तैयार किया जाता है, कर्मचारियों की उपस्थिति का अनुरक्षण मानवीय आधार पर किया जाता है और तदनुसार सेप रिकार्डों को अद्यतन किया जाता है। भविष्य निधि, ईएसआईसी, पीटी, टीडीएस की सांविधिक कटौतियों का भुगतान कर दिया गया है, तथापि, ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं (जैसे पेन/आधार कार्ड की अनुपलब्धता, कर्मचारियों के केवाईसी अभिलेखन में नामों तथा का मिलान न होना, कर्मचारी संबंधी अन्य ब्यौरा, जो भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, यूएनए नम्बर सृजित न होना तथा यूएनए संख्या की अनुपस्थिति में कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है)। विलंब के मामलों में काईवाई की जा रही है और अगले वित्तीय वर्ष में इनका समाधान कर लिया जाएगा। |
| (ग) | व्यापार देय तथा व्यापार प्राप्यों की शेष राशियां, शेष पुष्टि और समाधान के मद्देनजर है। ऐसे समाधानों के लंबित होने पर ऋण शेष के निवल के रूप में रिपोर्ट किया गया व्यापार प्राप्य 58.00 मिलियन रूपए है और व्यापार प्राप्य ऋण शेष के निवल का 209.57 मिलियन है। उपयुक्त समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे समाधानों के प्रभावों का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं। | समूह कंपनी से 2408.94 मिलियन रूपए के कुल व्यापार प्राप्य शामिल हैं, जिसे संबंधित समूह कंपनी द्वारा पुष्ट किया है (जो कुल व्यापार प्राप्य का 60 प्रतिशत है)। तथापि, 1599.77 मिलियन रूपए की शेष राशि (यथा केवल 40 प्रतिशत) बाहरी पक्षों से संबंधित है, जिसके लिए कंपनी ने वर्ष समाप्ति शेष पुष्टि के लिए पत्र भेजे हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| | व्यापार देय तथा व्यापार प्राप्यों की शेष राशियां, शेष पुष्टि और समाधान के मद्देनजर है। ऐसे समाधानों के लंबित होने पर ऋण शेष के निवल के रूप में रिपोर्ट किया गया व्यापार प्राप्य 58.00 मिलियन रूपए है और व्यापार प्राप्य ऋण शेष के निवल का 209.57 मिलियन है। उपयुक्त समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे समाधानों के प्रभावों का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं। | हमें चालू वर्ष के दौरान पुष्टि और तत्पश्चात राशियां प्राप्त हुई हैं, जो कुल बकाया राशियों का लगभग 80–85 प्रतिशत के स्तर पर है। तथापि, शेष राशियों की पुष्टि को अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि अगले वित्तीय वर्ष में समाधान/नॉकिंग ऑफ (यथा समान पक्षों से जमा शेष सहित नामे शेष) किया जाएगा। |
| (घ) | कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों से इतर पक्षों को उपलब्ध कराई गई ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में हवाईअड्डा प्राधिकरण कर एकत्र किया है। 31 मार्च, 2019 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में ऐसे कर से एकत्र संचित राशि को अन्य वित्तीय देयता और व्यापार प्राप्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस राशि का भुगतान अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किया जाना है। ऐसे करों के समायोजनों के लंबित होने के कारण प्रबंधन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभवों की आशा नहीं कर रहा है। | हालांकि, कंपनी ने देयताओं का प्रावधान विवेक के आधार पर किया है, संबंधित प्राधिकरणों को भुगतान उनके दावों के सत्यापन के पश्चात ऐसे प्राधिकरणों से बीजकों की प्राप्त पर किया गया है। |
| | उपर उल्लिखित मामलों का संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए राजस्व, वस्तुओं और सेवाकर, आयकर, वर्ष के लिए लाभ तथा प्राप्य, देय, शेयरधारक निधियों के संबंध में, किन्तु इन तक ही सीमित नहीं, वित्तीय विवरणों में उपलब्ध कराई गई सूचना के निर्धारण और प्रकटन पर परिणामी प्रभाव भी हो सकते हैं।<br><br>हमने अधिनियम के खंड 143 के उप खंड (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरुप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरुप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि हमारा अर्हक मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं। | कंपनी का यह स्पष्ट मत है कि उपर्युक्त से कंपनी के वित्तीय व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।<br><br>यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | fo"k; ij cy | |
|---|---|---|
| 1. | वित्तीय विवरण के नोट सं. 27 में उल्लिखित अनुसार, कंपनी ने इंड एएस–8, 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन' के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय विवरण (नीचे पैरा (1)(क) तथा (ख) में उल्लिखित मदों को छोड़कर) का पुननिर्धारण किया है। | इंड एएस 8 की अपेक्षाओं के अनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनवर्णित किया गया है। |
| क. | हम वित्तीय विवरणों के नोट 34 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने इंड एएसः12 यथा आयकर की अपेक्षाओं के अनुसार आय परिदृश्य के प्रति तुलनपत्र परिदृश्य का प्रयोग करने पर अंतरों पर आस्थिगित कर का परिकलन किया है। कंपनी ने आरंभिक संचयी प्रभाव (यथा 01 अप्रैल 2018 से) का परिकलन किया है जो 939.37 मिलियन रूपए की इस त्रुटिपूर्ण राशि के कारण है, जो एक या अधिक पूर्व अवधियों से संबंधित है। प्रबंधन के अनुसार, रिपोर्टिड पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक वित्तीय सूचना पर इस त्रुटि के अवधि विशिष्ट प्रभाव का निर्धारण अव्यवहारिक है और इसलिए, कंपनी 1 अप्रैल, 2018 को परिसंपत्तियों और अन्य इक्विटी के आरंभिक शेष के पुनर्निधारण द्वारा पूर्वगामी रूप से त्रुटि के संचयी प्रभाव को प्रस्तुत करती है। | आस्थगित कर/देयताओं का अनुमान तुलनपत्र तिथि को वर्ष के अंत में किया जा रहा है। आस्थिगित कर परिसंपत्तियों /देयताओं के अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन के मामले में, भावी प्रभाव को दर्शाया जाता है, जैसा कि कंपनी की नीति और इंड एएस 8 में उल्लेख किया गया है। |
| ख. | हम वित्तीय विवरण के नोट सं. 42(i) पर आपका आकर्षित करते हैं कि, अभी तक कंपनी ने इंड एएस–109: वित्तीय साधनों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्यों) के घाटे के लिए प्रावधान नहीं किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 436.26 मिलियन रूपए की राशि के समूह कंपनियों से इतर पक्षों से प्राप्य व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2019 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभाव का परिकलन किया है। कंपनी ने समूह कंपनियों से प्राप्य राशियों के संबंध में संभावित ऋण घाटों के प्रति शून्य रूपए पर विचार किया है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | | |
|---|---|---|
| ग. | अन्य पूर्व अवधि समायोजन में राजस्व में गलत लेखांकन के कारण त्रुटियां/भूल, वसूली पर निवल विदेशी विनियम लाभ/(हानि) का लेखांकन, शेष बट्टा खाता, प्राप्य/देय राशियों के समाधान के प्रभाव और अन्य शामिल है। तदनुसार, संबंधित परिसंपत्तियों/देयताओं पर समरूपी प्रभाव के साथ पिछले वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में 171.99 मिलियन रूपए की राशि के निवल प्रभाव पर विचार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के लिए अन्य इक्विटी में 177.04 मिलियन रूपए की समवर्ती कमी के संबंध में करपूर्व लाभ और अन्य वृहत आय में क्रमशः 171.99 मिलियन रूपए तथा 5.05 मिलियन रूपए की कमी हुई है। | इसे इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुपालन में किया गया है। |
| | हमने सत्यापन किया है कि क्या प्रबंधन ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धंतों के अनुसार पिछले वर्ष के लिए अशुद्ध वर्णन का समाधान किया है। पिछले वर्ष की हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का आशय पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण सेट के सत्यापन को शामिल करना नहीं है और ना ही हमने ऐसा सत्यापन किया है। इसलिए हम अपने सत्यापन को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान संज्ञान में आए पिछले वर्ष के अशुद्ध वर्णनों के प्रभावों तक सीमित रखते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | तदनुसार, तुलनात्मक वित्तीय विवरण और लेखों संबंधी नोट तथा अन्य प्रकटन, जिस स्तर तक उन्हें तैयार किया गया है, उपर्युक्त (ग) के प्रभावों को निष्पादित करने के पश्चात शेयरधारकों द्वारा स्वीकार किए अनुसार तथा कंपनी के पूर्ववर्ती सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा उल्लिखित अनुसार प्रकाशित संख्या में है। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त पैरा (क) तथा (ख) में प्रस्तुत मदों के संभावित प्रभावों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और इसलिए, पिछले वर्ष की रिपोर्टिड वित्तीय सूचना विशुद्ध रूप से तुलनीय नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| 2 | कंपनी ने सामान्य ऋण अवधि के पश्चात 148.19 मिलियन की राशि के समूह कंपनी के बकाया शेषों पर ब्याज प्रभारित किया है। इस राशि को संबंधित समूह कंपनियों के साथ शेष पुष्टि में समाधान मद के रूप में स्वीकार किया गया है। हम ऐसे शेषों की वसूली, कम से कम रिपोर्टिड मूल्य के समतुल्य, के लिए प्रबंधन के मत पर आश्रित हैं और इसलिए आगे और कोई समायोजन नहीं किए गए हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | कंपनी अपने अधिकतर राजस्व का सृजन एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) को सेवाएं उपलब्ध कराकर करती है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी दोनों द्वारा आपस में उपलब्ध कराई गई सभी सेवाओं के ब्यौरे को प्रदर्शित करने वाले वृहत समझौते में प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। अनुमोदित प्रमुख सेवा करार के अभाव में, कंपनी ने दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत दरसूची के आधार पर अपने संव्यवहारों को रिकार्ड किया है। हम प्रबंधन के मत पर आश्रित है कि प्रमुख सेवा समझौते से कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसपर उसे वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा जिस वर्ष इसपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। | एमएसए निष्पादन स्तर पर है। |
| 4 | हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 30 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वर्णन करता है कि कंपनी की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) से अंतरित 2720.23 मिलियन (सकल ब्लॉक) तथा 765.81 मिलियन (निवल ब्लॉक) की परिसंपत्तियां शामिल हैं, जबकि पूर्ववर्ती वर्षों के लिए मूल्यह्रास का परिकलन करते समय, ऐसी परिसंपत्तियों की शेष उपयोगी जीवनकाल के प्रति कुल उपयोगी जीवनकाल के आधार पर मूल्यह्रास पर विचार किया गया था। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने मूल्यह्रास परिकलन को अद्यतन किया है और तदनुसार, शेष उपयोगी जीवनकाल को विभाजित करके दिनांक 1 अप्रैल 2018 को आरंभिक निवल ब्लॉक के आधार पर संशोधित मूल्यह्रास विधि में संशोधन किया है। हम चालू वर्ष से मूल्यह्रास उपलब्ध कराने के लिए संशोधित अनुमान के लिए प्रबंधन को आकलन पर आश्रित हैं।<br><br>31 मार्च 2018 को बहियों में शेषों सहित स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी द्वारा नियुक्ति स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है। दिनांक 13 अगस्त 2019 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी द्वारा 27.20 मिलियन रूपए की कमी पाई गई है। प्रबंधन लेखा बहियों में पाई गई इस कमी के प्रभाव की समीक्षा कर रही है और सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है।<br><br>इस संबंध में प्रबंधन से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के अगले वित्तीय वर्ष में लेखा बहियों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| | ऊपर उल्लिखित मामलों का संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए राजस्व, वस्तुओं और सेवाकर, आयकर, वर्ष के लिए लाभ तथा प्राप्य, देय, शेयरधारक निधियों के संबंध में, किन्तु इन तक ही सीमित नहीं, वित्तीय विवरणों में उपलब्ध कराई गई सूचना के निर्धारण और प्रकटन पर परिणामी प्रभाव भी हो सकते हैं। | भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पाई गई कमियों की तुलना में कुल परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन का यह दृढ मत है कि इसके कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा पहचानी गई कमियों को उपयुक्त रूप से प्रकटन किया गया है। |
| | इन विषयों के संबंध में हमारा मत परिवर्तित नहीं है। | |
| | | |
| | foRRkh; fooj.kk RkFkk mu l lcf/kRk y[kk ijh{kdk dh fjiV l vyx vU; lpuk<br><br>कम्पनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है परन्तु इसमें वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है। निदेशक की रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमे उपलब्ध होने की संभावना है।<br><br>वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।<br><br>वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें उपर्युक्त सूचना को पढ़ना है, जब वह हमें उपलब्ध हो जाए तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रुप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं। यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आभास होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है।<br><br>यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | foRRkh; fooj.kk d lc/k e Ác/ku d mRrjnkf;Ro | |
| | कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम के अनुच्छेद–133, समय समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | | |
|---|---|---|
| | रोकड़ प्रवाह के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप–अनुच्छेद(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डो का अनुरक्षण भी शामिल है।<br><br>इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन और निदेशक मंडल कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।<br><br>कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है। | |
| | foRRkh; fooj.kksa dh y[kk ijh{k.k dh fy, y[kk ijh{kdksa dh mRrjnkf;Ro | |
| | हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसएएस प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | | |
|---|---|---|
| | लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रुप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।<br><br>एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–<br><br>■ वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरुप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ–गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।<br><br>■ परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद (3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्त करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।<br><br>■ प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना। | |

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रुप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरुप में दिया गया है अथवा नहीं।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| | शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रुप में काफी प्रभाव हो सकता है। | |
| | vU; ekeyk | |
| | 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों की अन्य फर्म द्वारा की गई थी, जिन्होंने दिनांक 06 नवंबर 2018 की अपनी रिपोर्ट के तहत, उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में पैरा 1(ख) में वर्णित मुद्दे के संबंध में उन वित्तीय विवरणों पर आशोधित मत प्रस्तुत किया है।<br><br>अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं। | |
| | vU; fof/kd ,oa fofu;ked vi{kkvksa ij fjiksVZ | |
| 1 | कंपनी अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम अनुबंध–क के रूप में दे रहे हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| 2 | अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि : | |
| (क) | हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ख) | हमारे मतानुसार, उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में में वर्णित मुद्दे को छोड़कर विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी ने उचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है जैसा कि लेखा बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | | |
|---|---|---|
| (ग) | इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (घ) | उपुर्यक्त अर्हता मत का आधार पैरा में वर्णित मुद्दों के निर्धारित/अनिर्धारित प्रभावों को छोड़कर, हमारे मतानुसार, उपयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक से संगत हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ड.) | हमाने मतानुसार उपुर्यक्त अर्हता मत हेतु आधार में वर्णित मुद्दे का निष्कर्ष, का कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (च) | निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा(2) के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (छ) | कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ज) | निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक सं संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (i) | हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में: | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (ii) | कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरण के नोट सं. 22 का संदर्भ लें; | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (iii) | कंपनी के डैरिवेटिव संविदाएं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| (iv) | ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप–अनुच्छेद (5) द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि: | |
| (क) | क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।<br><br>कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन संव्यवहारों के लिए प्रणाली उपस्थित है। तथापि, यह अवलोकन किया गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रणाली के निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के डिजाइन की उपयुक्तता को सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। हम और अधिक ब्यौरे के लिए अधिनियम के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (3) के खंड (i) के अंतर्गत उपर्युक्त वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट – अनुबंध ख पर हमारी पृथक रिपोर्ट में प्रस्तुत टिप्पणियों का संदर्भ लें। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | (ख) क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।<br><br>कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई कर्ज नहीं लिए हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | (ग) क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से प्राप्त/ प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तो के अनुसार उचित उपयोग किया गया है ? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।<br><br>कंपनी ने वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के तहत कोई निधियां प्राप्त नहीं की हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | LoRk= y[kkijh{kdk dh fji®V dk vuqc/k **d** | |

| | | |
|---|---|---|
| | i) (क) कम्पनी ने लेखा बहियों में उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण करती है। तथापि, स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर मात्रात्मक ब्यौरे सहित पूर्ण विवरण दर्शाता है और यह स्थिर परिसम्पतित्यों की स्थिति को नहीं दर्शाता है। | स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर अनुरक्षण सेप में किया जाता है अैर उसमें सभी अपेक्षित ब्यौरा होता है, तथापि, इसका अनुरक्षण व्यापार क्षेत्रवार रखा जाता है जो कि सेप में नामावली है और इसका स्थल व्यवसाय क्षेत्र है। |
| | (ख) कंपनी ने स्वतंत्र एजेंसी की ममद से पिछले वर्ष के लिए स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है (वित्तीय विवरण के नोट 30 का संदर्भ लें)। तथापि, एजेंसी द्वारा पाई गई 27.20 मिलियन रूपए की राशि की कमी की प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जा रही है और चालू वर्ष में लेखा बहियों में इनके प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की नीति के अनुसार प्रत्येक चार वर्षों के पश्चात भौतिक सत्यापन रोटेशन आधार पर किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति को दो वर्षों में शामिल किया जा सके। हमारे मतानुसार, स्थिर परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की इस आवधिकता का सुदृढ बनाने की आवश्यकता है। चूंकि प्रबंधन एजेंसी द्वारा निर्धारित कमियों की समीक्षा कर रहा है, हम इन विसंगतियों पर टिप्पणियां करने में सक्षम नहीं हैं, जो ऐसे सत्यापनों से उत्पन्न हो सकती थीं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। स्थिर परिसंपत्ति के सत्यापन के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया गया है और हमने इसके द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट कर लिया है तथा भविष्य में दी जाने वाली सलाह के रूप में इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। |
| | (ग) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है और इसलिए, इस आदेश का पैरा (i) (ग) कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | (ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता को और सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। भौतिक स्टॉक और बही रिकार्डों के बीच सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियां की लेखाबहियों में इनकी उचित व्यवस्था कर दी गई है, केवल इसकी समूह कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा धारित इंवेंटरी को छोड़कर, जिनका समाधान किया जा रहा है और अंतिम समाधान के पश्चात इनका लेखांकन किया जाएगा। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | | |
|---|---|---|
| | (iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार अधिनियम की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii)(क), (ख) तथा (ग) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | (iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (v) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, आदेश के पैरा 3 (v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होती। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | (vi) कंपनी ने अधिनियम की धारा 148 में विनिर्दिष्ट अनुसार लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। हमने व्यापक स्तर पर अधिनियम के अनुच्छेद 148 के उप अनुच्छेद (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों की समीक्षा की है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों और रिकार्डो की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | | |
|---|---|---|
| | (vii) क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकार, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रुप से जमा कराया जाता है केवल भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, व्यावसायिक कर, आयकर, स्रोत पर कर कटौती और वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में देयराश्यिों के भुगतान के संबंध में गैर अनुपालन पाया गया है।<br><br>इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर तथा स्रोत पर कर कटौती की संबंधित सांविधिक रिटर्नों में समाधान किया जा रहा है। उपयुक्त सूचना के अभाव में, हम इस पर मत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं।<br><br>हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने उक्त राशियों के देय होने की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए वर्ष के अंत में बकाया अविवादित देय राशियों (समाधान के लिए) को नोटिस किया गया है। | कंपनी व्यापक स्तर पर सांविधिक देय राशियों का भुगतान समय पर कर रही है, कुछ मामलों को छोड़कर जहां कुछ गैर–अनुपालन हुआ है, जो कि बढ गाया है और इसके निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ की गई है जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान संज्ञान में आए हैं और इन्हें तीव्रता के साथ पूरा करेने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। |
| | (see table below) | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| fu;e dk uke | ns; jkf'k;ksa dh izdfr | jkf'k ¼fefy;u :i, esa½ | vof/k ftlls ;g jkf'k lacaf/kr gS |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 | भविष्य निधि | 6.12 | समाधान किया जा रहा है |
| कर्मचारी राज्य बीमा, 1948 | ईएसआईसी देय राशियां | 7.86 | समाधान किया जा रहा है |
| व्यावसायिक कर | व्यावसायिक कर | 8.87 | समाधान किया जा रहा है |
| आय कर अधिनियम, 1961 | स्रोत पर कर की कटौती | 8.01 | समाधान किया जा रहा है |
| वस्तु एवं सेवा कर | जीएसटी पर टीडीएस (खंड 51) | 1.69 | समाधान किया जा रहा है |

<table>
<tr><td></td><td>(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डो की हमारी जांच के अनुसार आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, बिक्रीकर, प्रवेश कर, मूल्य संवर्धन कर के संबध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं जिन्हें विवादों के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो:
<table>
<tr><th>fu;e dk uke</th><th>ns; jkf'k dh izdfr</th><th>jkf'k ¼fefy;u :i, eas½</th><th>vof/k ftlls ;g jkf'k lacaf/kr gS</th><th>U;k;ky; tgka fookn yafcr gS</th></tr>
<tr><td>वित्त अधिनियम, 1994</td><td>सेवाकर</td><td>1.10</td><td>अप्रैल 2016 से जून 2017</td><td>सीईएसटीएटी</td></tr>
</table></td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(viii) दस्तावेजों और रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार या डिबैंचरधारक से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है या डिबैंचर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (viii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ix) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने किसी आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग या अगले पब्लिक ऑफरिंग (ऋण व्यवस्थाओं सहित) के माध्यम से कोई धन या सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (ix) के अंतर्गत रिपोर्टंग कंपनी पर लागू नहीं है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर या उसके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी की सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(xi) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इस आदेश का पैरा 3 (ix) के अंतर्गत रिपोर्टंग कंपनी पर लागू नहीं है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए, इस आदेश का खंड 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है।</td><td>यह एक तथ्यात्मक विवरण है।</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | (xiii) हमारे मतानुसार, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार अधिनियम के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | (xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का पूर्ण या आंशिक रुप से निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है और इसलिए इस आदेश के खंड 3 (xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | (xv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यसवहार नहीं किया है। इसलिए, इस आदेश का पैरा 3 (xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | (xvi) कंपनी को शरतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। | |
| | स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''ख'' | |
| | हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2019 को एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |

| | | |
|---|---|---|
| | तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, कियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं। | |
| | y[kkijh{kd dk mRRkjnkf;Ro | |
| | हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरण ों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।<br><br>हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है। | |

| | | |
|---|---|---|
| | foRRkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foRRkh; fu;a=.kksa dk vFkZ | |
| | वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करते हैं, (2)युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3)कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | foRRkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foRRkh; fu;a=.kksa dh vUrfufgr lhekk,a | |
| | चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है। | यह एक तथ्यात्मक विवरण है। |
| | vgZrk eRk | |
| | हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2019 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं: | |

| | | |
|---|---|---|
| | (क) लेखापरीक्षित किए जा रहे वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन की खामियां: | कंपनी निरंतर रूप से अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को सुदृढ बना रहा है और अपनी आंतरित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। |
| | (i) महत्वपूर्ण कार्यविधियों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं उपस्थित नहीं हैं। | संबंधित विभागों में वर्तमान कार्य प्रणाली के आधार पर विभिन्न विभागों के लिए पहले ही संक्षिप्त प्रक्रिया नोट तैयार किया गया है, जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और उसे समय समय पर सुदृढ किया जाता है। |
| | (ii) लेखांकन साफ्टवेयर में प्राधिकार नियंत्रण जैसे मेकर/चैकर नियंत्रण क्रियात्मक नहीं हैं। | कंपनी के पास सेप के माध्यम से ऑटोमेशन नियंत्रण विद्यमान है जैसे मेकर/चैकर, तथापि, पर्याप्त श्रमशक्ति की कमी और कंपनी के व्यापक नेटवर्क के कारण यह कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहा है, जिसको संज्ञान में लिया गया है और समय समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। |
| | (iii) महत्वपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया के भीतर कार्यों के के विभाजन का अभाव या अनुपयुक्तता। | वित्त विभाग में पर्याप्त श्रमशक्ति की कमी और कंपनी के व्यापक नेटवर्क के कारण, दायित्वों का कुशल विभाजन प्राप्त नहीं किया जा सका है, जिसे संज्ञान में लिया गया है और समय समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। |
| | (iv) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सामान्य और अनुप्रयोग नियंत्रण का अनुपयुक्त डिजाइन जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और चालू आवश्यकताओं के अनुसार सम्पूर्ण और सटीक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है। | कंपनी समूह कंपनियों के लिए स्थापित एसओपी को आधार पर सेप प्रणाली का प्रयोग कर रही है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है और कंपनी का यह दृढ विश्वास है कि यसह उपयुक्त हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग उद्धेश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। |
| | (v) समय के आधार पर निकाय की आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालनिक कुशलता पर पहुंच का प्रयोग करने के लिए मॉनीटरिंग नियंत्रणों का अनुपयुक्त डिजाइन। | आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है और समय–समय पर आवश्यक निवारक कार्रवाई की जाती है। |
| | (vi) कंपनी के प्रचालनों के आकार को ध्यान में रखते पेरोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथापि, यह पाया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे उपस्थिति, अवकाश रिकार्ड, कार्यभार ग्रहण करने वाले नए तथा त्यागपत्र देने वाले कार्मिक का ब्यौरा, सांविधिक देयों का भुगतान, आदि पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं है और उनका अनुरक्षण मानवीय रूप से किया जा रहा है। | कंपनी उपस्थिति मॉनीटरिंग प्रणाली तथा अन्य संबंधित गतिविधियों सहित पे–रोल प्रणाली का सम्पूर्ण स्वचालन करने की प्रक्रिया में है। |

| | | |
|---|---|---|
| | (ख) परिसंपत्तियों को हानि, क्षति या दुर्विनियोजन से सुरक्षित रखने के लिए अभिकल्पित नियंत्रणों की विफलता। कंपनी के पास लेखा बहियों से भौतिक इन्वेंटरी और स्थिर परिसंपत्तियों का समाधान करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण उपलब्ध नहीं है। | कंपनी ने परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए बाहरी एजेंसियों को नियुक्त किया है और इन्हें बहियों से मिलान करने, तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा और इन्हें सुदृढ बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है दरसूचियां जिन्हें पिछले वर्ष पहली बार अंतरित किया गया था, का सत्यापन आंतरिक रूप से किया गया है और धारित जीएसई मदों की दरसूची के साथ मदवार शेष पुष्टि की गई है तथा इस मामले में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। |
| | (ग) महत्वपूर्ण लेखों जैसे प्राप्य लेखे, देय लेखे, रिटर्न सहित सांविधिक देय के समाधान के निष्पादन में विफलता तथा पेरोल शेष को समय पर और सटीक रूप से समायोजित नहीं किया गया है। | कंपनी ने देय तथा प्राप्य लेखों के लिए समाधान करने हेतु बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया था, जो कि 31 मार्च 2018 तक चार वर्ष की समीक्षा थी, इसकी मसौदा रिपोर्ट को साझा किया गया था, तथापि, ऐसे कुछ और क्षेत्र हैं जिन पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है और जिन्हें पूरा करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। कार्मिकों की कमी के कारण यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका है और हमें आशा है कि इस कार्य का पूरा कर लिया जाएगा तथा यथोपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। |
| | (घ) आंतरिक नियंत्रण में नियंत्रण खामियों के संकेतक और महत्वपूर्ण कमियों को कड़े संकेतक निम्नानुसार हैंः | |
| | (i) महत्वपूर्ण दुर्विवरण में शुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए पूर्व में जारी वित्तीय विवरणों का पुनर्निर्धारण। यह दर्शाता है कि समापन के समय कट–ऑफ प्रक्रियाएं कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं। | मुद्दों को नोट कर लिया गया है और इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह स्थिति इस काकार की कंपनी के प्रबंधन के लिए वित्त विभाग में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी तथा वर्ष के दौरान प्रशिक्षित कार्मिकों के जाने के कारण उत्पन्न हुई है। |
| | (ii)लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण दुर्विवरण को पहचान किया जाना, जिसे निकाय के आंतरिक नियंत्रण द्‌वारा आरंभिक स्तर पर पकड़ा नहीं जा सका। | कंपनी ने खामिलयों को पहचान लिया है और इनके निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चूंकि आंतरिक लेखापरीक्षा बाहरी फर्मों द्वारा की जाती है और जांच का कार्यक्षेत्र सीमित है, इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने और निरंतर लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वर्ष के अंत में सुधार की स्थिति से बचा जा सके। |
| | (iii)आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सीमित है और इसमें विभिन्न अनिवार्य प्रक्रियाएं शामिल नहीं हैं जैसे पेरोल, स्थिर परिसंपत्तियां, इंवेंटरी। अकुशल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए अपेक्षित है कि महत्वपूर्ण लेखांकन कार्यों को युक्तिसंगत अंतरालों में शामिल तथा मॉनीटर किया जाए। | बिंदु को नोट कर लिया गया है और हम लेखापरीक्षा की समीक्षा और कार्यक्षेत्र में संवर्धन कर रहे हैं ताकि निरंतर लेखापरीक्षा की जा सके और तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत की जा सकें। |

| | | |
|---|---|---|
| | (iv)कंपनी द्वारा नियमों और विनियमों का पालन करने के गैर–अनुपालन की घटनाएं देखी गई हैं। यह कुशल विनियामक अनुपलन प्रक्रिया को दर्शाता है। | कंपनी सदैव विभिन्न अधिनियमों और सांविधियों के अनुपालन के लिए तत्पर रहती है, जो उसे समय समय शासित करते हैं, ताकि विनियामक अनुपालनों को सुनिश्चित किया जा सके। |
| | ''सामग्रीगत खामी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।<br><br>हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभाव के कारण कंपनी ने दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2018 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त औरकुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण नहीं किया है।<br><br>हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और इन सामग्रीगत खामियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर बर्हक मत जारी किया है। | कंपनी ने अवलोकन को नोट कर लिया हे और आंतरिक प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं और इस कार्य हेतु हमने निम्नलिखित उपाय करने का सुझाव दिया है:<br><br>■ जून 2019 में वित्त विभाग द्वारा व्यवस्थित किए जा रहे पेरोल प्रक्रिया को डी–लिंक करना और प्रथम कदम के रूप में इसे कार्मिक विभाग में शामिल किया गया है।<br><br>■ वित्त विभाग के कार्मिकों के लिए सेप में पुनश्चर्या कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जा रहा है।<br><br>■ आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य के कार्यक्षेत्र में संशोधन ताकि प्रबंधन को समय पर रिपोर्टें प्रस्तुत की जा सकें।<br><br>■ विभिन्न सांविधि अनुपालनों तथा कार्यों के समय पर पूरा किए जाने को सुचारू बनाने के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त की जाएगी।<br><br>इसके समाधान को सुनिश्चित बनाने के लिए बाहरी एजेंसियों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा ताकि इन्हें समयबद्ध रूप से निष्पादित और पूरा किया जा सके। |

# 31 ekp] 2019 dk rqyu i=

¼: i, fefy;u esa½

| | | fooj.k ukV | lnHkZ | 31 ekpZ 2019 dk | 31 ekpZ 2018 dk ¼iqu.kZfu"kZr½* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | ifjlaifÙk | | | |
| | 1 | xSj orZeku ifjlaifÙk;k | | | |
| | (i) | संपत्ति, संयत्र और उपकरण | 2 | **2,541.67** | 2,665.26 |
| | (ii) | आयकर परिसंपत्तियां (निवल) | 3 | **150.75** | 385.85 |
| | (iii) | आस्थगित कर परसंपत्तियां (निवल) | 4 | **1,077.66** | 5.78 |
| | (iv) | अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां | 5 | **0.15** | - |
| | | dqy xSj pkyw ifjlaifÙk;k | | **3,770.24** | 3,056.89 |
| | 2 | pkyw ifjlaifÙk;k | | | |
| | (i) | दरसूचियां | 6 | **89.81** | 124.93 |
| | (ii) | वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| | | (क) व्यापार प्राप्य राशियां (निवल) | 7 | **4,008.71** | 3,221.44 |
| | | (ख) नकद और नकदी समतुल्य | 8 | **139.37** | 228.25 |
| | | (ग) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा | 9 | **0.17** | 0.16 |
| | | (घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 10 | **118.02** | 44.33 |
| | (iii) | अन्य चालू परिसंपत्तियां | 5 | **111.87** | 209.31 |
| | | dqy pkyw ifjlaifRr;k | | **4,467.97** | 3,828.43 |
| | | dqy ifjlaifRr;k | | **8,238.20** | **6,885.31** |
| II | | bfDoVh vkSj ns;rk,a | | | |
| | 1 | bfDoVh | | | |
| | | (क) कुल इक्विटी शेयर | 11 | **1,384.24** | 1,384.24 |
| | | (ख) अन्य इक्विटी | 12 | **2,105.13** | 494.05 |
| | | कुल इक्विटी | | **3,489.37** | 1,878.29 |
| | 2 | ns;rk,a | | | |
| | (i) | xSj orZeku ns;rk,a | | | |
| | | (क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | | (i)अन्य वित्तीय देयताएं | 13 | **10.42** | - |
| | | (ख) प्रावधान | 14 | **2,480.13** | 2,581.27 |
| | | कुल गैर चालू देयताएं | | **2,490.55** | 2,581.27 |
| | (ii) | pkyw ns;rk,a | | | |
| | | क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | | (i) व्यापार प्राप्य (निवल) | 15 | | |
| | | (क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय | | **-** | - |
| | | (ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं के कुल बकाया देय | | **434.85** | 401.69 |
| | | (ii) अन्य वर्तमान देयताएं | 13 | **1,148.30** | 1,248.80 |
| | | (ख) प्रावधान | 14 | **296.82** | 361.79 |
| | | (ग) अन्य वर्तमान देयताएं | 16 | **378.30** | 413.46 |
| | | कुल चालू देयताएं | | **2,258.28** | 2,425.74 |
| | | अन्य देयताएं | | **4,748.83** | 5,007.02 |
| | | dqy bfDoVh vkSj ns;rk,a | | **8,238.20** | **6,885.31** |

वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें

*त्रुटि/लोप के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण के संबंध में ब्यौरे हेतु नोट 24 का संदर्भ लें

gekjh lelaf[;d frfFk dh layXu fjiksVZ ds vuqlkj

dRrs 'kkg xqIrk ,.M daiuh

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू

हस्ता/–

foiqy ds- pkdlh

साझेदार सं 37606

यूडीआईएन : 19037606AAAABU1459

स्थान : मुंबई

दिनांक : 06 सितंबर, 2019

funs'kd eaMy ds fufeRr vkSj mudh vksj ls

हस्ता/–

vf'ouh yksgkuh

अध्यक्ष

डीआईएन 01023747

हस्ता/–

ts-oh- jfo dqekj

मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–

foukn gstekMh

निदेशक

डीआईएन 07346490

हस्ता/–

onuk c=k

कंपनी सचिव

हस्ता/–

dSIVu ,-ds- 'kek

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 06 सितंबर, 2019

# 31 ekpl 2019 dks lekIr o"kl dk fy, ykHk vkSj gkfu fooj.k

¼:i, fefy;u esa½

| | fooj.k | uksV la- | 31 ekpl 2019 dks lekIr o"kl gsrq | 31 ekpl 2018 dks lekIr o"kl gsrq |
|---|---|---|---|---|
| I | प्रचालन से राजस्व | 17 | **6,629.13** | 6,426.09 |
| II | अन्य आय | 18 | **442.51** | 266.58 |
| III | vU; vk; **(I + II)** | | **7,071.64** | 6,692.67 |
| IV | व्यय : | | | |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 19 | **4,164.88** | 4,708.50 |
| | मूल्यह्रास व्यय | 2 | **305.81** | 248.75 |
| | अन्य व्यय | 20 | **1,326.77** | 685.92 |
| | कुल व्यय | | **5,797.46** | 5,643.17 |
| V | कर पूर्व लाभ (III-IV) | | **1,274.18** | 1,049.50 |
| VI | कर व्यय | 34 | | |
| | 1 चालू कर | | **(600.00)** | (491.50) |
| | 2 पूर्व वर्षों के लिए कर का अल्प प्रावधान(निवल) | | **(186.62)** | - |
| | 3 आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्ति | | **150.55** | (19.51) |
| VII | o"kl dk fy, ykHk **(V-VI)** | | **638.11** | 538.49 |
| VIII | अन्य वृहत आय/(घाटा) | | | |
| (i) | मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | | |
| | . निर्धारित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनर्मापन | | **51.64** | (86.50) |
| (ii) | मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | **(18.04)** | - |
| | dqy vU; ogr vk; ¼ **i + ii** ½ | | **33.60** | (86.50) |
| IX | dqy ogr vk; ¼ **VII + VIII** ½ | | **671.71** | 451.99 |
| X | प्रति 10 रूपए के इक्विटी शेयरों पर आमदनी | 33 | | |
| | मूल (रूपए) | | **4.61** | 3.89 |
| | विलयित (रूपए) | | **4.61** | 3.89 |

वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें

*त्रुटि/लोप के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण के संबंध में ब्यौरे हेतु नोट 24 का संदर्भ लें

gekjh lelald[;d frfFk dh layXu fjiksVl ds vuqlkj

dqrs 'kkg xqIrk ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू
हस्ता/–
foiqy d- pkdlh
साझेदार सं 37606
यूडीआईएन : 19037606AAAABU1459

funs'kd eMy ds fufeRr vkSj mudh vksj ls

हस्ता/–
vf'ouh yksgkuh
अध्यक्ष
डीआईएन 01023747

हस्ता/–
foukn gs t ekMh
निदेशक
डीआईएन 07346490

हस्ता/–
dSIVu ,-d- 'kek
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
t h-oh- jfo dqekj
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
onuk c=k
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 सितंबर, 2019

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 06 सितंबर, 2019

# 31 ekp] 2019 dks lekIr o"kZ ds fy, bfDoVh esa ifjorZuksa dk fooj.k

## d- bfDoVh 'ks;j iwath

¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | 31 ekpZ 2018 dks |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में शेष | 1,384.24 | 1,384.24 |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | - | - |
| o"kZ ds var esa 'ks"k | 1,384.24 | 1,384.24 |

## [k- vU; bfDoVh

¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | vkjf{kr fuf/k ,oa vfrjsd | vU; O;kid vk; | daiuh ds bfDoVh 'ks;j/kkjdksa dks iznRr dqy bfDoVh |
|---|---|---|---|
| | ifrr/kkj.k vkenfu;ka | fu/kkZfjr ykHk ;kstuk dk iquekZiu | |
| 1 vizSy 2017 dks vkjfEHkd 'ks"k | 42.06 | - | 42.06 |
| पूर्व में घोषित अनुसार वर्ष हेतु लाभ | 710.48 | - | 710.48 |
| | (171.99) | (5.05) | (177.04) |
| अन्य वृहत आय/(घाटा) | - | (81.45) | (81.45) |
| 31 मार्च 2018 को शेष (पुनर्निर्धारित) | 580.55 | (86.50) | 494.05 |
| पूर्ववर्ती वर्षों की आस्थिगित कर परिसंपत्तियों का प्रभाव (नोट 34 का संदर्भ लें) | 939.37 | | 939.37 |
| वर्ष के लिए लाभ | 638.11 | - | 638.11 |
| अन्य वृहत आय | - | 33.60 | 33.60 |
| 31 ekpZ 2019 dks 'ks"k | 2,158.03 | (52.90) | 2,105.13 |

foRrh; fooj.kksa ds layXu uksV dk n[kas

gekjh lelaf[;d frfFk dh layXu fjiksVZ ds vuqlkj
dr s 'kkg xqIrk ,.M daiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू
हस्ता/–
foiqy d- pkdlh
साझेदार सं 37606
यूडीआईएन : 19037606AAAABU1459

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 सितंबर, 2019

funs'kd eMy ds fufeRr vkj mudh vksj ls

हस्ता/–
vf'ouh yksgkuh
अध्यक्ष
डीआईएन 01023747

हस्ता/–
foukn gt ekMh
निदेशक
डीआईएन 07346490

हस्ता/–
dSIVu ,-d- 'kek
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
t-oh- jfo dekj
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
onuk c=k
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 06 सितंबर, 2019

# 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ grq jksdM+ izokg fooj.k

¼:i, fefy;u eas½

| | fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ grq | | 31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ grq | |
|---|---|---|---|---|---|
| क | izpkyfud xfrfof/k;ksa ls jksdM+ izokg | | | | |
| | कर पूर्व लाभ | | **1,274.20** | | 1,049.50 |
| | निम्न हेतु समायोजनः | | | | |
| | मूल्यह्रास व्यय | **305.81** | | 248.75 | |
| | ओवरड्यू भुगतानों पर ब्याज | **(148.19)** | | (76.61) | |
| | स्थिर पसिंपत्तियों पर ब्याज | **(0.91)** | | (2.04) | |
| | परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से (लाभ)/हानि | **6.98** | | (7.34) | |
| | संभावित ऋण घाटा भत्ता | **436.26** | | - | |
| | एसएफआईएस के अंतर्गत ड्यूटी ऋण पात्रता का व्युत्क्रम | **96.98** | | | |
| | गैरवसूलीयोग्य विनिमय लाभ/हानि | **134.29** | **831.22** | 18.50 | 181.27 |
| | dk;Z'khy iwath ifjorZuksa ls iwoZ izpkyfud ykHk | | **2,105.42** | | 1,230.76 |
| | fuEu grq lek;kstu% | | | | |
| | दरसूचियों में कमी | **35.12** | | 674.70 | |
| | व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि) | **(1,229.92)** | | (136.71) | |
| | अन्य चालू तथा गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी | **23.58** | | (9.55) | |
| | अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रावधानों में (कमी) | **(45.34)** | | (86.50) | |
| | O;kikj ikI; esa deh@¼of)½ | **33.16** | | (86.40) | |
| | अन्य चालू एवं गैर चालू देयताओं में वृद्धि और (कमी) | **(291.36)** | | (135.36) | |
| | | | **(1,474.76)** | | 220.17 |
| | प्रचालनों से रोकड़ प्रवाह | | **630.66** | | 1,450.93 |
| | प्रदत्त आय कर | | **(551.53)** | | (254.30) |
| | | | **-** | | - |
| | izpkyfud xfrfof/k;ksa ls lftr fuoy jksdM+ ¼d½ | | **79.13** | | 1,196.63 |
| ख | fuos'k xfrfof/k;ksa ls jksdM+ izokg | | | | |
| | परिसंपत्तियों, संयंत्रों एवं उपकरणों की खरीद | | **(189.20)** | | (1,153.08) |
| | स्थिर परिसंपत्तियों पर ब्याज | | **0.91** | | 2.04 |
| | परिसंपत्तियों, संयंत्रों एवं उपकरणों की बिक्री से प्राप्त राशि | | **20.29** | | 8.92 |
| | fuos'k xfrfof/k;ksa esa iz;qDr fuoy jksdM+ ¼[k½ | | **(168.00)** | | (1,142.13) |
| ग | foRrikš.k xfrfof/k;ksa ls jksdM+ izokg | | | | |
| | | | **-** | | - |
| | वित्तपोषण गतिविधियों में सृजित/(प्रयुक्त) निवल रोकड़ (ग) | | **-** | | - |
| | रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि (क्ख्ग) | | **(88.86)** | | 54.50 |
| | रोकड़ और रोकड़ समतुल्य – आरंभिक शेष | | **228.24** | | 173.74 |
| | रोकड़ और रोकड़ समतुल्य – समापन | | **139.38** | | 228.25 |
| | jksdM+ rFkk jksdM+ lerqY;ksa ds ?kVd | | | | |
| | उपलब्ध रोकड़ | | **0.07** | - | 0.07 |
| | चालू खाते में शेष | | **139.31** | - | 228.18 |
| | | | **139.38** | | 228.24 |

नोट : रोकड़ प्रवाह विवरण इंड एएस 7 – रोकड प्रवाह विवरण में निर्धारित ''अप्रत्यक्ष विधि'' का प्रयोग करके तैयार किया जाता है।

foRrh; fooj.kksa ds lyXu uksV~l dk n[ks

gekjh lel[;d frfFk dh layXu fjiksVZ ds vuqlkj

dr s 'kkg xIrk ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू
हस्ता/–
foiqy d- pkdlh
साझेदार सं 37606
यूडीआईएन : 19037606AAAABU1459

fun s'kd eMy ds fufeRr vkj mudh vksj ls

हस्ता/–
vf'ouh ykgkuh
अध्यक्ष
डीआईएन 01023747

हस्ता/–
foukn g t ekMh
निदेशक
डीआईएन 07346490

हस्ता/–
dsIVu ,-ds- 'kek
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता/–
t s-oh- jfo dekj
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/–
onuk c=k
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 सितंबर, 2019

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 06 सितंबर, 2019

# 31 ekp] 2019 dks lekIr o"kZ ds foRrh; fooj.kksa ds Hkkx dks fufeZr djus okys uksV

## uksV 1

### d- dkjiksjsV lwpuk%

एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (भारत सरकार की कम्पनी एअर इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की सहायक सहायक कम्पनी) का भारत में कम्पनी के रूप में निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किया गया था। यह एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी है। कम्पनी मुख्यतः भारतीय हवाईअड्डों पर भारतीय प्रचालकों को स्थल संचलन से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, जीएसडी भवन, एअर इंडिया कॉम्पलैक्स, टर्मिनल–2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110037 में स्थित है।

### [k- foRrh; fooj.kksa ds fuekZ.k dk vk/kkj%

कम्पनी द्वारा इन वित्तीय विवरणों का निर्माण किया गया है जिसमें 31 मार्च, 2019 को वर्ष के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं वर्ष में समाप्त तिथि के अनुसार इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल की गई है (यहां एकसाथ ''वित्तीय विवरणों'' के नाम से संदर्भित)।

ये वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने के उद्देश्य से दिनांक 6 सितम्बर, 2019 को अनुमोदित किए गए हैं।

**i)** fuekZ.k dk vk/kkj rFkk iLrqfr%

नीचे लेखांकन नीतियों में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कुछ वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किए जाने के अलावा इन वित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया गया है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन की तिथि को किसी परिसम्पति की बिक्री से प्राप्त किया गया हो अथवा जो बाजार प्रतिभागियों के साथ क्रमबद्ध संव्यवहार के लिए किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता किया गया हो तथा इसके लिए ऐसे मूल्य के संबंध अन्य मूल्यांकन तकनीकी के उपयोग से सम्बद्ध प्रत्यक्ष स्पष्टता एवं अनुमान विचार में नहीं लिए जाते हैं। किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पति अथवा देयता की विशिष्टताओं को इस आशय से विचार में लिया जाता है कि क्या मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागी ऐसी परिसम्पति अथवा देयता के मूल्य निर्धारण के लिए इन विशिष्टताओं को विचार में लेंगे अथवा नहीं लेंगे।

इन वित्तीय विवरणों में मापन तथा/अथवा प्रकटीकरण उद्देश्यों से उचित मूल्य का निर्धारण ऐसे आधार पर किया गया है, जो इंड एएस 17 की व्यापकता के दायरे में आने वाले पट्टा संव्यवहारों के अलावा हैं , तथा उनका मापन उचित मूल्य की कुछ ऐसी समानताओं के अनुसार किया गया जो उचित मूल्य नहीं हैं, जेसे कि इंड एएस 2 में शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अथवा इंड एएस 36 में प्रयुक्त मूल्य।

इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उचित मूल्य मापन को उनकी डिग्री के आधार पर 1, 2 तथा 3 के

स्तर में उस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है जिनमें उचित मूल्य मापन की इनपुट प्रत्यक्ष हैं तथा उचित मूल्य मापन पर ऐसी इनपुट की सार्थकता सम्पूर्ण है, जो निम्नानुसार वर्णित किए गए हैं:–

- स्तर 1 इनपुट उन समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं जिन तक कोई इकाई मापन की तिथि को पहुंच स्थापित कर सकती है;
- स्तर 2 की इनपुट मूल्य उद्धृत उन इनपुटों के अलावा हैं जो स्तर 1 में शामिल की गई हैं तथा जो परिसम्पति अथवा देयता के लिए, परोक्ष अथवा अपरोक्ष स्वरूप में, देखी जा सकती हैं; तथा
- स्तर 3 इनपुट परिसम्पति अथवा देयता की वे इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष नहीं हैं।

तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर स्वीकृत की गई परिसम्पतियों तथा देयताओं के बारे में कम्पनी द्वारा ये निर्धारण किए जाते हैं कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर की इनपुट पर आधारित जो पूर्ण रू‍प से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) के पुनःमूल्यांकन द्वारा स्तरों के मध्य तारतम्यता में अंतरण किए गए हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों तथा देयताओं की प्रकृति, विशिष्टता एवं परिसम्पति अथवा देयता से सम्बद्ध जोखिम के आधार पर तथा पर किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर के अनुसार उनके वर्गों का निर्धारण किया गया है।

**ii)** dk;kRed eqnzk %

कम्पनी जिस प्रमुख आर्थिक परिवेश में अपने प्रचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है वह भारतीय रूपए (₹) है, जिसकी प्रमुख उत्पति कम्पनी द्वारा करके रोकड़ के रूप में प्रसारित की जाती है। तदनुसार, प्रबंधन द्वारा भारतीय रूपए (₹) को अपनी कार्यात्मक मुद्रा रूप में स्वीकार किया गया है। कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति अपनी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए) में की गई है तथा वित्तीय विवरणों तथा नोटों में सभी राषियों के प्रकटीकरण कार्यात्मक मुद्रा में करते हुए उन्हीं निकटतम मिलियन (एक दषमलव तक), यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, तक राउंड आफ किया गया है।

**iii).** pkyw rFkk xSj&pkyw oxhZdj.k

कंपनी द्वारा अपनी परिसम्पतियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

कोई परिसम्पति चालू परिसम्पति तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :–

- वह सामान्य प्रचालन क्रम में बिक्री के लिए नियत हो। वह मुख्यतः सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हो;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो; अथवा
- यदि विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड के अनुसार हो :–

- जिसका सामान्य प्रचालन क्रम में निपटान संभावित हो;

- यह मुख्यतः सेवाओं के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो। रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का कोई असंबंध अधिकार न हो। जिसकी देयता के उपबंधों के अनुसार, प्रतिपक्ष के विकल्प के अनुसार, समाधान के तौर पर इक्विटी उपकरण में परिणत होने से इसके वर्गीकरण प्रभावित न होते हों।

अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियां/देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

कम्पनी सेवा सेक्टर में कार्य करती है जिससे इसका कोई प्रचालन क्रम नहीं है; तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए ''प्रचालन क्रम'' के तौर पर 12 माह की अवधि को अंगीकार किया गया है। तदनुसार, चालू देयताओं और चालू परिसम्पतियों में गैर–चालू वित्तीय देयताओं तथा परिसम्पतियों का चालू भाग षामिल किया गया है।

## x- egRoi.k y[kkdu uhfr;k

### i) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई):

d½ किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत में परिसम्पतियों की प्राप्ति की ऋण लागतों तथा इनकी डिकमीशनिंग की संभावित लागतों सहित व्यावसायिक छूट तथा रियायतें, आयात शुल्क एवं अन्य कर (कर प्राधिकरणों से बाद में धनवापसी योग्य के अलावा), सम्पति को आशित उद्देश्य से उपयोग में लाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष सम्बद्ध व्यय शामिल हैं। सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण को प्रचालन के लिए उपयोग में लाए जाने के दौरान मरम्मत तथा अनुरक्षण जैसे व्यय वहन किए जाने के वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का स्वीकृति तब समाप्त की जाती है, जब उनके उपयोग अथवा उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। सम्पति की किसी मद, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों का निर्धारण निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की वहन राशि के साथ करके इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

सेवाओं, आपूर्ति अथवा प्रशासनिक उद्देश्यों से उपयोग के लिए धारित फ्रीहोल्ड भूमि के अलावा सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का उल्लेख तुलन पत्र में संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया गया है।

कम्पनी द्वारा अपनी प्रत्येक सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के वहन मूल्य को इंड एएस में पारगमन पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है जिनका मापन पूर्व जीएएपी के अनुसार किया गया था तथा इसके लिए पारगमन की तिथि को उनकी मानित लागत को उपयोग में लाया गया है।

परिसम्पतियों की मूल्यह्रास की राशि परिसम्पति की लागत अथवा लागत की प्रतिपूरक राशि है जिसमें से अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के उपयोग से परिसम्पति का मूल्यह्रास परिसम्पति की लागत में से उसके उपयोज्यता काल पर अवशिष्ट मूल्य घटाकर किया गया है जो निम्नलिखित वर्गों की परिसम्पतियों के अलावा है जिनके संबंध में परिसम्पति के उपयोज्यता काल का मूल्यांकन, परिसम्पति के स्वरूप को विचार में लेकर, तकनीकी परामर्श, परिसम्पति के स्वरूप, परिसम्पति के अनुमानित

उपयोज्यता काल, परिसम्पति की प्रचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पूर्व इतिहास, संभावित प्रौद्योगिकी परिवर्तन, निर्माता द्वारा दी गई वारंटियों, तथा अनुरक्षण सहायता इत्यादि को विचार में लेकर किया जाता है। 5000 रूपए से कम मूल्य की परिसम्पति, संयंत्र एवं उपकरण को प्रत्येक मामले में क्रय के वर्ष में पूर्णतः स्वीकृत कर लिया जाता है।

[k½ सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है जिससे प्रत्येक भौतिक परिसम्पति का सत्यापन प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किया जा सके तथा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं रिपोर्ट किए जाने के वर्ष में किया जा सके।

x½ सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कम्पनी मूर्त परिसम्पतियों की वहन लागत के संबंध में ऐसी परिसम्पतियों द्वारा किसी प्रकार की अक्षमता हानि का वहन करने के संकेत ज्ञात करने के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति से संबंधित वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाकर अक्षमता हानि(यदि कोई हो) के विस्तार का निर्धारण किया जाता है। जब किसी एक परिसम्पति की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगा पाना संभव नहीं हो पाता है तो उस परिसम्पति से सम्बद्ध रोकड़ उत्पति करने वाली यूनिट के संबंध में कम्पनी द्वारा अनुमान लगाए जाते हैं। जब निर्धारण के लिए किसी प्रकार का औचित्यपरक अथवा संगत आधार प्राप्त नहीं हो पाता है तो उनका विनियोजन रोकड़ उत्पति यूनिटों के सबसे छोटे समूह में कर दिया जाता है जिससे औचित्यपरक एवं संगत निर्धारण को ज्ञात किया जा सके।

किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली वाली यूनिट की प्राप्य राशि उसकी निपटान लागतों तथा उसके प्रयोग मूल्य को घटाकर, उसके उचित मूल्य से उच्च होती है। प्रयोग मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह को तत्समय के कर पूर्व छूट दर के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाने वाले धन के समय मूल्यों तथा परिसम्पति,जिनके संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह के अनुमानों के समायोजन नहीं किए गए हैं, से संबद्ध जोखिमों से घटाकर किया जाता है।

यदि किसी परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट) के अनुमान उसकी वहन राशि से कम होते हैं तो परिसम्पति (अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में से घटा दिया जाता है। ऐसा करके लाभ एवं हानि विवरण में अक्षमता हानि की स्वीकृति शीघ्र कर ली जाती है।

## ?k- eky lwfp;k

विभिन्न भंडारों एवं कलपुर्जों से युक्त मालसूचियों का मूल्यांकन उनकी न्यूनतम लागत तथा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) के अनुसार किया जाता है। मालसूचियों की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है। निवल प्राप्य मूल्य के अनुमान सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उनकी बिक्री दर में से उन्हें पूर्ण किए जाने की लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक बदलाव की अनुमानित लागतों को घटाकर आंके जाते हैं।

## 3 jktLo Lohdfr

इंड एएस 155 ग्राहक करारों से प्राप्त राजस्व तथा ऐसे राजस्व की राशियों एवं समय की स्वीकृति से संबंधित है। इसके मानक में राजस्व स्वीकृति के लिए पांच चरण की एप्रोच व्यवस्थित की गई है:–

– करार का अभिनिर्धारण करना;

– करार के निष्पादन दायित्वों का अभिनिर्धारण करना;

–संव्यवहार मूल्य का निर्धारण करना

– संव्यवहार मूल्य के साथ निष्पादन दायित्व का निर्धारण करना; तथा

– अततः उन निष्पादन दायित्वों के प्रति राजस्व प्राप्ति का सुनिश्चय करना।

इंड एएस 115 में पारगमन करके कम्पनी द्वारा संशोधित पूर्वव्यापी एप्रोच को अंगीकार किया गया है तथा तदनुसार इस वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ पूर्व वर्ष की तुलनात्मकता का वर्णन नहीं किया गया है। इंड एएस 115 में पारगमन का मूल्यांकन प्रभाव निष्पादित किया गया है।

## lokvk dh iLrqfr

कम्पनी अपने राजस्व की स्वीकृति ग्राहक को प्रदर्शित मूल्य पर प्रतिबद्ध सेवाओं की प्रस्तुति करके उस राशि के लिए करती है जिसके प्रति कम्पनी की हकदारी की प्रत्याशा ऐसी सेवाओं की प्रस्तुति के प्रति की गई है।

कम्पनी द्वारा सामान्य राजस्व के प्रति स्वीकृति उस समय के बिन्दु पर की जाती है जब ग्राहक को सेवाओं की प्राप्ति जाती है।

क) स्थल संचलन सेवाओं के प्रति स्वीकृति सेवाएं प्रदान करने के पश्चात की जाती है। वित्त वर्ष के अंत में बिल न की गई सेवाओं के अनुमान, उपलब्ध डेटा के आधार पर, आंक कर राजस्व स्वीकृति की जाती है।

ख) ब्याज से प्राप्त आय की स्वीकृति समय पर आनुपातिक आधार पर की जाती है।

ग) अन्य प्रचालन राजस्व की स्वीकृति वर्ष के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के प्रति की जाती है।

विविध निष्पादन दायित्वों की राजस्व व्यवस्था के लिए कम्पनी द्वारा एकल प्रकार की सेवाओं, यदि वे विशिष्ट प्रकार की हैं, को अलग अलग लेखाबद्ध किया जाता है अर्थात यदि कोई सेवा व्यवस्थित की गई मदों से अलग प्रकार की है तथा यदि ग्राहक को इससे लाभ प्राप्त होते हों। इस प्राप्त प्रतिफल का निर्धारण उनके स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर आधारित व्यवस्थाओं में अलग सेवाओं के लिए किया जाता है।

## lfonk lrqyu

### i) lfonk ifjlEifr

संविदा परिसम्पति ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति अधिकार स्वरूप प्राप्त प्रतिफल है। यदि कम्पनी द्वारा किसी ग्राहक को प्रतिफल प्राप्त करने अथवा भुगतान देय होने से पूर्व सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो व्यवसाय प्राप्य सहित उपार्जित प्रतिफल को संविदा प्रतिफल की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

### ii) lfonk n;rk,a

संविदा देयताएं ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के वे दायित्व हैं जिनके लिए कम्पनी ने ग्राहक से प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) प्राप्त किया है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक को सेवा प्रदान करने से पूर्व ग्राहक प्रतिफल का भुगतान

करता है तो संविदा देयता के प्रति स्वीकृति तब की जाती है जब भुगतान देय (जो भी पहले हो) होता है। राजस्व में संविदा देयता की स्वीकृति तब होती है जब कम्पनी द्वारा ग्राहक से प्राप्त अग्रिम सहित संविदा के अंतर्गत निष्पादन किया जाता है।

### iii) /kuokilh n;rk,

धनवापसी ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल के कुछ अथवा पूर्ण भाग (अथवा प्राप्य) की धनवापसी का दायित्व है तथा इसका मापन उस राशि पर किया जाता है जिसकी धनवापसी अंततः ग्राहक को किए जाने के लिए कम्पनी से प्रत्याशित होती है। कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी धनवापसी देयताओं के अनुमान अद्यतन किए जाते हैं।

## p- fon'kh enk l0;ogkj

कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण उस प्रमुख आर्थिक परिवेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें कम्पनी अपने प्रचालन करती है। कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपया (मानक भारतीय रूपया) है।

कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं (विदेशी मुद्राओं) में किए जाने वाले संव्यवहारों के प्रति निम्नलिखित दरों पर स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क) आईएटीए (आयटा) क्लीयरिंग हाउस के साथ बिलों के समाधान के लिए किए गए इंटरलाइन समझौते के आधार पर इंटरनेशल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) द्वारा संबंधित माह के लिए प्रकाशित विनिमय दर पर।

ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों का अंतरण फॉरन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा वितरित विनिमय दरों पर किया जाता है तथा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप हुए लाभ/हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ग) गैर–मौद्रिक मदों का मापन अंतरित न की गई विदेशी मुद्रा की ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया जाता है।

## N- iVV

पट्टे के उपबंधों के अनुसार पट्टा स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं प्रतिफलों का अंतरण होने की स्थिति में पट्टे का वर्गीकरण वित्त पट्टे के रूप में किया जाता है। अन्य सभी पट्टों का वर्गीकरण प्रचालन पट्टों के रूप में किया जाता है।

### iVVk/kkjd d :Ik e dEiuh

प्रचालन भुगतान के अंतर्गत प्रचालन पट्टे की स्वीकृति सम्बद्ध पट्टे के काल के दौरान सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप की जाती है। जब किरायों की संरचना पट्टाकार के लिए संभावित मुद्रास्फीति वृद्धि की प्रतिपूर्ति के एकमात्र उद्देश्य से संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ साथ सवंर्धित होने के लिए की जाती है तो ऐसे संवर्धन की प्रति स्वीकृति ऐसे लाभ उपार्जित होने के वर्ष में की जाती है। प्रचालन पट्टों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले आकस्मिक किरायों के लिए उस वर्ष में स्वीकृति दी जाती है जिस वर्ष में ये व्यय किए जाते हैं।

## t- ljdkjh vunku

सरकारी अनुदानों के लिए तब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है जब तक कम्पनी द्वारा ऐसे अनुदान के साथ सम्बद्ध शर्तों का अनुसरण किए जाने तथा अनुदान की प्राप्ति के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन नहीं होता है।

सरकारी अनुदानों को प्रक्रियाबद्ध आधार पर उन वर्षों के लिए लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है जिन वर्षों में

कम्पनी द्वारा उन सम्बद्ध लागतों को व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिनके व्यय की प्रतिपूर्ति के अनुदान आशित है अथवा जब निष्पादन दायित्व पूर कर लिए जाते हैं।

परिसम्पतियों से सम्बद्ध सरकारी अनुदानों की तुलन पत्र में प्रस्तुति आस्थगित आय के रूप में की जाती है तथा लाभ एवं व्यय में इसकी स्वीकृति प्रक्रियाबद्ध आधार पर सम्बद्ध परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता के अनुसार की जाती है।

## >-     deZpkjh fgrykHk %

### lsokfuo`fRr fgrykHk ykxrsa rFkk lsok lekfIr fgrykHk

परिभाषित अंशदायी सेवानिवृति हितलाभ योजनाओं के संबंध में व्यय की स्वीकृति कर्मचारियों द्वारा अंशदानों की योग्यता के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने पर की जाती है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों में परिभाषित अंशदायी योजनाएं तथा परिभाषित हितलाभ योजनाएं शामिल हैं।

### d½ ifjHkkf'kr va'knk;h ;kstuk,a

परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी भविष्य निधि मे ंअंशदान शामिल है। मूल कम्पनी में भविष्य निधि अंशदान के प्रशासन के लिए अलग ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं जिसमें नियमित रूप से अंशदान किए जाते हैं। नियत कालिक संविदा कर्मचारियों (एफटीसी) के मामले में कम्पनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में देयताएं जमा करवाई जाती हैं। सरकारी प्राधिकरणों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी) की देयताओं का भुगतान नियमित रूप से चुकता किया जाता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में कम्पनी द्वारा किए जाने वाले भुगतान को वर्ष के दौरान व्यय के रूप में उस अवधि के दौरान स्वीकृति दी जाती है जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा ऐसे भुगतान के सेवा निष्पादन किए जाते हैं।

### [k½ ifjHkkf"kr fgrykHk ;kstuk,a

कम्पनी में परिभाषित हितलाभ योजना है जिनका निधियन नहीं है तथा इनमें उपादान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभ शामिल हैं। परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के लिए हितलाभ प्रदान किए जाने की लागतों का निर्धारण परियोजना यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में वार्षिक आधार पर किए जाते हैं।

दायित्वों का मापन अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह के विद्यमान मूल्य के अनुसार किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजना के अंतर्गत दायित्व के वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली छूट दरें तुलन पत्र तिथि को सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती हैं जिनकी परिपक्वता अवधियां सम्बद्ध दायित्वों के काल के लगभग अनुरूप होती हैं। समायोजनों के व्यवहारों तथा बीमांकित अनुमानों से उत्पन्न लाभ एवं हानियों का पुनःमापन को सीधे अन्य व्यापक आय में इनके घटित होने की अवधि में स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन्हें इक्विटी परिवर्तन में ''अन्य इक्विटी'' के अंतर्गत तथा तुलन पत्र में शामिल किया जाता है।

परिभाषित हितलाभ दायित्वों में समाधान अथवा कटौतियों के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों को पूर्व सेवा लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है।

### vU; nh?kZdkfyd deZpkjh fgrykHk

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के अंतर्गत छुट्टी नकदीकरण का लेखांकन किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी के शुद्ध दायित्व हितलाभों की उस राशि के लिए होते हैं जिनका समाधान कर्मचारियों द्वारा चालू एवं पूर्व वर्षों में सेवा के दौरान अर्जित लाभों के लिए भविष्य में किया जाना है। विद्यमान मूल्य ज्ञात करने के लिए ये लाभ घटा

दिए जाते हैं। दायित्व का मापन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। पुनःमापन को लाभ एवं हानि विवरण में उस वर्ष के लिए स्वीकृति दी जाती है जिस वर्ष में ये उत्पन्न हुए होते हैं।

### vYidkfyd fgrykHk

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ का लेखांकन उन वर्षों के लिए किया जाता है जिन वर्षों में सेवाएं प्रदान की गई हैं।

### vYidkfyd ,oa vU;nh?kZ dkfyd deZpkjh fgrykHk

कर्मचारियों को वर्ष के दौरान मजदूरी तथा वेतन, वार्षिक छुट्टी तथा बीमारी छुट्टी के संबंध में प्रदान किए जाने वाले लाभों के प्रति देयता की स्वीकृति प्रदान की गई सेवाओं के विनियम में चुकता किए जाने वाले संभावित लाभ।

अल्प–कालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन बट्टा न की गई राशि पर सम्बद्ध सेवाओं के विनियम में चुकता किए जाने वाले संभावित लाभों के लिए देयताएं स्वीकृत की गई हैं।

अन्य अल्प–कालिक कर्मचारी हितलाभों की देयता की स्वीकृति अनुमानित भावी रोकड़ बर्हिप्रवाह के अनुसार की गई हे जो कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को रिपोर्टिंग तिथि तक के लिए सेवाएं के संबंध में प्रदान जानी है।

## .k- vk; ij dj

आय कर व्यय से वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग की प्रस्तुति होती है।

### pkyw dj

चालू कर वह राशि है जो लागू कर दरों तथा आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष के कर योग्य लाभ के आधार पर संभावित कर का भुगतान के योग्य है।

### vkLFkfxr dj

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर की स्वीकृति परिसम्पति एवं देयताओं के मध्य अस्थाई अंतरों तथा कर योग्य लाभ के आकलन के लिए प्रयुक्त अनुवर्ती कर आधारों के लिए की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति कटौति योग्य सभी अस्थाई अंतरों के लिए की जाती है जिनमें कर योग्य लाभ की प्राप्ति की ऐसी संभावनाएं व्याप्त हों जिनके प्रति कटौति योग्य अस्थाई अंतरों को उपयोग में लाया जा सकेगा। ऐसी अस्थाई कर परिसम्पतियों तथा देयताओं को तब स्वीकृति नहीं दी जाती है जब ऐसे अस्थाई अंतर परिसम्पति तथा देयता के संव्यवहार में प्रारंभिक स्वीकृति (व्यवसाय संयोजन के अलावा) से उत्पन्न हुए हों जिनका प्रभाव न तो कर योग्य पर और न ही लेखांकन लाभ पर पड़ा हो। इसके अलावा, साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उत्पन्न अस्थाई अंतरों के लिए भी आस्थगित कर देयताओं को स्वीकृति नहीं दी जाती है। अस्थाई कर परिसम्पतियों की वहन राशि की समीक्षा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है तथा इन्हें उस सीमा तक न्यून कर दिया जाता है जिस सीमा तक परिसम्पति के प्रत्येक अथवा किसी भाग में पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त किए जाने की संभावना शेष नहीं रहती है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) कर कानूनों के अंतर्गत किया जाता है जिनसे भावी आय कर देयता, जो कम्पनी द्वारा सामान्य आय कर चुकता किए जाने के स्वीकार्य प्रमाण के साथ आस्थगित कर सम्पति मानी गई है, के समायोजन के स्वरूप में भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। तदनुसार, न्यूनतम वैकल्पिक कर की परिसम्पति के रूप में तुलन पत्र में स्वीकृति कम्पनी को इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ की संभावना होने पर की जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का मापन, प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मूलतः प्रवर्तित कर दरों (तथा कर कानूनों) के आधार पर, उन कर दरों पर किया जाता है जो उस वर्ष में उपयोग में लाए जाने संभावित थे जिस वर्ष में देयता का समाधान अथवा परिसम्पति उपार्जित की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा आस्थगित कर देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों को चालू कर देयताओं के साथ संमजन करने के विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हों तथा आस्थगित कर समान कर योग्य इकाई तथा समान कर योग्य प्राधिकरण से सम्बद्ध हों।

आस्थगित कर की स्वीकृति तथा उनका अग्रेषण तब किया जाता है जब प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पुनर्संरचना, राजस्व उत्पति एवं कम्पनी के लागत कटौति कार्यक्रम के आधार पर इन परिसम्पतियों से भविष्य में प्रतिफल प्राप्त होने की निश्चितता उपलब्ध होती है।

## o"k d nkjku pky ,o vkLFkfxr dj

चालू एवं आस्थगित कर को लाभ अथवा हानि के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है जो कि अन्य व्यापक अथवा इक्विटी में सीधे स्वीकृत की गई मदों की समबद्धता होने के अलावा है जिनके मामले में चालू एवं आस्थगित कर की स्वीकृति भी क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में सीधे की जाती है। किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से चालू कर अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होने पर कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल कर लिया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का तब समंजन कर दिया जाता है जब वे समान आय कर प्राधिकरण द्वारा लगाए आय करों से सम्बद्ध होती हैं तथा संबंधित इकाई अपनी चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समाधान निवल आधार पर करना चाहती है।

## V- iko/kku] vkdfLed n;rk,@ ith ifrc)rk, ,o vkdfLed ifjleifr;k

क) मापन के लिए पर्याप्त डिग्री के अनुमान लगाए जाने के प्रावधान तब स्वीकृत किए जाते हैं जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप विद्यमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हों तथा जिनसे संसाधनों का बहिर्प्रवाह होने की संभावना हो। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है तो प्रावधानों को देयता के विशिष्ट जोखिम को स्पष्ट करने वाली, जहां उचित हो, चालू कर पूर्व दर पर घटा दिया जाता है। ऐसे अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती हे तथा प्रस्तुत चालू उत्तम अनुमानों का समायोजन कर लिया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय की प्रस्तुति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ख) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि तुलन पत्र तिथि के किसी विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित उत्तम अनुमान होते हैं जो दायित्व से सम्बद्ध जोखिम एवं अनिश्चितताओं को विचार में लेकर निर्मित किए जाते हैं। विद्यमान दायित्व के समाधान के लिए जब किसी प्रावधान का मापन रोकड़ प्रवाह अनुमानों के उपयोग से किया जाता है तो उसकी वहन राशि ऐसे रोकड़ प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होती हैं (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत होता है)।

ग) जब किसी अथवा सभी आर्थिक लाभों से ऐसे प्रावधान का समाधान किए जाने की अपेक्षा होती है जो किसी तृतीय पक्षकार से प्राप्त वसूली से किया जाना हे तो ऐसे प्राप्य को परिसम्पति की तब स्वीकृति प्रदान की जाती है जब पुनर्भुगतान की प्राप्ति निश्चित हो तथा प्राप्यों का मापन विश्वसनीय रूप में किया जाना संभव हो।

घ) आकस्मिक देयताओं, जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु जिनके आस्तित्व की पुष्टि ऐसी एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृतियों अथवा गैर–आवृतियों से हो सकी है जो कम्पनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं हैं, का समाधान संभावित दायित्वों से संबंधित एक नोट में प्रकटीकरण करके किया जाता है।

ङ) आकस्मिक परिसम्पतियां वे संभावित परिसम्पतियों हैं जो पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण से बाहर एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की आवृति अथवा गैर–आवृति से हो सकती है। जब इससे संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है तो ऐसी आकस्मिक परिसम्पति का प्रकटीकरण कर दिया जाता है।

## n'dj lfonk

च) किसी अनुबंध को दुष्कर तब माना जाता है जब कम्पनी के किसी संविदा को पूरा करने की अपरिहार्य लागतें संविदा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। दुष्कर अनुबंधों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विद्यमान दायित्वों की स्वीकृति की जाती है तथा प्रावधानों के रूप में उनका मापन किया जाता है।

## B- jksdM+ ,oa jksdM+ lerqY;

तुलन पत्र में प्रस्तुत रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य बैंक तथा उपलब्ध रोकड़ एवं तीन माह अथवा कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्प–कालिक जमा हैं जिनके प्रति मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजन से पर दी गई परिभाषा के अनुसार रोकड़ एवं अल्प–कालिक जमा से युक्त रोकड़ एवं समतुल्य, बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्ट के निवल, को कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न भाग माना गया है।

## M- ifr "ks;j vk;

प्रति शेयर मूल आय का आकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कर उपरांत लाभ / (हानि) से विभाजित करके किया गया है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन राजकोष, बोनस शेयरों विद्यमान शेयरधारकों के राइट इश्यू के बोनस घटक, शेयर विखंडन तथा राजस्व शेयर विखंडन (शेयरों के समेकन) के साथ किया जाता है।

प्रति शेयर डायल्यूटिड आय का आकलन संभावित डायल्यूटिव इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध लाभांश, ब्याज तथा व्यय एवं आय के अन्य प्रभारों (किन्हीं रोप्य करों का निवल) में समायोजित कर उपरांत लाभ/(हानि) को प्रति शेयर मूल आय उपार्जन के विचार धारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत तथा उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत से विभाजित किया जाता है जो डायल्यूटिव संभावना वाले इक्विटी शेयरो में परिवर्तन होने पर जारी किए गए हो सकते हैं तथा जिनमें कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के शेयर विकल्प की प्रक्रिया के लिए कोष शेयर सम्मिलित हैं।

## <- foRrh; midj.k

वित्तीय उपकरण एक प्रकार का अनुबंध होता है जिससे एक इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा दूसरी इकाई की वित्तीय देयता अथवा वित्तीय उपकरण की उत्पति होती है। वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के प्रति स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब इकाई उपकरण के संविदागत प्रावधानों के अंतर्गत पक्षकार बन जाती है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रारंभिक मापन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। अधिग्रहण से

प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहारों लागतों अथवा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को जारी करने (लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से संबंधित संव्यवहार लागतों को प्रारंभिक स्वीकृति के समय आनुपातिक स्वरूप में वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के माध्यम से जोड़ अथवा घटा दिया जाता है। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से लाभ एवं माध्यम से उचित मूल्य पर प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत संव्यवहारों को लाभ एवं हानि विवरण में लाभ एवं हानि के माध्यम से शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाती है।

## .k½ foRrh; ifjlEifr;k

### d½ foRrh; ifjlEifr;k dk oxhZdj.k

प्रारंभिक स्वीकृति के दौरान वित्तीय परिसम्पति का मापन व्यवसाय माडल के लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय परिसम्पतियों एवं संविदागत रोकड़ प्रवाह की विशिष्टताओं के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त परिशोधन लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल पर किया जाता है।

## r½ Lohdfr ,oa ikjfHkd ekiu

किसी वित्तीय परिसम्पति की प्रारंभिक स्वीकृति उसके उचित मूल्य पर की जाती है तथा एफवीटीपीएल, उसके अधिग्रहण अथवा जारी किए जाने से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों पर नहीं की जाती है। वित्तीय परिसम्पतियों के क्रय एवं विक्रय के प्रति व्यवसाय की तिथि को की जाती है जो कि उपकरण के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी के पक्षकार बनने की तिथि है। यदि वित्तीय परिसम्पतियों को लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकार्ड नहीं किया जाता है तो उनकी संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति के अधिग्रहण से समबद्ध कर दिया जाता है।

इसके अलावा, प्रारंभिक स्वीकृति के समय कम्पनी द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से ऐसी वित्तीय परिसम्पति को पदनामित किया जाता है जो अन्यथा स्थिति में परिशोधन लागत अथवा एफवीटीपीएल के अनुसार एफवीटीओसीआई पर मापन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं तथा ऐसा करके ऐसे लेखांकन के अनुपयुक्त मेल समाप्त कर दिए जाते हैं अथवा कम कर दिए जाते हैं जो ऐसा न किए जाने पर हो सकते थे।

### x½ vuqorhZ ekiu

निम्नलिखित दोनों अपेक्षाएं पूरी होने तथा एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट नहीं होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पति का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता हैः–

- परिसम्पति का धारण बिजनेस मॉडल के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिसम्पतियां का धारण करके संविदागत रोकड़ प्रवाह का एकत्रण करना है।
- जिस सम्पति की संविदागत शर्तों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसा रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है, जो बकाया मूल राशियों की मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के लिए है।

वित्तीय परिसम्पतियों का एफवीटीपीएल पर मापन प्रतयेक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनःमापन के दौरान लाभ अथवा हानि में स्वीकृत लाभ एवं हानि के साथ किया जाता है। लाभ अथवा हानि विवरण में स्वीकृत निवल लाभ अथवा हानि में वित्तीय परिसम्पतियों पर प्राप्त किसी प्रकार के लाभांश एवं ब्याज शामिल किए जाते हैं

तथा इन्हें ''अन्य आय'' लाइन मद में शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसम्पतियों के लाभांश पर एफवीटीपीएल की स्वीकृति तब होती है जब :

- जब कम्पनी का लाभांशों की प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो;
- जब ऐसी संभावना व्याप्त हो कि लाभांश से सम्बद्ध आर्थिक लाभों का लाभ इक्विटी को प्राप्त होगा;
- लाभांश से निवेश की लागत के भाग वसूली की प्रस्तुति न हो तथा लाभांश की राशि का मापन विश्वसनीय रूप में किया जा सकता हो।

?k½ foRrh; ifjlEifr;k dh Lohdfr lekIr djuk

कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों के प्रति स्वीकृति समाप्त की जाती है जब परिसम्पति से संबद्ध रोकड़ प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अथवा, जब वित्तीय परिसम्पति का अंतरण कर दिया जाता है तथा परिसम्पति के स्वामित्व से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल किसी अन्य पार्टी को अंतरित कर दिए जाते हैं।

3½ vU; foRrh; ifjlEifr;k dh {kfr

कम्पनी द्वारा परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों, एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों, प्राप्य पट्टों, प्राप्य व्यवसाय, रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति की प्राप्ति के अन्य संविदागत अधिकारों की अक्षमता हानि का संज्ञान करने के लिए संभावित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग किया जाता है।

संभावित क्रेडिट हानियां भारित औसत पर भारिता के साथ–साथ उत्पन्न होने वाले संबद्ध चूक जोखिमों से युक्त क्रेडिट हानियां है। क्रेडिट हानि कम्पनी को अनुबंध के अंतर्गत देय सभी संविदागत रोकड़ प्रवाहों तथा उन रोकड़ प्रवाहों के मध्य का अंतर है जिनकी, मूल प्रभावी ब्याज दर (अथवा मूल क्रेडिट क्षति युक्त वित्तीय परिसम्पतियों के क्रय अथवा उससे उत्पन्न क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर) को घटाकर, (अर्थात सभी रोकड़ न्यूनताएं) प्राप्त होने की प्रत्याशा कम्पनी को होती है। कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के माध्यम वित्तीय उपकरणों (उदाहरण के तौर पर पुनर्भुगतान, विस्तार, कॉल एवं समान प्रकार के विकल्प) के सभी संविदागत उपबंधों पर विचार करके रोकड़ प्रवाहों के अनुमान लगाए जाते हैं।

कम्पनी द्वारा वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मूल्यांकन, यदि ऐसे वित्तीय उपकरण के क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से अत्यधिक वृद्धि हुई है, उपयोज्यता काल की संभावित क्रेडिट हानियों की समान राशि पर किया जाता है। यदि प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से वित्तीय उपकरण क्रेडिट जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है तो कम्पनी द्वारा ऐसे वित्तीय उपकरण के हानि अंश का मापन 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर किया जाता है। 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियां संभावित उपयोज्यता काल का भाग होती हैं तथा इनसे उपयोज्यता काल की वे रोकड़ न्यूनताएं प्राप्त होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह की अवधि में किसी प्रकार की चूक घटित होने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती हैं तथा इस प्रकार ये वे रोकड़ न्यूनताएं नहीं हैं जो अगले 12 माह के लिए संभावित हैं।

यदि कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय उपकरण के संभावित उपयोज्यता काल के हानि अंश के लिए पिछले वर्ष की क्रेडिट हानि माडल के अनुसार मापन करके रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में, पिछले वर्ष की तुलना में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आने के कारण, प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम न बढ़ने के निर्धारण किए गए हैं, तो कम्पनी द्वारा हानि

अंश का पुनः मापन 12 माह की संभावित क्रेडिट हानियों पर किया जाता है।

व्यवसाय प्राप्यों अथवा किन्हीं संविदागत अधिकारों के अंतर्गत इंड एएस 115 के प्रक्रिया क्षेत्र के दायरे में किए गए संव्यवहार के परिणामस्वरूप रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा सदैव क्रेडिट हानि के संभावित उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर हानि अंश का मापन किया जाता है।

इसके अलावा, व्यवसाय प्राप्यों के प्रति संभावित उपयोज्यता काल क्रेडिट हानि भत्ते के मापन के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा इंड एएस 109 के अंतर्गत अनुमत्त व्यावहारिक प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस संभावित क्रेडिट हानि अंश का आकलन मैट्रिक्स प्रावधान पर आधारित है जिसके अंतर्गत खाते को ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव में लाकर प्रगतिशील सूचना के लिए समायोजित किया जाता है।

क्षति के अंतर्गत हानि अंश की स्वीकृति एवं मापन किया जाना अपेक्षित है जो हानि अंश की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में करने के अलावा समान रूप से एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरणों के लिए उपयोग में लाया है तथा तुलन पत्र में इसे वहन राशि से कम नहीं किया जाता है।

p½ iHkkoh C;kt fof/k

प्रभावी ब्याज विधि एक ऐसी विधि है, जिससे ऋण उपकरण का परिशोधन लागत पर आकलन एवं सम्बद्ध वर्ष में ब्याज का आय का निर्धारण किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है जो अनुमानित भावी रोकड़ प्राप्तियों (सभी शुल्कों तथा चुकता अथवा प्राप्त ऐसे प्वाइंटों सहित जो प्रभावी ब्याज दर, संव्यवहार लागतों तथा अन्य प्रीमियमों एवं रियायतों का अभिन्न अंग हैं) को ऋण उपकरणों के संभावित काल अथवा, जहां यथोचित हो, अपूर्ण वर्ष, पर प्रारंभिक स्वीकृति की निवल वहन राशि में सटीक रूप में न्यूनता स्थापित करती हैं।

आय की स्वीकृति ऋण उपकरण पर प्रभावी ब्याज दर पर की जाती है जो एफवीटीपीएल में वर्गीकृत वित्तीय परिसम्पतियों के अलावा हैं। ब्याज आय की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की जाती है तथा इसे ''अन्य आय'' की लाइन मद में शामिल किया जाता है।

N½ cVVk [kkrk

वित्तीय परिसम्पति की सकल वहन राशि की वसूली का कोई उचित कारण न होने की स्थिति में उसे बट्टे खाते (आंशिक अथवा पूर्ण रूप से) में डाल दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः ऐसे मामले में भी किया जाता है जब कम्पनी ऐसे निर्धारण करती हैं कि काउंटर पार्टी के पास परिसम्पतियां अथवा आय स्रोत नहीं हैं जिनसे बट्टा की जा रही राशि के भुगतान के लिए रोकड़ प्रवाह उत्पन्न हो सके। तथापि, बट्टा खाता में प्रभारित करने के बाद भी कम्पनी की धन की वसूली से संबंधित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय परिसम्पतियों के लिए प्रवर्तन क्रियाएं जारी रह सकती हैं।

¼2½ foRrh; ns;rk,¡

d½ oxhZdj.k

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण ''एफवीटीपीएल'' अथवा ''अन्य वित्तीय देयताओं'' पर वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है।

## [k½ ikjfHkd Lohdfr rFkk ekiu

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक स्वीकृति उचित मूल्य पर की जाती है। कम्पनी वित्तीय देयताओं में व्यवसाय एवं अन्य देय शामिल करती है।

## x½ vuqorhl ekiu

### vU; foRrh; ns;rk,i %

अन्य वित्तीय देयताओं (ऋण तथा व्यवसाय एवं अन्य देय सहित) का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। देयताओं की स्वीकृति समाप्त किए जाने तथा ईआईआर परिशोधन के माध्यम से प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। परिशोधन लागत का आकलन अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की रियायत अथवा प्रीमियत तथा फीस अथवा ऐसी लागतों को विचार में लेकर किया जाता है जो ईआईआर का अभिन्न भाग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागतों के रूप में शामिल कर लिया जाता है।

## ?k½ Lohdfr lekIr djuk

कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय दायित्वों के निर्वाह कर लिए जाने, रद्द किए जाने अथवा समाप्त हो जाने के पश्चात अपनी वित्त देयताओं के प्रति तब स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। वित्तीय देयताओं के मध्य वहन राशि के अंतर समाप्त करके चुकता अथवा देय भुगतान को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत कर लिया जाता है।

## M-½ foRrh; midj.kks dk lek;kstu

तुलन पत्र में प्रभारित निवल राशि के प्रति चालू प्रवर्तनयोग्य स्वीकृत राशियों के समंजन का विधिक अधिकार होने तथा उन्हें निवल आधार बिक्री किए जाने की मंशा होने की स्थिति में परिसम्पतियों से प्रतिफल प्राप्त करने और साथ ही साथ देयताओं की बिक्री के लिए वित्तीय परिसम्पतियों तथा देयताओं का समंजन कर लिया जाता है।

## p½ Fkks'kgkYM lhek,i %

प्रत्येक मामले में 10,000 भारतीय रूपए तथा अधिक राशि को पूर्व चुकता व्यय / देयताओं के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

## N½ vfuf'prrk ds vuqekuks ds izeq[k lzksr

1. प्रबंधन द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोज्यता काल की समीक्षा की जाती है। ऐसे उपयोज्यता काल सम्बद्ध कार्यकुशलता एवं प्रचालन लागतों सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य कारकों के आधार पर परिसम्पतियों की तकनीकी उपयोज्यता एवं आर्थिक उपयोज्यता के दोनों मूल्यांकनों पर आश्रित होते हैं। पुनःमूल्यांकन से भावी अवधियों के मूल्यह्रास एवं परिशोधन में परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं।

## 2- vkdfLedrk,a

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान कम्पनी के कानूनी तथा अन्य दावों से अन्य देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी देयताएं संभावित होती हैं परन्तु उनसे फल प्राप्त होने अथवा आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकार किए जाने के विश्वसनीय कारण ज्ञात कर पाना कठिन होता है। ऐसी देयताओं का प्रकटीकरण नोट के माध्यम से किया जाता तथा उन्हें स्वीकृति नहीं दी जाती है। कम्पनी द्वारा अल्प संभावना के रूप में निर्धारित किए गए मामलों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

यदि आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित नहीं है तो आकस्मिक परिसम्पतियों की न तो स्वीकृति की गई है तथा न ही वित्तीय विवरणों के लिए उनका प्रकटीकरण किया गया है।

## 31 ekpl 2019 dks rFkk bl frfFk dks lekIr o"kl ds fy, foRrh; fooj.kksa ds uksV

### 3- vk;dj ifjlaifRr;ka ¼fuoy½

¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dks | 31 ekpl 2018 dks |
|---|---|---|
| स्रोत पर अग्रिम कर अैर कर की कटौती (कर हेतु प्रावधान का निवल) | **150.75** | 385.85 |
| dqy | **150.75** | **385.85** |

नोट 26 का संदर्भ लें।

### 4 vkLFkfxr dj ifjlaifRr;ka ¼fuoy½

¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dks | 31 ekpl 2018 dks |
|---|---|---|
| आस्थगित कर देयताएं | **(124.75)** | (97.52) |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियां | **1202.41** | 103.3 |
| dqy | **1,077.66** | 5.78 |

नोट 34 का संदर्भ लें

### 5 vU; ifjlaifRr;ka

¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dks | | 31 ekpl 2018 dks ¼iqufuZ/kkfjr½ | |
|---|---|---|---|---|
| | xSj&pkyw | pkyw | xSj&pkyw | pkyw |
| वेंडरों को अग्रिम (नोट 26 का संदर्भ लें) | **-** | **23.48** | - | 14.39 |
| सरकारी प्राधिकारणों में प्रतिभूति जमा | **0.15** | **-** | - | |
| एसएफआईएस के अंतर्गत ड्यूटी ऋण पात्रताएं (नोट 31 का संदर्भ लें) | **-** | **88.39** | - | 194.93 |
| dqy | **0.15** | **111.87** | **-** | **209.31** |

### 6 njlfp;ka

¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dks | 31 ekpl 2018 dks ¼iqufuZ/kkfjr½ |
|---|---|---|
| भंडारण एवं कलपुर्जे | **89.81** | 124.93 |

नोट 28 का संदर्भ लें

## 7 0;kikj ikI; ¼fuoy½*  ¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dk | 31 ekpl 2018 dk ¼iqufu/kkfjr½ |
|---|---|---|
| वसूलीयोग्य व्यापार प्राप्य – रक्षित | | |
| वसूलीयोग्य व्यापार प्राप्य – अरक्षित | **1,599.77** | 1,686.97 |
| ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि वाले व्यापार प्राप्य | **436.26** | - |
| व्यापार प्राप्य – ऋण घाटा | **-** | - |
| | **2,036.04** | 1,686.97 |
| घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए स्वीकृति (नोट 42(i) का संदर्भ लें) | **(436.26)** | - |
| | **1,599.77** | 1,686.97 |
| स्मूह कंपनियों से देय राशियां | **2,408.94** | 1,534.47 |
| dqy | **4,008.71** | **3,221.44** |

*नोट 26 का संदर्भ लें

## 8 jksdM ,oa jksdM lerqY;  ¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dk | 31 ekpl 2018 dk |
|---|---|---|
| उपलब्ध रोकड़ | **0.07** | 0.07 |
| बैंक शेष | | |
| - चालू खातों में | **139.31** | 228.18 |
| dqy | **139.37** | **228.25** |

## 9 jksdM rFkk jksdM lerqY;ksa ls brj cSad 'ks"k  ¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dk | 31 ekpl 2018 dk |
|---|---|---|
| निर्धारित शेष | | |
| - साविधि जमा राशियों में | **0.17** | 0.16 |
| कुल | **0.17** | 0.16 |
| निर्धारित शेष बिक्रीकर उपायुक्त के पास सावधि जमा राशियों से संबंधित है | | |

## 10- vU; pkyw foRrh; ifjlaifRr;k¡ ¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | 31 ekpZ 2018 dks |
|---|---|---|
| vjf{kr] olwyh ;ksX; | | |
| स्टॉफ से वसूल किए जाने वाले (नोट 26) | **99.70** | 16.84 |
| अन्य वसूलीयोग्य | **18.33** | 27.49 |
| dqy | **118.02** | 44.33 |

## 11 bfDoVh 'ks;j iwath ¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | | 31 ekpZ 2018 dks | |
|---|---|---|---|---|
| | 'ks;jksa dh la- | jkf'k ¼:i, fefy;u esa½ | 'ks;jksa dh la- | jkf'k ¼:i, fefy;u esa½ |
| प्राधिकृत शेयर पूंजी | | | | |
| प्रति 10 रूपए के मूल्य के इक्विटी शेयर | **1,000.00** | **10,000.00** | 1,000.00 | 10,000.00 |
| जारी व अंशदायी | | | | |
| प्रति 10 रूपए के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | **138.42** | **1,384.24** | 138.42 | 1,384.24 |
| | **138.42** | **1,384.24** | 138.42 | 1,384.24 |

### d- dEiuh esa 5 izfr'kr ls vf/kd dh /kkfjrk okys 'ks;j/kkjd ¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | | 31 ekpZ 2018 dks | |
|---|---|---|---|---|
| | 'ks;jksa dh la- | 'ks;jksa dk izfr'kr | 'ks;jksa dh la- | 'ks;jksa dk izfr'kr |
| एअर इंडिया लिमिटेड – धारक कंपनी | **138.42** | **100** | 138.42 | 100 |

शेयरधारकों/सदस्यों के रजिस्टरों सहित कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, उपर्युक्त शेयरधारिता शेयरों के कानूनी स्वामित्व को दर्शाती है।

### [k- 0k"kZ ds vkjEHk rFkk var esa cdk;k bfDoVh 'ks;jksa dk lek/kku ¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | | 31 ekpZ 2018 dks | |
|---|---|---|---|---|
| | 'ks;jksa dh la- | jkf'k ¼:i, fefy;u esa½ | 'ks;jksa dh la- | jkf'k ¼:i, fefy;u esa½ |
| वर्ष के आरंभ में | **138.42** | **1,384.24** | 138.42 | 1,384.24 |
| वर्ष के दौरान जारी | **-** | **-** | - | - |
| वर्ष के अंत में बकाया | **138.42** | **1,384.24** | 138.42 | 1,384.24 |

## x- bfDoVh 'k;jk dk lkFk lc) 'krk ,o vf/kdkj

(i) कंपनी ने केवल एक श्रेणी के शेयर जारी किए हैं जिन्हें इक्विटी शेयर कहते हैं और इनका प्रति शेयर मूल्य 10 रूपए है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ii) कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी बाहरी देयतों के भुगतान के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इन परिसंपत्तियों का संवितरण, सभी प्रेफरेंशियल राशियों, यदि कोई हो, के संवितरण के पश्चात शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

## 12- vU; bfDoVh

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp] 2019 dk | 31 ekp] 2018 dk |
|---|---|---|
| | **2158.03** | 580.55 |
| अन्य वृहत आय | | |
| निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन | **(52.90)** | (86.50) |
| dqy | **2105.13** | 494.05 |

### ifr/kkj.k vkenfu;k¡ %

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के वे लाभ हैं जो आज की तिथि तक अर्जित लाभ घाटा आरक्षित निधि में अंतरित कोई राशि व शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश या अन्य संवितरण है। प्रतिधारित आमदनियों में शामिल हैं –निर्धारित लाभ योजनाओं पर घाटा/(लाभ) का पुनर्मापन, करों का निवल, जिन्हें लाभ व हानि खाते में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है। प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के पास उपलब्ध मुक्त आरक्षित निधियां हैं।

## 13- vU; foRrh; ns;rk,a

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp] 2019 dk | | 31 ekp 2018 dk ¼iqufu/kkZfjr½ | |
|---|---|---|---|---|
| | xSj&pkyw | pkyw | xSj&pkyw | pkyw |
| ग्राहकों से प्रतिभूति जमा | 9.42 | - | - | - |
| कर्मचारियों को देय (नोट 26 का संदर्भ लें) | 1.00 | 74.63 | - | 219.40 |
| अन्य | - | 1,073.67 | - | 1,029.40 |
| dqy | 10.42 | 1,148.30 | - | 1,248.80 |

## 14- iko/kku

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp] 2019 dk | | 31 ekp 2018 dk ¼iufu/kkfjr½ | |
|---|---|---|---|---|
| | xj&pky | pky | xj&pky | pky |
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | | | | |
| क्षतिपूरक अनुपस्थिति का प्रावधान | **351.34** | **85.75** | 371.41 | 103.96 |
| उपदान के लिए प्रावधान | **812.63** | **153.59** | 916.96 | 207.23 |
| चिकित्सा सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान | **1,316.16** | **57.48** | 1,292.90 | 50.60 |
| कुल | **2,480.13** | **296.82** | 2,581.27 | 361.79 |

नोट 32 का संदर्भ लें।

## 15- 0;kikj ikI; ¼fuoy½*

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp] 2019 dk | 31 ekp 2018 dk ¼iufu/kkfjr½ |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य | | |
| –सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण कुल बकाया राशियां (नोट 35 का संदर्भ लें) | **-** | - |
| –सुक्ष्म और लघु उद्यमों के इतर ऋणदाताओं से कुल बकाया राशियां (नोट 35 का संदर्भ लें) | **434.85** | 401.69 |
| d|y | **434.85** | **401.69** |

देय राशियों का निपटान सामान्यत 30–70 दिन के भीतर किया गया।

* नोट 26 का संदर्भ लें।

## 16- vU; pky n;rk,

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp] 2019 dk | 31 ekp 2018 dk ¼iufu/kkfjr½ |
|---|---|---|
| सांविधिक देयताएं (नोट 26 का संदर्भ लें) | **335.84** | 371.37 |
| वेंडरों से जमा राशियां | **42.31** | 42.09 |
| अन्य देयताएं | **0.15** | - |
| d|y | **378.30** | **413.44** |

17- ifjpkyuksa ls jktLo ¼: i, fefy;u esa½

| | fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ gsrq | 31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ gsrq ¼iquZfu/kkZfjr½ |
|---|---|---|---|
| d | xzkmaM gSaMfyax lsokvksa ls jktLo | | |
| | | | |
| | समूह कंपनियों से राजस्व | **3,791.74** | 3,714.65 |
| | तीसरा पक्ष हैंडलिंग से राजस्व | **2,003.84** | 2,268.52 |
| | सरकारी पक्षों से राजस्व | **41.18** | 23.67 |
| | सामान्य हैंडलिंग से राजस्व | **235.76** | 199.00 |
| | | **6,072.52** | **6,205.84** |
| | घटाः धारक कंपनी के साथ राजस्व भागीदारी | **(406.78)** | (750.00) |
| | कुल (क) | **5,665.74** | **5,455.84** |
| [k | dkxks gSaMfyax ls jktLo | | |
| | – कृषि एवं परिष्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) से राजस्व | **147.92** | 194.52 |
| | – अन्य | **551.99** | 738.43 |
| | dqy ¼[k½ | **699.91** | 932.95 |
| x | xzkmaM gSaMfyax midj.kksa dk _.k | **263.48** | **37.30** |
| | dqy ¼x½ | **263.48** | 37.30 |
| | dqy ¼d$[k$x½ | **6,629.13** | **6,426.09** |

18- vU; vk; ¼: i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ gsrq | 31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ gsrq ¼iquZfu/kkZfjr½ |
|---|---|---|
| भर्ती आवेदन राशि | **5.63** | 0.87 |
| ओवरड्यू भुगतानों पर ब्याज | **148.19** | 76.61 |
| सावधि जमा राशियों पर ब्याज | **0.91** | 2.04 |
| विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और अंतरणों पर निवल लाभ | **149.65** | 35.39 |
| परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ | **-** | 7.34 |
| अन्य विविध आय | **138.13** | 144.33 |
| dqy | **442.51** | **266.58** |

## 19- deZpkjh ykHk O;; ¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ gsrq | 31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ gsrq ¼iqufuZ/kkfjr½ |
|---|---|---|
| वेतन, पारिश्रमिक एवं बोनस | **3,620.45** | 3,955.65 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान (नोट 32 का संदर्भ लें) | **399.68** | 371.62 |
| उपदान (नोट 32 का संदर्भ लें) | **(22.73)** | 124.67 |
| क्षतिपूरक अनुपस्थिति (नोट 32 का संदर्भ लें) | **39.17** | 85.58 |
| चिकित्सा लाभ व्यय (नोट 32 का संदर्भ लें) | **118.95** | 114.48 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | **9.34** | 56.50 |
| dqy | **4,164.88** | **4,708.50** |

## 20- vU; O;; ¼:i, fefy;u esa½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ gsrq | 31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ gsrq ¼iqufuZ/kkfjr½ |
|---|---|---|
| हैंडलिंग प्रभार | **194.71** | 106.48 |
| भर्ती व्यय | **1.51** | 0.08 |
| बीमा व्यय | **43.06** | 37.05 |
| टेलीफोन शुल्क | **0.94** | 1.23 |
| मरम्मत और रखरखाव | **50.73** | 62.52 |
| बिजली, हीटिंग और ईंधन | **232.96** | 132.81 |
| जल प्रभार | **7.42** | 8.34 |
| स्टोर और स्पेयर खपत | **69.40** | 145.51 |
| परिवहन और उपकरणों का किराया | **20.66** | 16.43 |
| परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से घाटा | **6.99** | - |
| मुद्रण और स्टेशनरी | **2.81** | 1.96 |
| एसएफआईएस के अंतर्गत ड्यूटी ऋण पात्रता का व्युत्क्रम (नोट 31 का संदर्भ लें) | **96.98** | 31.24 |
| संभावित ऋण घाटा भत्ता (नोट 42(प) का संदर्भ लें) | **436.26** | - |
| किराया व्यय | **45.95** | 69.94 |
| दरें और कर | **7.91** | 12.17 |
| यात्रा और वाहन व्यय | **32.75** | 27.87 |
| कानूनी और व्यावसायिक व्यय | **20.86** | 2.50 |
| नागर विमानन महानिदेशालय को शुल्क | **0.59** | 0.19 |
| बैंक प्रभार | **0.72** | 2.27 |
| यात्री बैगेज दावा व्यय | **0.55** | 0.59 |
| क्लियरिंग और अग्रेषण प्रभार | **7.40** | 3.75 |
| सांविधिक देयताओं पर ब्याज व्यय | **0.06** | 3.18 |
| सीएसआर व्यय | **19.24** | 4.96 |
| सांविधिक लेखापरीक्षक को परिलब्धि | | |
| –लेखा परीक्षा शुल्क | **0.56** | 0.56 |
| –आउट आफ पाकेट व्यय | **0.06** | 0.09 |
| विविध व्यय | **25.68** | 14.20 |
| dqy | **1,326.77** | 685.92 |

# fnukd 31 ekp 2019 dk rFkk bl frfFk dk lekIr o"k d fy, foRrh; fooj.kk d Hkkx dk l`tu dju okys ukV

## 21- fofuo'k ifØ;k

(i) एअर इंडिया (एआई) के विनिवेश पर नीति आयोग की सिफरिशों और तत्पश्चात, विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख समूह (सीजीडी) की सिफारिशों के दृष्टिगत, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28 जून 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एअर इंडिया समूह के नीतिगत विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। सीसीईए ने नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया में मार्गदर्शन के लिए ,vj bfM;k fof'k"V o dfYid r= (एआईएएएम) का गठन किया है।

सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करने और विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए संव्यवहार सलाहकार, विधिक सलाहकार और परिसम्पत्ति वेल्युवर की भी नियुक्ति की गई है।

(ii) एआईएसएएम ने दिनांक 21 सितंबर 2017 और 05 अक्तूबर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि:

(क) एअर इंडिया की निम्नलिखित चार सहायक कंपनियां नए रूप से निर्मित विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) में अविलयित और पार्क होंगी:

i) एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)

ii) एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एएएसएल)

iii) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल)

iv) होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई)

(ख) विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) का गठन चार सहायक कंपनियों यथा एआईएटीएसएल, एएएसएलप, एआईईएसएल, एचसीआई सहित किसी भी परिसंपत्ति द्वारा असमर्थिक संचित कार्यशील पूंजीगत ऋण, गैर महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों, पेंटिंग तथा कलाकृतियों और अन्य गैर प्रचालनिक परिसंपत्तियों के वेयरहाउसिंग संचयन के लिए किया गया है। इस निकाय को **,vj bfM;k ,lV l gkfYMx fyfeVM** नाम दिया गया है।

(iii) एआईएसएएम के उपर्युक्त निर्णय के अनुसारण में, एसपीवी यथा ,vj bfM;k ,lV l gkfYMx fyfeVM (एआईएएचएल) का गठन किया गया था।

(iv) नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 03 नवंबर 2017 के अपने पत्र सं. एवी.17046/368/2017–एआई के तहत एअर इंडिया को निदेश दिया है कि उपर्युक्त चार सहायक कंपनियों को एसपीवी में शामिल करने के लिए इन्हें अविलयित करे। आगे यह भी निदेश दिए गए हैं कि बही मूल्यों पर (वर्ष के दौरान इक्विटी में किसी प्रकार के संवर्धन सहित 31 मार्च 2017 को तुलन पत्र में दर्शाए मूल्य पर) एअर इंडिया से एसपीवी कंपनी में एआईएटीएसएल, एएएसएल, एआईईएसएल तथा एचसीआई नामक सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश को अंतरित किया जाए।

(v) एअर इंडिया के निदेशक मंडल ने 17 नवंबर 2017 को आयोजित अपनी 82वीं बोर्ड बैठक में विधिक सलाहकार की सिफारिशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुसरण करने और कोई अन्य

विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात  एसपीवी कंपनी में एआईएटीएसएल, एएएसएल, एआईईएसएल तथा एचसीआई नामक सहायक कंपनियों में एअर इंडिया के हित को अंतरित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के भीतर सहायक कंपनियों यथा एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल), एअर इंडिया एअर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस लिमिटेड(एआईएटीएसएल) और एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एएएसएल) की बिक्री/विनिवेश प्रक्रिया के निपटान की कार्यविधि का पृथक रूप से निर्धारण किया जाए।

दिनांक 07 सितंबर 2018 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों की तर्ज पर कंपनी के निदेशक मंडल ने 16 अक्तूबर 2018 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में अंतरण की विस्तृत शर्तों और निबंधनों को अंतिम रूप देने के लिए एआईएटीएसएल/एआईएएचएल से वार्ता आरंभ करने के लिए कंपनी को आवश्यक स्वीकृतियों और प्राधिकार के अध्याधीन एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल, एसपीवी) को इसकी सहायक कंपनी यथा एआईएटीएसएल की 100 प्रतिशत शेयरधारिता अंतरित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने 31 मार्च 2018 को एआईएटीएसएली की निवल सम्पत्ति के समरूपी न्यूनतम मूल्य पर उपर्युक्त अंतरण को स्वीकृति प्रदान की है। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि बाद में एआईएएचएल एआईएटीएसएल को तीसरे पक्ष को उच्चतर मूल्यों में बेचने में सक्षम होता है तो, इस प्रकार की अतिरिक्त राशि एआईएएचएल द्वारा एआईएटीएसएल की खरीद के भाग के रूप में एआईएएचएल द्वारा एआई को देय होगी। एआईएटीएसएल की शेयरधारिता को एआईएएचएल में विधिक रूप से अंतरित करने की प्रक्रिया अभी भी प्रगति में है और इसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, इस संबंध में, एआईएटीएसएल के विनिवेश के लिए रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु प्रथमिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) पहले जी जारी किया जा चुका है।

. 12 फरवरी, 2019 को पीआईएम जारी किया गया ''ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 16 मई 2019'' जिसे 16 अगस्त, 2019 तक बढाया गया था।

. अर्हक हितधारक बोलीदाताओं (क्यूआईबी) की सूचना की अंतिम तिथि को भी 16 सितंबर, 2019 तक बढ़ाया गया था।

एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के प्रबंधन नियंत्रण की प्रस्तावित नीतिगत बिक्री और अंतरण के लिए ईओआई हेतु वैश्विक आमंत्रण को एआईएटीएसएल की वेबसाइट aiatsl.com/Tenders पर डाला गया है।

## 22- vkdfLed nkf;rk,¡

d- fookfnr nkok@'kqYd ¼C;kt lfgr] ;fn dksbZ gks½

ख. कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप मे स्वीकार नहीं किया गया है (कतिपय मामलों में ब्याद और दंड को छोड़कर) और इंड एएस 37 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार हैः

¼:i, fefy;u e½

| Ø-l- | fooj.k | 31 ekp 2019 dk 'k"k | 31 ekp 2018 dk 'k"k |
|---|---|---|---|
| (i) | कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस, जो अपीलाधीन हैं (*) | **23.29** | 23.29 |
| (ii) | हवाईअड्डा प्रचालकों/अन्यों के दावे (**) | **30.57** | 30.57 |
| (iii) | कर प्राधिकरणों द्वारा मांग की गई सेवा कर (***) | **1.10** | 1.10 |
| (iv) | स्टाफ/सिविल/मध्यस्थता मामलों में अन्य दावे जो न्यायालयों में लिंबित हैं | **4.10** | 6.90 |
| | dy | **35.77** | 38.57 |

vU; vkdfLed n;rkvk d lc/k e fooj.kkRed ukV

1- diuh }kjk ikIr vk;dj ekx ukfVl] tk vihyk/khu g ¼*½

d- minku vLohdfr% ज्ञानी आयकर उपायुक्त ने त्रुटिवश दिनांक 07.01.2015 को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर संशोधित आयकर रिटर्न को अस्वीकार किया है और आगे त्रुटिवश लेखापरीक्षा रिपोर्ट और दिनांक 07.01.2015 को दायर संशोधित रिपर्ट के अनुसार धारा 40क(7) के अंतर्गत 2.60 मिलियन रूप के रूप में निर्धारित सही राशि के स्थान पर धारा 40क(7) के अंतर्गत 16.67 मिलियन रूपए को अस्वीकार किया है।

[k- Hkfo"; fuf/k e deZpkjh v'knku% ज्ञानी डीसीआईटी ने त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(24) (x) के साथ पठित धार 36 (i)(वीए) के तहत भविष्य निधि के प्रति नियोक्ता अंशदान के संबंध में अपीलकार्ता की कुल आय में 9.06 मिलियन रूपए का संवर्धन किया है।

2- gokbZvMMk ipkydk d nkok e 'kkfey g **(**)**

(i) कतर एयरवेस ने क्षति/दावें के प्रति सहायक साक्ष्यों को प्रस्तुत किए बिना अपने विमान को क्षति के विरूद्ध 14.2 मिलियन रूपए की मांग प्रस्तुत की थी। तथापि, कंपनी ने इस दावे को बीमक के पास अग्रेषित कर दिया है, जिसने इस दावे के निपटान के लिए इसे अगे रीइंश्योरर को अग्रेषित कर दिया है। रीइंश्योरर ने किए गए दावे के संबंध में सहायक दस्तावेजों को अग्रेषित करने का अनुरोध किया है। दावे या क्षति के लिए साक्ष्य/सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए यह मामला कतर एयरवेस के साथ अभी भी लंबित है। इसलिए, उक्त दावे को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

(ii) मैसर्स एसले काले ने 6.47 मिलियन रूपए की राशि के बिल प्रस्तुत किए थे जो कंपनी द्वारा हैंडल किए गए तीसरे पक्ष एयरलाइन के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आयटा) बिलिंग के लिए कंपनी द्वारा उनके साफ्टवेयर के प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए किसी औपचारिक संविदा के अभाव में, इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है और इसे आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।

(iii) नेहा एविएशन मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जयपुर हवाईअड़डे पर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग, विविध सेवाएं प्रदान करने के लिए 9.9 मिलियन रूपए (पीनल ब्याज और उसपर जीएसटी सहित) की मांग प्रस्तुत की थी। कंपनी को उनके

सभी बकाया प्राप्त हो गए हैं और उन्होंने पाया कि वेंडर द्वारा प्रास्तुत बिल सही नहीं था और प्रत्येक एक सेवा के लिए दोहरा बिल प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, इस दावें को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है तथा इसे आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।

3- dj ikf/kdj.kk }kjk ekxk x;k lsok dj **(***):** सेवाकर मामल : सेवा कर के लिए निम्नलिखित के लिए एससीएन–सह–मांग नोटिस सीजीएसटी/एमई/डीएन.।।।/आर–।/1/2019–20 प्राप्त हुआ है: (क) 1.10 मिलियन रूपए के लिए ''वेतन अवधि नोटिस''(अप्रैल 2016– जून 2017), (ख) प्राप्त 'आवेदन शुल्क/राशि' जमा ब्याज और (क) तथा (ख) दोनों पर पीनल ब्याज, यदि कोई हो। इसके अतिरिक्त, 08 अगस्त 2018 के पत्र सं. ओ/ए–एनवीके/174/आरजीडी/2018 के अनुसार, यह कहा गया था कि आवेदन शुल्क सेवाकर के लिए दायी नहीं है। इसप्रकार, इसके अनुसार ''नोटिस अवधि वेतन'' पर केवल सेवाकर की मांग तभी देय होगी जब यदि अधीक्षक सीजीएसटी एंड सी एक्स. द्वारा निपटान को स्वीकार नहीं किया जाता है।

23- iwath ,oa vU; nh?kZdkyhu izfrc)rk,¡

पूंजी संविदागत प्रतिबद्धताएं और दीर्घकालीन प्रतिबद्धताएं शूल्य (पिछले वर्ष शून्य) हैं।

24- bM ,, l&8 **ys[kkdu uhfr] ys[kkdu vuqekuksa vkSj =qfV;ksa esa ifjorZu** ds vuqlkj iwoZ vof/k =qfV;ksa esa l/kkj

वर्ष के दौरान, कंपनी ने आरंभिक शेषों का विस्तृत समीक्षा की है और पाया कि वित्तीय विवरण के नीचे उल्लिखित लाइन मदें पूर्व वर्ष में सही रूप में लेखांकित/प्रकट नहीं हैं।

इन अशुद्धियों को निम्नानुसार पूर्व वर्ष के लिए प्रत्येक प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन मदों को पुनर्निर्धारित करके सही किया गया है:

:i, fefy;u esa

| rqyu i= ¼lkj½ | 31 ekpZ 2018 dks ¼iwoZ esa fjiksfVZM vuqlkj½ | of)@¼deh½ | 31 ekpZ 2018 dks ¼iqufu/kkZfjr½ |
|---|---|---|---|
| अन्य चालू परिसंपत्तियां (नोट 5 का संदर्भ लें) | 80.63 | 31.24 | 111.87 |
| व्यापार प्राप्य (नोट 7 का संदर्भ लें) | 3,294.24 | (72.80) | 3,221.44 |
| दरसूचियां (नोट 6 का संदर्भ लें) | 113.11 | 11.82 | 124.93 |
| व्यापार प्राप्य (नोट 15 का संदर्भ लें) | 399.96 | 1.73 | 401.69 |
| अन्य चालू वित्तीय देयताएं (नोट 13 का संदर्भ लें) | 1,109.13 | 139.68 | 1,248.81 |
| अन्य चालू देयताएं (नोट 16 का संदर्भ लें) | 348.09 | 65.37 | 413.46 |
| fuoy ifjlaifRr;ka | **2,055.34** | **(177.05)** | **1,878.29** |
| प्रतिधारित आमदनियां (नोट 12 का संदर्भ लें) | 671.09 | **(177.05)** | 494.05 |
| dqy bfDoVh | **2,055.34** | **(177.05)** | **1,878.29** |

:i, fefy;u e

| ykHk ,o gkfu fooj.k ¼lkj½ | 31 ekp 2018 dk ¼iol e fjikfVM vulkj½ | of)@¼deh½ | 31 ekp 2018 dk ¼iufu/kkfjr½ |
|---|---|---|---|
| प्रचालनों से राजस्व (नोट 17 का संदर्भ लें) | 6,455.73 | (29.64) | 6,426.09 |
| अन्य आय –निवल (नोट 18 का संदर्भ लें) | 219.07 | 47.51 | 266.58 |
| कुल राजस्व | **6,674.80** | **17.87** | **6,692.67** |
| 0;; | | | |
| कर्मचारी लाभ व्यय (नोट 19 का संदर्भ लें) | 4,843.13 | 134.63 | 4,708.50 |
| अन्य व्यय (नोट 20 का संदर्भ लें) | 741.15 | 55.23 | 685.92 |
| dy 0;; | **5,833.03** | **189.86** | **5,643.17** |
| dj iol ykHk | **1,221.49** | **(171.99)** | **1,049.50** |
| o"k dk fy, ykHk | **710.48** | **(171.99)** | **538.49** |
| vU; ogr vk; | | | |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःनिर्धारण | 81.45 | (5.05) | 86.50 |
| वर्ष के लिए कुल वृहत आय | 629.04 | (177.05) | 451.99 |

वर्ष के लिए प्रति शेयर मूल आमदनियों को भी पुनःनिर्धारित किया गया है। प्रति शेयर मूल आमदनियों के लिए शुद्धि राशि को प्रति शेयर 1.24 रूपए कम किया गया था।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप करने क लिए पुनःसमूहित/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

## 25- l;Dr dk;l leg d lc/k e idVu

एचएएल बंगलोर हवाईअड्डा हिन्दुस्तार एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के अधिकारक्षेत्र में है और यहां ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं एचएएल द्वारा प्रदान की जा रहीं थी। तथापि, कंपनी ने एचएएल बंगलोर हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए कंपनी की विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एचएएल के साथ दिनांक 29 अप्रैल 2016 को करार के तहत एक व्यवस्था में प्रवेश किया है। ऐसी व्यवस्था के अनुसार, कंपनी उस हवाईअड़डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एचएएल की सभी अवसंरचनाओं का प्रयोग करेगी और इस करार की शर्तों के अनुसार कर पश्चात एचएएल के निवल लाभ को समान अनुपात में एचएएल और कंपनी के बीच साझा किया जाएगा। तद्नुसार, चालू वर्ष के लिए एचएएल के निवल लाभ के 50 प्रतिशत भाग यथा 9.35 मिलियन रूपए को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया गया है।

: i, fefy;u esa

| l;qDr dk;Z ny dk uke | ,vkbZ tsMCY;w th | |
|---|---|---|
| | 31 ekpZ 2019 dks | 31 ekpZ 2018 dks |
| कंपनी का भाग/स्वामित्व हित | **50%** | 50% |
| आय – कंपनी का भाग | **24.70** | 21.60 |
| व्यय – कंपनी का भाग | **6.00** | 3.40 |
| लाभ/(हानि) –कंपनी का शेयर | **18.80** | 18.20 |
| एचएएल के साथ कंपनी के संयुक्त कार्य समूह से आय का भागः | **9.35** | 9.1 |
| आकस्मिक देयता | **-** | - |

## 26- lekeyu@iqf"V

क) कंट्रोल लेजर और स्टाफ से संबंधित लेखों सहित कतिपय अनमैच्ड प्राप्य राशियों और देय राशियों के मिलान और मैचिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। मिलान के परिणामस्वरूप उत्पन्न समायोजन मिलान के प्रभाव, यदि कोई हो, को पूर्ण वर्ष के भीतर किया जाएगा।

ख) कंपनी प्रमुख प्राप्य राशियों और देय राशियों के तुलनपत्र की पुष्टि की मांग की है। तथापि, केवल कुछ पक्षों ने उत्तर दिया है। जहां कही पक्षों द्वारा पुष्टि किए गए शेष बहियों के अनुरूप नही हैं वहां अंतर के मिलान का कार्य चल रहा है।

ग) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), अन्य सांविधिक देय राशियां का दायर की गई रिटर्न के साथ समाधान किया जा रहा है और सांविधिक रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

घ) ग्रुप कंपनियों (होल्डिंग कंपनी सहित) से संबंधित लेखों को पूर्ण कर लिया गया है और शेष पुष्टि प्राप्त कर ली गई है।

ड.) ग्राहकों से प्राप्त और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा मायल को देय रायल्टियों का समाधान किया जा रहा है।

## 27- ifjlaifRr;ka] la;= vkSj midj.k ¼ihihbZ½

31 मार्च, 2018 को बहियों में शेष राशियों का पीपीई के साथ भौतिक सत्यापन कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है। एजेंसी द्वारा बहियों के समाधान सहित 13 अगस्त, 2019 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रबंधन एजेंसी द्वारा पहचानी गई 27.20 मिलियन रूपए की राशि की कमियों के प्रभाव की समीक्षा कर रहा है और आगामी वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात इस प्रभाव को लेखाबहियों में लेखांकित किया जाएगा।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान 2720.23 मिलियन (सकल ब्लॉक ) तथा 765.81 मिलियन रूपए (निवल ब्लॉक) राशि की परिसंपत्तियों सहित कंपनी की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को एअर इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) से अंतरित किया गया है। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए मूल्यह्रास का परिकलन करते समय मूल्यह्रास को ऐसी परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के प्रति कुल उपयोगी जीवनकाल के आधार पर लिया जाता है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने मूल्यह्रास परिकलन को अद्यतन किया है और तद्नुसार शेष उपयोगी

जीवनकाल द्वारा भाग देकर 01 अप्रैल 2018 को आरांभिक निवल ब्लॉक के आधार पर मूल्यह्रास का निर्धारण किया है।

## 28- nj lfp;k

कंपनी ने दिनांक 01 दिसंबर 2018 को एआईएटीएसएल के जीएसई कलीपूर्जों (दरसूचियों) के भौतिक सत्यापन और समाधान के लिए एआईएटीएसएल और एअर इंडिया के सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधियों की समिति का गठन किया है। इस समिति द्वारा प्रस्तुत 14 जून 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 23.08 मिलियन रूपए की पई गई कमी को लेखाबिहयों में विधिवत रूप से लेखांकित किया गया है।

## 29- jkdM ,o cd 'k"k

उपलब्ध रोकड़ का वर्ष समाप्ति पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई है और रोकड़ शेष प्रमाणपत्र को संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है। बैंक शेषों का पूर्ण रूप से समाधान किया गया है और सभी बैंक खातों के संबंध में बैंको से पुष्टि प्राप्त की गई है।

## 30- vkrfjd fu;=.k%

कंपनी ने प्रणाली में सुधार, यदि अपेक्षित हो, के लिए सुझाव उपलब्ध कराने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने के लिए सनदी लेखाकार की स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा की जाएगी ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोक्ता विभागों में भी कुशल आंतरिक नियंत्रणों को सुनिश्चित किया जा सके। अन्य साफ्टवेयरों के साथ इंटरफेस सहित ऐप में संव्यवहारों की समरूपी और समय पर लेखांकन प्रविष्टियां करने वाली प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

## 31- **Hkkjrh; ;ktuk l lok fu;kr ¼,l ,Qvkb,l½ dh ik=rk**%

कंपनी सेवाओं के निर्यात के माध्यम से कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा आधार पर भारतीय योजना से सेवा निर्यात के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र है। लाइसेंस/स्क्रिप के रूप में उक्त लाभ विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई है और कंपनी वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए दावे को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है और इसे एकत्रण आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकार किया जाएगा।

## 32- depkjh ykHk ;ktuk%

### ¼d½ fu/kkfjr v'knku ;ktuk

<u>depkjh Hkfo"; fuf/k%</u> कंपनी में स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट उपस्थित है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत ईपीएफओ में अंशदान करती है, जो संविदागत कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योजनाओं को शासित करती है। कंपनी और कर्मचारी भविष्य निधि में लागू दरों के अनुसार अंशदान करते हैं, जिनमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है।

''कर्मचारी लाभों'' पर इंड एएस 19 के अनुसार, कार्मिक द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को निर्धारित लाभ योजना माना जाता है, क्योंकि कंपनी इस योजना में शामिल कर्मचारियों के संबंध में ब्याज में कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए बाध्य है। निर्धारित लाभ दायित्व के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में छूट प्राप्त भविष्य निधि पर गारंटित औसत ब्याज दर 9.35 प्रतिशत है और इसलिए, अधिसूचित कर दरों के

लिए दी गई गारंटी के प्रति लेखा बहियों में किसी प्रकार का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

लाभ और हानि विवरण में भविष्य निधि के प्रति कंपनी का अंशदान 302.31 मिलियन रूपए (पिछले वर्षः 303.91 मिलियन रूपए) (नोट सं. 19 का संदर्भ लें)।

ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि में अंशदान का परिकलन करते समय समाहित किए जाने वाले वेतन संरचना के घटकों के संबंध में दिनांक 28 फरवरी, 2019 का उच्चतम न्यायालय (एससी) का निर्णय उपस्थित है। इसमें निर्णय के अनुप्रयोग की प्रभावी तिथि सहित वर्णनात्मक पहलु विद्यमान हैं। कंपनी वित्तीय विवरणों पर परिणामों, यदि कोई हो, के लिए इस मुद्दे में किसी भावी गतिविधि का आकलन करती रहेगी।

## ¼d½ fu/kkfjr ykHk ;ktuk,%

d- <u>minku%</u> उपदान अधिनियम के भुगतान प्रावधानों की शर्तों के अनुसार उपदान अधिवर्षता, मृत्यु, या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को देय होगा। कंपनी के पास भारत में निर्धारित लाभ उपदान योजना (अनिधित) विद्यमान है। कंपनी द्वारा उपदान का भुगतान तब किया जाता है जब वह देय होती है और इसका भुगतान उपदान के लिए कंपनी की योजना के अनुसार किया जाता है।

संविदागत कर्मचारियों के मामले में, पिछले वर्ष तक, उपदान और अवकाश नकदीकरण के बीमांकक मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु मूल वेतन और वेतन के विशेष भत्ता घटकों को वेतन के रूप में स्वीकार किया जाता था। वर्तमान वर्ष के दौरान, कंपनी ने लागू कानून के अनुसार उक्त प्रयोजन के लिए केवल वेतन के मूल वेतन घटक को ही स्वीकार किया है।

## ¼i½ minku d fy, bM ,,l d vu|lkj idVu fooj.k

: i , fefy;u e

| fooj.k | 31 ekp 2019 dk | 31 ekp 2018 dk |
|---|---|---|
| लाभ का प्रकार | उपदान | उपदान |
| राष्ट्र | भारत | भारत |
| रिपोर्टिंग मुद्रा | भारतीय रूपया | भारतीय रूपया |
| रिपोर्टिंग मानक | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) |
| वित्तीयन स्थिति | अनिधिकी | अनिधिकी |
| आरंभिक अवधि | 01-04-18 | 01-04-17 |
| रिपोर्टिंग तिथि | 31-03-19 | 31-03-18 |
| रिपोर्टिंग अवधि 12 महीने | 12 महीने | 12 महीने |
| vuqeku ¼io vof/k½ | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 7.80% | 7.22% |

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | 31 ekpZ 2018 dks |
|---|---|---|
| वेतन वृद्धि की दर | 5.50% | 5.50% |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर | लागू अनुसार 10% व 2% | लागू अनुसार 10% व 2% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | | |
| vuqeku ¼orZeku vof/k½ | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 7.64% | 7.80% |
| वेतन वृद्धि की दर | 5.50% | 5.50% |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर | लागू अनुसार 10% व 2% | लागू अनुसार 10% व 2% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | **1,124.19** | 1,037.55 |
| ब्याज लागत | **75.58** | 74.91 |
| चालू सेवा लागत | **56.88** | 71.98 |
| पूर्व सेवा लागत | **(155.18)** | 40.31 |
| (नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदत्त लाभ) | **(122.09)** | (181.45) |
| दायित्वों पर बीमांकक (लाभ)/हानियां–वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | **6.83** | (30.90) |
| दायित्वों पर बीमांकक (लाभ)/हानियां– व्यय के कारण | **(20.10)** | 111.79 |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | **966.11** | 1124.19 |
| rqyu i= esa ys[kkafdr jkf'k | | |
| (अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य) | **(966.11)** | (1124.19) |
| वित्तपोषण स्थिति (अतिरेक/(घाटा)) | **(966.11)** | (1124.19) |
| तुलन पत्र में लेखांकित (दायित्व)/परिसंपत्ति | **(966.11)** | (1124.19) |
| pkyw o"kZ dh fy, fuoy C;kt ykxr | | |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | **1124.19** | 1037.55 |

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | 31 ekpZ 2018 dks |
|---|---|---|
| आरंभ में दायित्व / (परिसंपत्ति ) | **1124.19** | 1037.55 |
| ब्याज लागत | **75.58** | 74.91 |
| चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत | **75.58** | 74.91 |
| pkyw o"kZ ds fy, ykHk gkfu fooj.k esa yk[kkfdr O;; | | |
| चालू सेवा लागत | **56.88** | 71.98 |
| निवल ब्याज लागत | **75.58** | 74.91 |
| पूर्व सेवा लागत | **(155.18)** | 40.31 |
| (कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान) | - | . |
| कटौतियों और निपटानों पर (लाभ) / हानियां | . | . |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव | . | . |
| स्वीकृत व्यय | **(22.72)** | 187.20 |
| pkyw o"kZ ds fy, vU; o`gr vk; ¼vkslhvkbZ½ esa Lohd`r O;; | | |
| अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ) / हानियां | **(13.27)** | 80.89 |
| ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | **-** | - |
| परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन | **-** | - |
| ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय) / व्यय | **(13.27)** | 80.89 |
| rqyui= lek/kku | | |
| आरंभिक निवल देयता | **1124.19** | 1037.55 |
| लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय | **(22.72)** | 187.20 |
| ओसीआई में स्वीकृत व्यय | **(13.27)** | 80.89 |
| अंतरित निवल देयता / (परिसंपत्ति) –इन | **-** | - |
| निवल (देयता) / परिसंपत्ति– आउट | **-** | - |
| (सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ ) | **(122.09)** | (181.45) |
| (कमर्चारी अंशदान) | **-** | - |
| तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता / (परिसंपत्ति) | **966.11** | 1,124.19 |
| vU; fooj.k | | |
| सक्रीय सदस्यों की संख्या | **13,370** | 12,341 |
| सक्रीय सदस्यों का प्रति माह वेतन | **154.64** | 257.98 |

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dk | 31 ekpZ 2018 dk |
|---|---|---|
| अनुमानित लाभ दायित्व के दौरान वेटिड औसत अवधि | **8** | 7 |
| औसत संभावित भावी सेवा | **8** | 8 |
| अनुमानित लाभ दायित्व | **966.11** | 1,124.19 |
| अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 महीने) | **-** | - |
| vxys o"kZ ds fy, fuoy C;kt ykxr | | |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | **966.11** | 1,124.19 |
| (वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य) | **-** | - |
| वर्ष के अंत में निवल देयता/(परिसंपत्ति) | **966.11** | 1,124.19 |
| ब्याज लागत | **73.81** | 87.69 |
| (ब्याज आय) | **-** | - |
| अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | **73.81** | 87.69 |
| vxys o"kZ ds fy, ykHk o gkfu fooj.k esa Lohd`r O;; | | |
| चालू सेवा लागत | **60.08** | 56.88 |
| निवल ब्याज लागत | **73.81** | 87.69 |
| (नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान) | **-** | - |
| स्वीकृत व्यय | **133.89** | 144.57 |
| ykHk Hkqxrku dk ifjiDork fo'ys"k.k % fu;kDrk }kjk | | |
| fjiksfVZx dh frfFk ls Hkkoh o"kksZa ds fy, ns; | | |
| 1 आगामी वर्ष | **153.59** | 207.23 |
| 2 आगामी वर्ष | **93.14** | 106.60 |
| 3 आगामी वर्ष | **123.24** | 143.24 |
| 4 आगामी वर्ष | **145.17** | 127.62 |
| 5 आगामी वर्ष | **113.30** | 146.48 |
| वर्ष 6 से 10 का योग | **491.98** | 531.51 |
| वर्ष 11 से ऊपर का योग | **348.72** | 514.52 |
| laosnh fo'ys"k.k% of)@¼deh½ | | |
| चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व | **966.11** | 1,124.19 |
| छूट की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव | **(41.09)** | (49.24) |
| छूट की दर में –1% परिवर्तन का प्रभाव | **45.09** | 54.46 |

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dk | 31 ekpl 2018 dk |
|---|---:|---:|
| वेतन वद्धि की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव | **44.38** | 53.79 |
| वेतन वद्धि की दर में –1% परिवर्तन का प्रभाव | **(41.17)** | (49.55) |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव | **4.20** | 4.85 |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव | **(4.64)** | (5.52) |

संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को शायद प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों, क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।

पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ukV%

उपदान कंपनी की योजना के अनुसार देय है, जैसा कि रिपोर्ट में वर्णित है।

बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं।

वेतन वृद्धि और क्षय दर कंपनी द्वारा निर्धारित अनुसार विचार की गई है, वे कर्मचारियों की पदोन्नति और मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उद्योग की पद्धति की तर्ज पर प्रतीत होती है।

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर–रियायती रोकड़ प्रवाह है।

औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायित्व।

¼[k½ lsokfuofRr iwol fpfdRlk ykHk% कंपनी में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ योजना विद्यमान है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति कर्मचारियों व उनके पति–पत्ति को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

bM ,l dk vuqlkj lsokfuofRr iwol fpfdRlk ykHk lca/kh idVu fooj.k

: i, fefy;u e

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dk | 31 ekpl 2018 dk |
|---|---|---|
| लाभ का प्रकार | चिकित्सा | चिकित्सा |
| राष्ट्र | भारत | भारत |

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | 31 ekpZ 2018 dks |
|---|---|---|
| रिपोर्टिंग मुद्रा | भारतीय रूपया | भारतीय रूपया |
| रिपोर्टिंग मानक | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) | भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) |
| वित्तीयन स्थिति | अनिधिकी | अनिधिकी |
| आरंभिक अवधि | 01.04.18 | 01.04.17 |
| रिपोर्टिंग तिथि | 31.03.19 | 31.03.18 |
| रिपोर्टिंग अवधि 12 महीने | 12 महीने | 12 महीने |
| vuqeku ¼iwoZ vof/k½ | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 7.76% | 7.45% |
| वेतन वृद्धि की दर | 4.00% | 4.00% |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर | 2% | 2% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| vuqeku ¼orZeku vof/k½ | | |
| योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रियायत की दर | 7.78% | 7.76% |
| वेतन वृद्धि की दर | 4.00% | 4.00% |
| कर्मचारी टर्नओवर की दर | 2% | 2% |
| रोजगार के दौरान मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| रोजगार के पश्चात मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006–08) |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1,343.50 | 1,327.48 |
| ब्याज लागत | 104.26 | 98.90 |
| चालू सेवा लागत | 14.70 | 15.58 |
| पूर्व सेवा लागत | | |
| ली गई अंतरित देयता/अधिग्रहण | . | . |
| (दी गई अंतरित देयता/विनिवेश) | . | . |

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | 31 ekpZ 2018 dks |
|---|---|---|
| (लाभ)/हानियों में कमी | . | . |
| (निपटान पर समाप्त देयताएं) | . | . |
| (नियोक्ता द्वारा सीधे प्रदात किए गए लाभ) | (50.43) | (104.07) |
| (निधियों के भुगतान किए गए लाभ) | - | - |
| विदेशी विनिमिय दर में परिवर्तनों के प्रभाव | - | - |
| दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां – डेमोग्राफिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण | - | - |
| दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां – वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण | (3.04) | (49.44) |
| दायित्वों में बीमांकक (लाभ)/हानियां – अनुभव के कारण | (35.33) | 55.05 |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 1,373.64 | 1,343.50 |
| ;kstuk ifjlaifRr;ksa dh mfpr ewY; esa ifjorZu dk n'kkZrh rkfydk | | |
| अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | . | . |
| ब्याज आय | . | . |
| नियोक्ता द्वारा अंशदान | . | . |
| नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान | . | . |
| ली गई अंतरित परिसंपत्तियां/अधिग्रहण | . | . |
| (दी गई अंतरित परिसंपत्तियां/विनिवेश) | . | . |
| (निधि से प्रदत्त लाभ) | . | . |
| (निपटान पर संवितरित परिसंपत्तिया) | . | . |
| परिसंपत्ति परिसीमन का प्रभाव | . | . |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव | . | . |
| ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | . | . |
| अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | . | . |
| तुलन पत्र में स्वीकृत राशि | | |
| (अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य) | (1373.64) | (1343.50) |
| अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | . | . |

| fooj.k | 31 ekpl 2019 dk | 31 ekpl 2018 dk |
|---|---|---|
| वित्तपोषण स्थिति (अतिरेक/घाटा) | **(1373.64)** | (1343.50) |
| तुलनपत्र में स्वीकृत निवल (देयता)/ परिसंपत्ति | **(1373.64)** | (1343.50) |
| pkyw o"kZ ds fy, fuoy C;kt ykxr | | |
| अवधि के आरंभ में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | **1,343.50** | 1,327.48 |
| (अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य) | **-** | - |
| आरंभ में निवल दायित्व/(परिसंपत्ति ) | **1,343.50** | 1,327.48 |
| ब्याज लागत | **104.26** | 98.90 |
| (ब्याज आय) | **-** | - |
| चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत | **104.26** | 98.90 |
| pkyw o"kZ ds fy, ykHk gkfu fooj.k esa y{kkfdr 0;; | | |
| चालू सेवा लागत | **14.70** | 15.58 |
| निवल ब्याज लागत | **104.26** | 98.90 |
| पूर्व सेवा लागत | | |
| (कर्मचारियों द्वारा संभावित अंशदान) | **-** | - |
| कटौतियों और निपटानों पर (लाभ)/हानियां | **-** | - |
| विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का निवल प्रभाव | **-** | - |
| स्वीकृत व्यय | **118.95** | 114.48 |
| pkyw o"kZ ds fy, vU; O;kid vk; ¼vkslhvkbZ½ esa Lohd`r 0;; | | |
| अवधि के लिए दायित्वों पर (लाभ)/हानियां | **(38.38)** | 5.61 |
| ब्याज आय को छोड़कर नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल | **-** | - |
| परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन | **-** | - |
| ओसीआई में स्वीकृत अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय | **(38.38)** | 5.61 |
| rqyui= lek/kku | | |
| आरंभिक निवल देयता | **1,343.50** | 1327.48 |
| लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत व्यय | **118.95** | 114.48 |
| ओसीआई में स्वीकृत व्यय | **(38.38)** | 5.61 |

| fooj.k | 31 ekp 2019 dk | 31 ekp 2018 dk |
|---|---|---|
| अंतरित निवल देयता/(परिसंपत्ति) –इन | - | - |
| निवल (देयता)/परिसंपत्ति– आउट | - | - |
| (सीधे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त लाभ ) | **(50.43)** | (104.07) |
| (कमर्चारी अंशदान) | - | - |
| तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता/(परिसंपत्ति) | **1,373.64** | 1,343.50 |

| vU; fooj.k | | |
|---|---|---|
| सक्रीय सदस्यों की संख्या | **1,327** | 1,539 |
| अनुमानित लाभ दायित्व के दौरान वेटिड औसत अवधि | **30** | 30 |
| औसत भावी अवधि | **30** | 30 |
| अनुमानित लाभ दायित्व | **1,373.64** | 1,343.50 |
| अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 महीने) | - | . |
| vxys o"kZ ds fy, fuoy C;kt ykxr | | |
| अवधि के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य | **1,373.64** | 1343.50 |
| (वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य) | - | - |
| वर्ष के अंत में निवल देयता/(परिसंपत्ति) | **1,373.64** | 1,343.50 |
| ब्याज लागत | **106.87** | 104.26 |
| (ब्याज आय) | - | - |
| अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज लागत | **106.87** | 104.26 |
| vxys o"kZ ds fy, ykHk o gkfu fooj.k esa Lohdkr 0;; | | |
| चालू सेवा लागत | **12.75** | 14.70 |
| निवल ब्याज लागत | **106.87** | 104.26 |
| (नियोक्ता द्वारा संभावित अंशदान) | - | - |
| स्वीकृत व्यय | **119.62** | 118.95 |
| ykHk Hkqxrku dk ifjiDork fo'ys"k.k % fu;kDrk }kjk | | |
| fjikfVZx dh frfFk ls Hkkoh o"kksZ ds fy, ns; | | |
| 1 आगामी वर्ष | **53.73** | 45.94 |
| 2 आगामी वर्ष | **70.42** | 64.82 |
| 3 आगामी वर्ष | **89.39** | 86.35 |
| 4 आगामी वर्ष | **110.43** | 110.27 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 आगामी वर्ष | **130.79** | 133.37 |
| वर्ष 6 से 10 का योग | **730.40** | 768.30 |
| l onh fo'y"k.k | of)@¼deh½ | |
| चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व | **1373.64** | 1343.50 |
| छूट की दर में. 1ः परिवर्तन का प्रभाव | **(138.10)** | (140.34) |
| छूट की दर में –1ः परिवर्तन का प्रभाव | **167.95** | 171.47 |
| चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में. 1ः परिवर्तन का प्रभाव | **172.87** | 176.48 |
| चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति की दर में –1ः परिवर्तन का प्रभाव | **(143.90)** | (146.20) |
| संवेदी विश्लेषण का निर्धारण सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रस्तुत संबंधित अनुमानों में युक्तिसंभव संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। उपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तनों को संभवत प्रस्तुत न कर पाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि अनुमानों में परिवर्तन अन्यों से अलग होकर प्रस्तुत हों क्योंकि कुछ अनुमानों का परस्पर सहसंबंध हो सकता है।<br><br>इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण को प्रस्तुत करने में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए अनुमानित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया है, जो कि वही समान विधि है, जैसा कि तुलन पत्र में स्वीकृत अनुसार अनुमानित लाभ दायित्वों के परिकलन में प्रयुक्त की जाती है।<br><br>पूर्व वर्षों से संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। | | |
| ukV% | | |
| चिकित्सा सुविधा कंपनी की योजना के अनुसार देय है, जैसा कि रिपोर्ट में वर्णित है। | | |
| बीमांकित लाभ/हानियों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) के अंतर्गत इसकी आवृति की अवधि में स्वीकार किया गया है। ओसीआई की उपर्युक्त सभी रिपोर्टिंक आंकड़े कर निर्धारण में सकल का भाग हैं। | | |
| वेतन वृद्धि और क्षय दर कंपनी द्वारा निर्धारित अनुसार विचार की गई है, वे कर्मचारियों की पदोन्नति और मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उद्योग की पद्धति की तर्ज पर प्रतीत होती है। | | |
| लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण, उपर्युक्त सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भावी वेतन, क्षय तथा मृत्यु के आधार पर गैर–रियायती रोकड़ प्रवाह है। | | |
| औसत संभावित भावी सेवा, पद की संभावित अवधि को दर्शाता है – रोजगार लाभ दायितव | | |

## ¼d½ vU; nh?kZdkyhu deZpkjh ykHk

### i. {kfrijd vuqifLFkfr

कंपनी में रोजगार के दौरान या मृत्यु, सेवानिृत्ति या त्यागपत्र के कारण कंपनी से अलग होने पर कर्मचारी द्वारा संचयन और नकदीकरण के प्रावधान सहित क्षतिपूरक अनुपस्थिति पर नीति विद्यमान है। क्षतिपूरक अनुपस्थिति की संभावित लागत का निर्धारण प्रत्याशित इकाई ऋण विधि का प्रयोग करते हुए तुलन पत्र में स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित बीमांकक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

### ii. ckul

बोनस का भुगतान अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार सभी कर्मचारियों को बोनस देय होता है और चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

## 33- ifr 'k;j vkenuh ¼bih,l½

:i, fefy;u e

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ gsrq | 31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ gsrq ¼iqufu/kkZfjr½ |
|---|---|---|
| कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कर पूर्व लाभ | **638.13** | 538.49 |
| इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या | **138.42** | 138.42 |
| कर पश्चात ईपीएस (प्रति शेयर) | **4.61** | 3.89 |
| – मूल ईपीएस | **4.61** | 3.89 |
| – विलयित ईपीएस | | |

## 34- vk;dj

भारतीय कंपनियों के लिए स्टेंडएलोन आधार पर आयकर का भुगतान करना अपेक्षित है। प्रत्येक कंपनी 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित करयोग्य लाभों पर कर के लिए आकलित किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी का लाभ या होनि नियमित आय कर देय या न्यूनतम वैकल्पिक कर (''एमएटी'') के मद्देनजर होता है।

सांविधिक आय कर का आकलन आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों (भारतीय) के अनुसार समायोजित भारत के सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अंतर्गत तैयार बही लाभों के आधार पर किया जाता है। सामान्य रूप से ऐसे समायोजन स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, कतिपय प्रावधानों और बीमांककों की अस्वीकृति, कर हॉलीडे के लिए कटौती, कर घाटों के लिए व्यवस्था तथा अग्रेणीत मूल्यह्रास और सेवानिवृत्ति लाभ लागतों से संबंधित है। सांविधिक आय कर को 30 प्रतिशत जमा उपकर और शिक्षा शुल्क पर प्रभारित किया जाता है। एमएटी का आकलन सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत नियमित आयकर के आंकलन हेतु अनुसरण किए गए समायोजनों की तुलना में कतिपय मदों हेतु समायोजित बही लाभों पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमएटी 21.549 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान नियमित आयकर के अतिरिक्त प्रदत्त एमएटी को उस वित्तीय वर्ष से अगले पंद्रह वर्षों की अवधि के भीतर नियमित आय करों के प्रति समायोजित किया जा सकता है, जिस वर्ष एमएटी नामे किया गया है, जो निर्धारित सीमा के मद्देनजर होगा।

कंपनी तभी और केवल तभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए क्षतिपूर्ति कर सकती है जब चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देयताओं के लिए क्षतिपूर्ति विधि रूप से हेतु ऐसा करना विधि रूप से प्रवर्तनीय हो और यह समान कर प्राधिकरण द्वारा वसूले गए आयकर से संबंधित हो।

¼d½ vk;dj 0;;

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp 2019 dk lekIr o"k gr | 31 ekp 2018 dk lekIr o"k gr |
|---|---|---|
| Pky dj | | |
| चलू कर | **600.00** | 491.50 |
| पूर्ववर्ती वर्षों के कर का अल्प प्रावधान' | **186.62** | - |
| Dy | **786.62** | **491.50** |
| | | |
| vkfLFkfxr dj | | |
| आस्थिगित कर | **(132.51)** | 19.51 |
| कुल | **654.11** | 511.01 |

*यह चालू वर्ष में पहचाने गए पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर (निवल) के अल्प प्रावधान को दर्शाता है।

दर्शाए गए वर्ष के लिए आयकर व्यय को स्वीकृत करने के लिए सांविधिक आयकर दर पर कर पूर्व लाभ के लेखांकन के लिए लागू आयकर व्यय का समाधा निम्नानुसार हैः

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp 2019 dk lekIr o"k gr | 31 ekp 2018 dk lekIr o"k gr ¼iufu/kkfjr½ |
|---|---|---|
| djiol ykHk | **1,274.20** | **1,049.50** |
| भारत में निर्धारित कर दर | **34.94%** | 34.608% |
| lkfof/kd dj nj ij lHkkfor dj 0;; ¼d½ | **445.26** | **363.21** |
| fuEu dk dj iHkko% | | |
| कर लाभों के निर्धारण में कटौती न किए गए व्यय | **132.51** | 19.51 |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर का अल्प प्रावधान* | **186.62** | - |
| अन्य | **22.23** | - |
| अन्य : समाधान हेतु लंबित | **-** | 108.78 |
| ykHk vkj gkfu d foojk e Lohd=r vk;dj | **786.62** | **491.50** |

*यह चालू वर्ष में पहचाने गए पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर (निवल) के अल्प प्रावधान को दर्शाता है।

[k½ vkLFkfxr dj ifjlEifRr;k@¼ns;rk,½

तुलनपत्र में प्रस्तुत आस्थिगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) का विश्लेषण निम्नानुसार है:.

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks | 31 ekpZ 2018 dks |
|---|---|---|
| .आस्थिगित कर देयताएं | **(124.75)** | (97.52) |
| आस्थिगित कर परिसंपत्तियां | **1202.41** | 103.30 |
| dqy | **1077.65** | **5.78** |

वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) तथा संचलनों के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं:

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekpZ 2018 dks | 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ gsrq | | | 31 ekpZ 2019 dks |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ykHk ,oa gkfu ds ek/;e ls Lohd`r | vks lhvkbZ ds ek/;e ls Lohd`r | ifr/kkfjr vkenfu;ksa ds ek/;e ls Lohd`r | |
| निम्न के संबंध में आस्थिगत कर शेष | | | | | |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियां | - | | | (939.37)* | (939.37) |
| परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण | 97.52 | 25.91 | - | - | 123.43 |
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | (103.30) | (1.66) | 18.04 | - | (86.92) |
| संभावित ऋण घाटा | | (152.45) | | | |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी तथा 40(क)(i क) के अंतर्गत अस्वीकृति | | (22.36) | | | |
| | | | | | |
| कुल | (5.78) | (150.55) | 18.04 | (939.37) | (1,077.65) |

| fooj.k | 31 ekpZ 2017 dk | 31 ekpZ 2019 dk lekIr o"kZ grq | | | 31 ekpZ 2018 dk |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ykHk ,o gkfu d ek/;e l Lohd`r | vk lhvkb d ek/;e l Lohd`r | vkjf{kr }kjk L0khd`r | |
| fuEu d lc/k e vkfLFkxr dj 'k"k | | | | | |
| परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण | 63.82 | **33.70** | **-** | - | 97.52 |
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान | (89.11) | **(14.19)** | **-** | - | (103.30) |
| dy | **(25.29)** | **19.51** | **-** | **-** | **(5.78)** |

* .कंपनी ने इंड एएस–12 ''आयकर'' की अपेक्षाओं के अनुसार तुलनपत्र परिदृश्य के स्थान पर आय विवरण परिदृश्य का प्रयोग करके अंतरों पर आस्थगित कर का परिकलन किया है। कंपनी ने 939.37 मिलियन रूपए की राशि की इस त्रुटि के कारण आरंभिक संचित प्रभाव (यथा 01 अप्रैल, 2018) का परिकलन किया है, जो एक या अधिक पूर्व अवधियों से संबंधित है।

रिपोर्टिड पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक वित्तीय सूचना पर इस त्रुटि के अवधि विशिष्ट प्रभाव का निर्धारण अव्यवहारिक है और इसलिए, कंपनी 1 अप्रैल, 2018 को परिसंपत्तियों और अन्य इक्विटी के आरंभिक शेष के पुनर्निधारण द्वारा पूर्वगामी रूप से त्रुटि के संचयी प्रभाव को प्रस्तुत करती है और इसलिए पिछले वर्ष की प्रस्तुत वित्तीय सूचना विशुद्ध रूप से तुलनीय नहीं है।

## 35- l{e vkj y?k m|e fodkl vf/kfu;e] 2006%

एसएपी प्रणाली में एक फील्ड है, जो वेंडर मास्टर में अल्पसंख्यक सूचक है, जिसे एमएसएमई के रूप में वेंडरों की पहचान करने के लिए अद्यतन किया गया हैं। एएआई वेंडरों का और अधिक ब्यौरा प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली को संवर्धित किया जा रहा है, जैसे प्रमाणपत्र संख्या, जारीकर्ता एजेंसी, वैधीकरण, आदि। तथापि, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत शामिल होने वाले ऐसे उपक्रमों को भुगतान आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहमत निर्धारित समयसीमा/तिथि के भीतर किया गया है और इसलिए, विलंबित भुगतानों पर कोई ब्याज देय नहीं है। अन्य मामलों में, आगे की कार्रवाई के दौरान आवश्यक अनुपालन /प्रकटन सुनिश्चित किया जाएगा।

## 36- lcf/kr i{k yunu

वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस–24) में अपेक्षित संबंधित पक्षों के नाम और पदनाम का प्रकटन।

### d- lcf/kr i{kk dh lph%

i. इंड एएस 24 के संबंध में निम्नलिखित पक्ष संबंधित पक्ष हैं जो सरकार से संबद्ध कंपनियां हैं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार):

| Ø-l | diuh dk uke | lc/k |
|---|---|---|
| 1 | एअर इंडिया लिमिटेड | धारक कंपनी |

ii. lg;kxh vuq"kxh dEifu;k dh lph%

| Ø-l | dEiuh dk uke | lEc/k |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 2 | एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 3 | एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईईएल) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 4 | एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एएएसएल) | सहयोगी अनुषंगी कंपनी |
| 5 | एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (संबंधित सरकारी इकाइयों से इतर) | सहयोगी संयुक्त उद्यम |

**iii.** vU;%

| Ø-l | dEiuh dk uke | lEc/k |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | सरकार द्वारा समान नियंत्रणाधीन निकाय |
| 2 | रक्षा मंत्रालय | |

## [k- izeq[k izc/kdh; dkfeZd

| Ø-l- | çeq[k çc/ku deh dk uke | inuke |
|---|---|---|
| 1 | श्री जे वी रवि कुमार | मुख्य वित्त अधिकारी |
| 2 | श्रीमती वंदना बत्रा | कंपनी सचिव (27 मार्च 2019 से) |
| 3 | श्रीमती पूनम भरवानी | कंपनी सचिव (31 जनवरी 2019 तक) |

## ?k- lEcf/kr i{k lO;ogkj

i. वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों के साथ कोई ऋण या जमा लेनदेन अतिदेय थे।

ii. एएस 24 के संदर्भ में सरकार से संबंधित अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावी कंपनियां (भारत सरकार) और सरकार संबंधित पक्षों के अलावा कंपनियों के साथ लेनदेन से संबंधित अपेक्षाओं का प्रकटन निम्नानुसार है:

¼:i, fefy;u eas½

| Ø-l | fudk; dk uke vkSj lO;ogkj dh izd`fr | fuEu frfFk dks o bl frfFk dks lekIr o"kZ gsrq | |
|---|---|---|---|
| | | 31 ekpZ 2019 | 31 ekpZ 2018 |
| 1 | ,vj bafM;k fyfeVsM ¼/kkjd dEiuh½<br><br>izpkyuksa ls jktLo%<br>ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व<br>श्रमशक्ति सेवा आपूर्ति | <br><br><br>3,215.87<br>824.62 | <br><br><br>2,541.54<br>- |

| Ø-l | fudk; dk uke vkj l0;ogkj dh idfr | fuEu frfFk dk o bl frfFk dk lekIr o"k grq | |
|---|---|---|---|
| | | 31 ekpl 2019 | 31 ekpl 2018 |
| | बकाया राशियों की वसूली पर ब्याज | 20.54 | - |
| | अन्य सेवाएं | 82.46 | - |
| | | **4,143.49** | **2541.54** |
| | 0;; | | |
| | परिसरों पर किराया | 70.82 | - |
| | बकाया देय राशियों पर ब्याज | - | 45.98 |
| | धारक कंपनी के साथ राजस्व भागीदारी | **406.78** | **750.00** |
| | 0;kikj ikI; dk vfre 'k"k ¼tek@¼ukesa½½ | **606.18** | **(1291.16)** |
| 2 | ,vj bfM;k ,Dlil fyfeVM | | |
| | jktLo | | |
| | ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व | 329.12 | 279.69 |
| | श्रमशक्ति सेवा | 1.83 | |
| | एपीईडीए/कार्टिंग राजस्व | 1.10 | |
| | वसूली योग्य बकाया राशि पर ब्याज | 14.44 | 13.6 |
| | व्यापार प्राप्यों पर अंतिम शेष (नामे) | **278.67** | **236.58** |
| 3 | ,vj bfM;k bthfu;fjx lfolsl fyfeVM | | |
| | jktLo | | |
| | श्रमशक्ति सेवा/केबिन क्लिनिंग | 33.13 | 581.2 |
| | बकाया राशियों की वसूली पर ब्याज | 86.28 | - |
| | 0;; | | |
| | हैडसेट सेवाएं | 77.48 | - |
| | व्यापार प्राप्यों पर अंतिम शेष (नामे) | **1,002.77** | **1,000.73** |
| 4 | ,;jykbu ,ykbM lfolsl fyfeVM ¼,yk;sl ,;j½ | | |
| | ipkyuks ls jktLo % | | |
| | ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व | 219.87 | 97.1 |
| | श्रमशक्ति सेवा आपूर्ति | 1.46 | |
| | बकाया राशियों की वसूली पर ब्याज | 26.91 | 14.21 |
| | 0;; | | |
| | ड्यूटी पर स्टाफ संबंधी व्यय | 0.99 | |
| | 0;kikj ikI;ks ij vfre 'k"k ¼ukes½ | **521.32** | 244.45 |

| Ø-l | fudk; dk uke vkj l0;ogkj dh idfr | fuEu frfFk dk o bl frfFk dk lekIr o"k gr | |
|---|---|---|---|
| | | 31 ekp 2019 | 31 ekp 2018 |
| 5 | भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआईएल–सेंटूर) | | |
| | स्टाफ होटल व्यय | 00.95 | - |
| | 0;kikj ikI;k ij vfre 'k"k ¼tek½ | **(00.95)** | - |
| 6 | एअर इंडिया सिंगापुर एयरलाइंस ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस (एआईएसएटीएस) | | |
| | 0;kikj ikI;k ij vfre 'k"k ¼tek | **02.58** | - |

## ie[k ic/ku dkfedk dk {kfrifr

¼:i, fefy;u e½

| l0;ogkjk dh idfr | 31 ekp 2019 dk lekIr o"k gr | 31 ekp 2018 dk lekIr o"k gr |
|---|---|---|
| अल्पकालीन कर्मचारी लाभ | **3.01** | 3.00 |
| रोजगार पश्चात लाभ | 'kU; | शून्य |
| अन्य दीर्घकालीन लाभ | 'kU; | शून्य |
| अंतिम लाभ | 'kU; | शून्य |
| प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को कुल क्षतिपूर्ति | **3.01** | 3.00 |

सेवा पश्चात भावी देयताओं के रूप में अन्य दीर्घकालीन तथा अंतिम लाभों के लिए प्रावधान समग्र रूप से कंपनी के लिए बीमांकक आधार पर किया जाता है और व्यक्तियों से संबंधित राशि निर्धारणीय नहीं है और इसलिए, इन्हें ऊपर शामिल नहीं किया गया है।

## ljdkj lc/kh fudk;k d lkFk ie[k l0;ogkj

¼:i, fefy;u e½

| fudk; dk uke | 31 ekp 2019 dk lekIr o"k gr | 31 ekp 2018 dk lekIr o"k gr |
|---|---|---|
| व्ययः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वसूली | **238.41** | 251.76 |
| राजस्व : ग्राउंड हैंडलिंग के लिए भारतीय वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/भारतीय नौ सेना | **41.18** | 23.67 |

ukV% सरकार/सरकार संबंधी निकायों के साथ उपर्युक्त संव्यवहारों में वे संव्यवहार शामिल हैं जो व्यक्तिगत रूप से तथा समग्र रूप में महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य विभिन्न सरकार संबंधी निकायों के साथ अन्य संव्यवहार भी किए हैं, तथापि, ये संव्यवहार व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप में महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनका प्रकटन नहीं किया गया है।

## 37- fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro ¼lh,lvkj½

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp 2019 dk lekIr o"k gr | 31 ekp 2018 dk lekIr o"k gr |
|---|---|---|
| (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि | **19.24** | 18.01 |
| (ख) निम्न पर खर्च की गई राशिः | | |
| (प ) परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण | 'kU; | शून्य |
| (पप) उपर्युक्त (प) इतर प्रयोजनों पर<br>¼lh,lvkj ifj;kstukvk gr½ | 'kU; | शून्य |

38. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित और संविर्धित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

¼vejhdh Mkyj fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp 2019 dk lekIr o"k gr | 31 ekp 2018 dk lekIr o"k gr |
|---|---|---|
| विदेशी मुद्रा आमदनियां | **21.25** | 23.90 |
| संवर्धित विदेशी विनियम (आयात भुगतानों हेतु) | **(1.65)** | (8.70) |
| निवल विदेशी विनिमय आमदनियां | **19.60** | **15.20** |

## 39- lxeV fjikfVx

कंपनी के अध्यक्ष को इंड एएस 108, प्रचालन सेगमेंटों द्वारा मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) के रूप में निर्धारित किया गया है। सीओडीएम कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न निष्पादन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है, तथापि, कंपनी प्राथमिक रूप से केवल एक सेगमेंट से संबंधित है यथा ''ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं'' और इसके सभी प्रचालन भारत के अंतर होते हैं। इसलिए, भारतीय लेखांकन मान 108 ''प्रचालन सेगमेंट'' के अनुसार कंपनी में कोई रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं है।

## d- jktLo d 10 ifr'kr l vf/kd oky xkgdk dk idVu

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp 2018 dk lekIr o"k gr | 31 ekp 2018 dk lekIr o"k gr |
|---|---|---|
| एअर इंडिया और इसकी समूह कंपनियां | **3791.74** | 3714.65 |

## 40- y[kkijh{kdk dk ifjyfC/k;k

लेखापरीक्षकों का लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय निम्नानुसार है:

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ gsrq | 31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ gsrq |
|---|---|---|
| लेखापरीक्षा शुल्क : वर्ष हेतु | **0.56** | 0.56 |
| आउट ऑफ पॉकेट व्यय | **0.06** | 0.09 |
| dqy | **0.62** | 0.65 |

## 41- mfpr eY; ekiu vkj foÙkh; fy[kr

d- foÙkh; fy[kr& Js.kh vkj mfpr eY; vuØe ds vuqlkj निम्नलिखित तालिका आगे ले जाई गई राशि और वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के साथ उचित मूल्य क्रम में उनका स्तर दर्शाता है।

¼i½ 31 ekpZ 2019 dks

| fooj.k | ogu eY; | | | | mfpr eY; ekiu | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ,QohVhih,y | ,QohVhvks lhvkb | ewY;d`r ykxr | dqy | Lrj 1 | Lrj 2 | Lrj 3 |
| foÙkh; lifÙk | | | | | | | |
| pkyw | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य* | - | - | 4008.71 | 4008.71 | - | - | - |
| नकद और नकद समकक्ष * | - | - | 139.55 | 139.55 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | - | - | 118.02 | 118.02 | - | - | - |
| कुल | | | **4266.28** | **4266.28** | - | - | - |
| | | | | | | | |
| foÙkh; n;rk,s | | | | | | | |
| xSj pkyw | | | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | - | 10.42 | 10.42 | - | - | - |
| वर्तमान | | | | | | | |
| व्यापार देयताएं* | - | - | 434.85 | 434.85 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | - | 1148.30 | 1148.30 | | | |
| कुल | **-** | **-** | **1593.57** | **1593.57** | **-** | **-** | **-** |

¼ii½ 31 ekpl 2018 dk

| fooj.k | | ogu eY; | mfpr eY; ekiu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ,QohVhih,y | ,QohVhvkslhvkbl | eqæhdj.k ykxr | dqy | Lrj 1 | Lrj 2 | Lrj 3 |
| foÙkh; lifÙk | | | | | | | |
| pkyw | | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य* | | | | | | | |
| नकद और नकद समकक्ष * | | | | | | | |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | - | - | 3221.44 | 3221.44 | - | - | - |
| कुल | - | - | 228.41 | 228.41 | - | - | - |
| | - | - | 44.33 | 44.33 | - | - | - |
| foÙkh; ns;rk,a | **-** | **-** | **3494.18** | **3494.18** | - | - | - |
| xSj pkyw | | | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | | | | | | | |
| वर्तमान | | | | | | | |
| व्यापार देयताएं* | - | - | 401.69 | 401.69 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | - | 1248.81 | 1248.81 | - | - | - |
| कुल | - | - | **1650.50** | **1650.50** | - | - | - |

* dkjkckj çkI;] dkjkckj ns;] udn vkSj udn lerqY; vkSj vU; orZeku foÙkh; ifjlifÙk ] mfpr eY; dk vuqeku viuh vYikfo/kd çÑfr ds dkj.k ns; gSA

## [k- mfpr eY; vuqØe

उचित मूल्य अनुक्रम इनपुट मूल्यांकन तकनीकों पर आधारित है जो उचित मूल्य का मापन करने के लिए प्रयुक्त की गई है जो आमेलित किए जाने योग्य हैं या नही और इसमे निम्नलिखित 3 लेवल शामिल हैं :

Lrj 1% इनपुट प्रमुख परिसंपत्तियों और देयराशियों के लिए सक्रिय बाजार में कोट किया हुआ मूल्य (असमायोजित) हैं।

Lrj 2% इनपुट लेवल 1 के भीतर कोट न किए हुए मूल्य के अलावा हैं जो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य) या अप्रत्यक्ष (मूल्य से उत्पन्न) रूप से परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए आमेलित किए गए हैं।

Lrj 3% इनपुट आमेलित किए जाने योग्य बाजार डाटा पर आधारित हैं। उचित मूल्य का निर्धारण इस अनुमान पर आधारित माडल का प्रयोग करके पूर्ण या इसके भाग के रूप में किया गया है जो न तो समान लिखत में आमेलित किए जाने योग्य वर्तमान बाजार लिखत के मूल्य से समर्थित हैं और न ही ये उपलब्ध बाजार डाटा पर आधारित हैं।

## 42- foÙkh; tkf[ke çcU/ku mÌs'; vkj uhfr;k

कंपनी को वित्तीय विवरणों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना होता है:

i. ऋण जोखिम

ii. नकदी जोखिम

iii. बाजार जोखिम – क. विदेशी मुद्रा और ख. ब्याज दर

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयराशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख उद्देश्य प्राप्य राशियों और नकद तथा नकदी समतुल्य को वित्तपोषित करना है जो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनो से उत्पन्न होता है।

कंपनी उधार जोखिम, नकदी जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र इन जोखिमों का प्रबंधन की निगरानी करता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए इनकी समीक्षा करता है तथा इनके लिए नीतियों का अनुमोदन करता है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

### (i) _.k tkf[ke izcU/ku

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत पर दर्ज कोई काउंटर पार्टी अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करने में विफल होता है। ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता है और यह ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित स्थापना नीति, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के अध्याधीन है। आकलन के अनुसार परिभाषित व्यक्तिगत ऋण सीमाओं के आधार पर ग्राहकों की ऋण गुणवत्ता का आकलन किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का अधिक प्रभाव प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्य राशियों से है। व्यापार प्राप्य राशियां मुख्यत गैर जमानती होती हैं, जो ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। कंपनी जिस क्षेत्र में प्रचालन करती है उसकी निगरानी करती है। कंपनी ऋण अनुमोदन, ऋण सीमा निर्धारित करके तथा ग्राहक जिनको कंपनी कारोबार के सामान्य क्रम में ऋण प्रदान करती है, की ऋण योग्यता की सतत निगरानी करके इसका प्रबंधन करती है।

व्यापार प्राप्यों में समान विमानन उद्योग से ग्राहकों की संख्या शामिल है। बकाया राशियों का महत्वपूर्ण भाग इसक समूह कंपनियों से है (यथा 60 प्रतिशत) और जिसके लिए प्रबंधन किसी ऋण जोखिम की संभावना नहीं मानती है। तदनुसार, समूह कंपनियों से प्राप्यों पर कोई संभावित ऋण घाटा नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों से प्राप्य राशियां पूर्ण रूप से वसूलीयोग्य मानी गई हैं और इसलिए ऐसी प्राप्य राशियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

समूह कंपनी और सरकारी प्राप्य राशियों के अतिरिक्त, अन्य पक्षों के संबंध में, ऋण जोखिम का कोई व्यापक एकत्रण नहीं है। दर्शाए गए किसी भी वर्ष में किसी एक ग्राहक के प्रति राजस्व के 10 प्रतिशत या अधिक का भाग नहीं है। बकाया व्यापार प्राप्यों की मॉनीटरिंग नियमित आधार पर की जाती है और समयसीमा से अधिक के लिए देय राशियों के एकत्रण के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सरलीकृत परिदृश्य के रूप में, कंपनी प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करके व्यापार प्राप्यों पर संभावित ऋण घाटों के

प्रावधान करते हैं ताकि चूक भुगतानों को कम किया जा सके और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उपयुक्त प्रावधान किए जा सकें जहां कहीं बकाया राशियां लंबी अवधि के लिए देय हैं और उनके उच्च जोखिम शामिल है। प्राप्य राशियों के एकत्रण के हमारे एतिहासिक अनुभाव निम्न ऋण जोखिम को दर्शाते हैं। इसलिए, व्यापार प्राप्यों कों वित्तीय परिसंपत्तियों की एकल श्रेणी माना जाता है।

नीति के अनुसार प्राप्य राशियों को ओवरड्यू अवधि के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकत्रत किया जाता है यथा 6 माह : एक वर्ष से एक वर्ष से अधिक और एक से दो वर्ष।

कंपनी द्वारा प्रचालन किए जाने वाले वातावरण के आधार पर, प्रबंधन विचार करती है कि व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्य राशियों के अतिरिक्त) चूक (ऋण घाटा) के कारण है यदि भुगतान निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए देय हो गया है। इन प्रावधानकर्ता मापदंडों का परिकलन 36 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया प्राप्यों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, निम्नलिखित दरों का प्रयोग करके ईसीएल के लिए प्रावधान किया जाता है:

| cdV | 31 ekp 2019 dk | 31 ekp 2018 dk ## |
|---|---|---|
| सरकारी कंपनी | **0.00 %** | - |
| समूह कंपनी | **0.00 %** | - |
| तीन वर्षों तक के बकाया वाले अन्य पक्ष | **8.81 %** | - |
| तीन वर्षों से अधिक के बकाया वाले अन्य पक्ष | **100.00 %** | - |
| व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम घाटा | **100.00 %** | - |

संभावित ऋण घाटे के लिए स्वीकृति संचलन निम्नानुसार है:

| fooj.k | 31 ekp 2019 dk | 31 ekp 2018 dk ## |
|---|---|---|
| o"kZ dh vkjaHk esa 'k"kZ | **-** | **-** |
| ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले व्यापार प्राप्यों को स्वीकृति | **191.58** | **-** |
| युक्तिगत आधार पर विशिष्ट ऋण जोखिम घाटा | **244.68** | **-** |
| o"kZ dh vUr esa 'k"kZ | **436.26** | **-** |

## कंपनी ने इंड एएस–109 ''वित्तीय इंस्ट्रूमेंट'' की अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधान मेट्रिक्स का प्रयोग करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार और अन्य संविदागत प्राप्यों) के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 436.26 मिलियन रूपए की राशि के समूह कंपनियों से इतर के पक्षों से व्यापार एवं अन्य संविदागत प्राप्य राशियों के लिए सरलीकृत परिदृश्य का प्रयोग करके 31 मार्च 2019 को संभावित ऋण घाटे के संचयी प्रभावों का परिकलन किया है। कंपनी ने समूह कंपनियों से प्राप्य राशियों के संबंध में शून्य ऋण घाटे की संभावना की है।

तुलनात्मक वित्तीय सूचना पर इस भूल के अवधि विशिष्ट प्रभावों का निर्धारण करना अव्यवहारिक है और इसलिए, कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष से उत्तरव्यापी रूप से संचयी प्रभाव प्रदानर किया है और इसलिए, पिछले वर्ष की रिपोर्टित वित्तीय सूचना विशुद्ध रूप से तुलनीय नहीं है।

## ¼ii½ udnh tkf[ke iclku

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करने में सामने आता है और जिसे नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रदायगी द्वारा निपटाया जाना होता है,

कंपनी का दृष्टिकोण कंपनी को गैर जरूरी हानि के बिना और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य और दबाव दोनों ही परिस्थितियों में देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखना है।

कंपनी का विश्वास है कि कुल नकद (बैंक जमा लियन सहित और इस पर भारित ब्याज जो देय न हो), प्रचालनों से सृजित निधि के आंतरिक भावी अनुमान और इसके पूर्ण उपलब्ध आहरित न किए गए रिवाल्विंग ऋण सुविधा शून्य (31 मार्च 2017 शून्य रूपए 1 अप्रैल 2018 शून्य रूपए) सहित इसकी वित्तीय स्थिति कंपनी को कारोबार के सामान्य क्रम में इसकी भावी ज्ञात देयताओं को पूरा करने में समर्थ बनाएगी। तथापि, यदि नकदी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो कंपनी को भरोसा है कि वह वित्तीय व्यवस्थाओं, भारमुक्त परिसंपत्तियो के मूल्य प्राप्त करके चालू पूंजी, प्रचालन और नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने मे समर्थ होगी।

प्रबंधन की निगरानी के अधीन कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

– भावी नकदी प्रवाह की निगरानी से दैनिक वित्तपोषण का प्रबंध करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

– अनुमानिक नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग अनुमान को बनाए रखना।

– विविध ऋण लाइनों को बनाए रखना।

निम्न विवरण रिपोर्टिंग डाटा पर वित्तीय विवरणों की शेष संविदागत परिपक्वताएं के बारे में है। संविदागत नकदी प्रवाह राशि सकल डिस्काउंट रहित है तथा इसमें भारित ब्याज जो देय नही है, शामिल है।

## udnh tkf[ke çHkko

### 31 ekpl 2019 dks

¼fefy;u :i, e½

| fooj.k | ifr/kkj.k jkf'k | lfonkxr udnh çokg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 o"kl rd | 1&5 o"kl | 5 o"kl ls vf/kd | dqy |
| foRrh; ifjlaifRr;ka | | | | | |
| pkyw | | | | | |
| 0;kikj ikI; | 4008.71 | 4008.71 | | | 4008.71 |
| नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष | 139.55 | 139.55 | | | 139.55 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 118.02 | 118.02 | | | 118.02 |
| | | | | | |
| foÙkh; ns;rk,a | | | | | |
| xSj pkyw | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अन्य वित्तीय देयताएं | 10.42 | - | 10.41 | - | 10.41 |
| pkyw | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 434.85 | 434.85 | | | 434.85 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 1148.30 | 1148.30 | | | 1148.30 |

31 ekpZ 2018 dks

¼fefy;u :i, es½

| fooj.k | ifr/kkj.k jkf'k | lafonkxr udnh çokg | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 o"kZ rd | 1&5 o"kZ | 5 o"kZ ls vf/kd | dqy |
| foRrh; ifjlaifRr;ka | | | | | |
| pkyw | 3221.44 | 3221.44 | | | 3221.44 |
| 0;kikj ikI; | 228.41 | 228.41 | | | 228.41 |
| नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष | 44.33 | 44.33 | | | 44.33 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 3221.44 | 3221.44 | | | 3221.44 |
| foÙkh; nf;Rok,a | | | | | |
| pkyw | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | 401.69 | 401.69 | | | 401.69 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 1248.81 | 1248.81 | | | 1248.81 |

## ¼iii½ cktkj tksf[ke

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत का उचित मूल्य और नकदी प्रवाह का मान उपर नीचे होता है। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं यथा मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल को अधिकतम बनाकर स्वीकार्य पैरामीटरों के भीतर बाजार जोखिम प्रभाव को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है।

### d- C;kt nj tksf[ke

ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया है।

### [k- eqæk tksf[ke

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह का मूल्य उपर नीचे होता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर मौजूदा विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव के प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब प्रचालन मुद्रा और कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों से प्राप्त अन्य मुद्रा के बीच विनिमय दरों में उतार–चढाव होता है।

## fon'kh eqæk tkf[ke dk çHkko

31 ekp] 2019 vkj 31 ekp] 2018 dh fLFkfr d vuqlkj eqæk tkf[ke dk diuh ij çHkko d ckj e ifj.kkekRd MkVk dk lkjk'k Hkkjrh; :i, e uhp fn;k x;k g%

## fon'kh eqnk tk[ke dk [krjk

31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को भारतीय रूपए मे अभिव्यक्त मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के खतरे के संबंध में मात्रात्मक आंकड़ों का सार निम्नानुसार हैः .

¼vkdM fefy;u e½

| fooj.k | 31 ekp 2019 dk | | | 31 ekp 2018 dk | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ;w,lMh | Hkkjrh; :- | dqy | ;w,lMh | Hkkjrh; :- | dqy |
| foRrh; ifjlifRr;k | - | - | - | | | |
| व्यापार प्राप्य | 129.48 | 3879.23 | 4008.71 | 51.67 | 3,169.77 | 3,221.44 |
| नकद एवं नकद समतुल्य तथा बैंक शेष | - | 139.55 | 139.55 | - | 228.40 | 228.40 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | - | 118.02 | 118.02 | - | 44.33 | 44.33 |
| **dqy foRrh; ifjlifRr;k** | **129.48** | **4136.8** | **4266.28** | **51.67** | **3,442.5** | **3,494.17** |
| foRrh; n;rk, | | | | | | |
| गैर चालू | | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | 10.42 | 10.42 | - | - | - |
| चालू | | | | | | |
| व्यापार प्राप्य | - | 434.85 | 434.85 | - | 401.69 | 401.69 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | 1,148.30 | 1,148.30 | | 1,248.81 | 1,248.81 |
| **dqy foRrh; n;rk,** | **-** | **1,593.57** | **1,593.57** | **-** | **1,650.50** | **1,650.50** |

## lonh fo'y"k.k

निम्नलिखित तालिका संगत विदेशी मुद्राओं के प्रति भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत वृद्धि और कमी के लिए कंपनी की संवेदी विश्लेषण का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। 5 प्रतिशत की संवेदी दर का प्रयोग तब किया जाता है, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को विदेशी मुद्रा जोखिम रिपोर्ट किया जाता है और विदेशी विनिमय दरों में युक्तिसंगत स्तर तक संभव परिवर्तन के प्रबंधन आकलन को दर्शाते हैं। संवेदी विश्लेषण में केवल वे बकाया विदेशी मुद्रा शामिल हैं जो मौद्रिक मदों को दर्शाती हैं और सभी अन्य परिवर्ती कारकों के स्थिर रहते हुए विदेशी मुद्रा दरों में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए वर्ष के अंत में उनके अंतरण को समायोजित करते हैं। एक घनात्मक संख्या लाभ या इक्विटी में वृद्धि को दर्शाती है, जहां भारतीय रूपए संगत मुद्रा की तुलना में 5 प्रतिशत कम हो जाता है। संगत मुद्रा की तुलना में भारतीय रूपए में 5 प्रतिशत की कमी के लिए, लाभ या इक्विटी में तुलनात्मक प्रभाव पड़ता है, और इससे कम शेष ऋणात्मक होता है।

¼:i, fefy;u e½

| fooj.k | of) | | ¼deh½ | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 ekp 2019 dk | 31 ekp 2018 dk | 31 ekp 2019 dk | 31 ekp 2018 dk |
| प्राप्य राशि | | | | |
| यूएसडी / रू. | 6.71 | 16.90 | (6.71) | (16.90) |

43- bM ,,l 115 & xkgdk d lkFk lfonkvk l jktLo

इंड एएस 115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व, मौजूदा राजस्व स्वीकृति मानकों को प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 01 अप्रैल 2018 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाली रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनिवार्य है। इंड एएस 115 के अनुप्रयोग से कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रमुख प्रभाव नहीं पड़ेगा।

44- tkjh fdUr iHkkoh u fd, x, ekud%

¼i½ bM ,,l 116 & iVV

निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 30 मार्च, 2019 को इंड एएस 116 को अधिसूचित किया है जिसकी प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2019 है। पट्टाधारी के मामले में नए इंड एएस का मुख्य सिद्धांत यह है कि निकाय द्वारो सभी पट्टों (अल्पकालीन पट्टों को और उन पट्टों को छोडकर, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति निम्न मूल्य की है) के संबध में 'परिसंपत्ति के प्रयोग का अधिकार' और संबंधित 'पट्टा देयता' को स्वीकार किया जाएगा।

'पट्टर देयता' को दीर्घकालीन अवधि के लिए किए गए पट्टा भुगतानों के 'वर्तमान मूल्य' पर मापा जाता है।

' प्रयोग का अधिकार' परिसंपत्तियों को 'पट्टा पुर्वभुगतान, 'प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन', 'पट्टाधारी की आरंभिक 'प्रत्यक्ष लागत' और पुनःबहाली, हटाने और विघटन लागतों के लिए समायोजनों के साथ 'पट्टा देयताओ की राशि का मापन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आगामी वर्ष (वर्षों) के लिए अनुपालन निम्नानुसार होंगेः–

1. प्रयोग का अधिकार परिसंपत्यिों पर मूल्यह्रास और क्षति घाटे (यदि कोई हो) के लिए प्रावधान ऐसी परिसंपत्त्यिों के पट्टा अवधि / उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा विधि द्वारा किया जाता है।

2. किए गए पट्टा भुगतानों को और पट्टा देयताओं के किसी पुनर्मापन के लिए समायोजन (समायोजनों) को प्रदर्शित करने के लिए 'पट्टा देयताओं' को कम किया जाएगा।

कंपनी वित्तीय विवरणों पर इस संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया निष्पादित कर रही है।

vU; Hkkjrh; y[kkdu ekud ¼bM ,,l½ e l'kk/ku

¼ii½ bM ,,l 12] vk;dj e l'kk/ku %

दिनांक 30 मार्च 2019 को निगमित कार्य मंत्रालय ने इंड एएस 12, परिशिष्ट–ग को अधिसूचित किया गया है, जिसमें

विनिर्दिष्ट है कि इस संशोधन को करयोग्य लाभ (कर घाटा), कर आधारों, अप्रयुक्त कर घाटों, अप्रयुक्त कर ऋणों तथा कर दरों के निर्धारण पर अनुप्रयुक्त किया जाएगा, जब इंड एएस 12 के अंतर्गत आयकर उपचारों के प्रति अनिश्चितत की स्थिति हो। इसमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैंः (1) निकाय को यह निर्धारित करते समय विवेक का प्रयोग करना होगा कि क्या प्रत्येक कर उपचार पर पृथक रूप से विचार किया जाए या कुछ पर संयुक्त रूप से विचार किया जाए। यह निर्णय इस दृष्टिकोण के आधार पर होगा जो अनिश्चितताओं के समाधान के लिए बेहतर पूर्वानुमान उपलब्ध कराए (2) निकाय को यह मानना होगा कि कर प्राधिकारियों को किसी भी राशि की जांच करते समय सभी संगत सूचनाओं का पूर्ण ज्ञान होगा (3) निकाय को इस संभावना पर विचार करना होगा कि संगत कर निर्धारण प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए जाने वाले कर उपचारों और करयोग्य लाभ (कर घाटे), कर आधारों, अप्रयुक्त कर घाटों, अप्रयुक्त कर ऋणों और कर दरों का निर्धारण संभाव्यता पर निर्भर करेगा। इस संशोधन के अनुप्रयोग की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या के पश्चात वार्षिक अवधि से आरंभ होगी। कंपनी को इस संशोधन से अपने वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना नहीं है।

## ¼ii½ bM ,,l 19] deZpkjh ykHkk esa la'kks/ku%

इंड एएस 19, कर्मचारी लाभ में संशोधन योजना संशोधन, कटौती या निपटान के प्रभावों से संबंधित है। यदि निकाय योजना संशोधन या कटौती के समय पूर्व सेवा लागत को निर्धारित करती है तो वह योजरा परिसंपत्तियों और चालू बीमांकक अनुमानों का प्रयोग करते हुए निवल निर्धारित लाभ देयता/परिसंपत्ति की राशि का पुनर्मापन करेगी, जो योजना संशोधन, कटौती और निपटान से पूर्व और पश्चात योजना और योजना परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रस्तुत लाभों को प्रदर्शित करते हैं।

45. हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 24 के मद 45 का संदर्भ लेते हैं, जहां आवश्यक शुद्धियों को शामिल करने के लिए पूर्व अवधि सूचित आंकड़ों पुनर्निर्धारित किया गया है। तथापि, कतिपय त्रुटियों के अवधि विशिष्ट प्रभवों का निर्धारण करना व्यावहारिक नहीं है, कंपनी ने चालू वर्ष के आरंभिक शेषों को संचयी प्रभाव प्रदान किए हैं। इसलिए, सूचित पुनर्निर्धारित पूर्व अवधि वित्तीय आंकड़े विशुद्ध रूप से तुलनीय नहीं हैं।

gekjh lelaa[;d frfFk dh layXu fjiksVZ ds vuqlkj

d`rs 'kkg xqIrk ,.M daiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109574डब्ल्यू
हस्ता/–
foiqy d- pkdlh
साझेदार सं 37606
यूडीआईएन : 19037606AAAABU1459

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 सितंबर, 2019

funs'kd eaMy ds fufeRr vkSj mudh vksj ls

| | | |
|---|---|---|
| हस्ता/– | हस्ता/– | हस्ता/– |
| vf'ouh yksgkuh | foukn gstekMh | dSIVu ,-ds- 'kek |
| अध्यक्ष | निदेशक | मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| डीआईएन 01023747 | डीआईएन 07346490 | |
| हस्ता/– | हस्ता/– | |
| t-oh- jfo dqekj | onuk c=k | |
| मुख्य वित्त अधिकारी | कंपनी सचिव | |

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 06 सितंबर, 2019